राजस्थान विधान सभा

५४ वीं बैठक, शुक्रवार, दिनांक—१३ अगस्त, सन् १६५४ ई०

विधान सभा की बैठक, सभा भवन, जयपुर में प्रातः ८—०३ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तम लाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री चांदमल मेहता ।

प्रश्न संख्या १४०६

राजस्थान के ऐसे पुलिस थाने जहां नफरी से अधिक कर्मचारी

श्री चाँदमल मेहता—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने कि कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में (ऐसे) कितने पुलिस स्टेशन हैं जहां स्वीकृत स्ट्रेंथ से ज्यादा स्टाफ काम कर रहा है ?

(२) उक्त वृद्धि के क्या कारण हैं ?

श्री जयनाराण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(१) एक भी नहीं। आवश्यकता पड़ने पर बहुत थोड़े समय के लिये अतिरिक्त पुलिस भेज दी जाती है ।

(२) यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि पी. टी. एस. के छात्रों को काम पर लगाने के लिये सरकार द्वारा उन्हें पुलिस स्टेशन्स पर लगा दिया जाता है और इस तरह स्त्रीकृत स्ट्रेन्थ से ज्यादा स्टाफ हो जाता है ?

Page No.2

श्री जयनारायण व्यास—उत्तर दे चुका हूं कि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस भेज दी जाती है, इसमें पी. टी. एस. के छात्रों का सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री चांदमल मेहता—इस वख्त किस किस स्थान पर आवश्यकता होने से अतिरिक्त पुलिस स्वीकृत स्ट्रेन्थ से ज्यादा लगाई हुई है ?

श्री जयनारायण व्यास—हो सकता है कई स्थानों पर हो। इसके लिये अलग से प्रश्न किया जाय तो सूचना दी जा सकती है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—इस समय पुलिस की टोटल स्ट्रेन्थ पुलिस की सेक्शन्ड स्ट्रेन्थ से ज्यादा है या कम ?

श्री जयनारायण व्यास—कुछ कम होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १४५०

राजस्थान सरकार द्वारा दिल्ली में खोले गये एम्पोरियम से शासकीय लाभ-हानि

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या राजस्थान सरकार द्वारा देहली में सेल्स एम्पोरियम खोला गया है ?

(२) यदि हां, तो उक्त एम्पोरियम पर कितना स्टाफ रहता है ? उस स्टाफ पर ५३–५४ के वर्ष में कितना रूपया खर्च किया गया ?

(३) ५३-५४ के वर्ष में उक्त एम्पोरियम पर कितने का माल बेचा गया ?

(४) उक्त एम्पोरियम की स्थापना से ५३–५४ के वर्ष के अन्त तक कितना घाटा इस एम्पोरियम से सरकार को हुआ है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(१) हां, जून सन् १९५३ से खोला गया है।

(२) एम्पोरियम पर निम्नलिखित स्टाफ रहता है :

१. मार्केटिंग ऑफिसर	१

Page No.3

[श्री जयनारायण व्यास]

२.	मार्केटिंग इन्स्पेक्टर्स	२
३.	अपर डिविज़न क्लर्क	२
४.	लोवर डिविज़न क्लर्क	१
५.	स्टोर एटेन्डेन्ट्स	२
६.	सेल्स एसिस्टेन्ट	१
७.	चपरासी	२

इसमें ५३-५४ के वर्ष में करीब ६८५२ रु० खर्च किये गये हैं।

(३) जून सन् १९५३ से मार्च सन् १९५४ तक ६४,२२४ रु० १३ आ० ६ पा० का माल बेचा गया है।

(४) अभी तक इसका हानि तथा लाभ का लेखा नहीं बना है।

श्री चांदमल मेहता—यह एम्पोरियम किस स्थान पर स्थित है ?

श्री जयनारायण व्यास—यह एम्पोरियम पहले पहल तो जहां जयपुर महाराजा के लिये मकान था उसमें रखा गया था, इसके बाद बीकानेर हाउस में रखा गया था और अब वह क्वीन्सवे (Queensway) पर रखा गया है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि यह एम्पोरियम घाटे में चल रहा है ?

श्री जयनारायण व्यास—घाटे-नफे का हिसाब अभी नहीं किया है लेकिन जो एम्पोरियम खोला गया है वह नफे या घाटे के हिसाब से नहीं खोला गया है बल्कि हेन्डी-क्राफ्ट्स की चीजें जो सरकार द्वारा और दूसरों के द्वारा भी बेची जाती हैं उनको बेचने और हेन्डी-क्राफ्ट्स की कला को प्रोत्साहन देने के लिए खोला गया है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिस मकसद से यह एम्पोरियम खोला गया वह मकसद पूरा नहीं हो रहा है ?

श्री जयनारायण व्यास—वह मकसद एक दम पूरा हो रहा है और सफलता के साथ पूरा हो रहा है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि वहां जो स्टाफ रहता है वह वहां के कार्य को देखते हुए आवश्यकता से ज्यादा है ?

श्री जयनारायण व्यास—आवश्यकता से कम है। केवल एम्पोरियम का ही काम करना पड़ता हो यह बात नहीं है। एग्ज़ीबीशन्स में भेजने के लिये, चीजों की खरीद-फरोख्त करने के लिये और प्रोपोगेट करने के लिये भी यही स्टाफ है।

श्री चांदमल मेहता—इस एम्पोरियम में कितनी पूंजी लगी है?

श्री जयनारायण व्यास—यह एक अलग प्रश्न है, अलग से नया प्रश्न किया जाय तब ही इसका उत्तर दिया जा सकता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि पर्याप्त पूंजी नहीं लगाने से इस एम्पोरियम से घाटा हो रहा है?

श्री जयनारायण व्यास—घाटा नहीं हो रहा है, मैंने नफे का भी नहीं कहा। ज्यादा पूंजी लगाने से ज्यादा मुनाफा हो सकता है, यह मैं मान सकता हूँ।

श्री चांदमल मेहता—राजस्थान के छोटे उद्योग-धंधों को बढ़ावा देने के लिए इस एम्पोरियम पर ज्यादा पूंजी क्यों नहीं लगाई जाती?

श्री जयनारायण व्यास—जो पूंजी बजट में मन्जूर हुई हैं उतनी ही इसमें लगाई जा सकती है।

श्री चांदमल मेहता—बजट में राजस्थान के छोटे उद्योग-धंधों को बढ़ाने के लिये इस एम्पोरियम पर ज्यादा पूंजी लगाने से कौन हाथ रोक सकता है?

श्री अध्यक्ष—No.

श्री जवानसिंह—क्या पुलिस के अधिकारियों का खर्चा एम्पोरियम से लिया जाता है।

श्री जयनारायण व्यास—नहीं, वहां पुलिस अधिकारी नहीं रखे जाते।

श्री जवान सिंह—एम्पोरियम का हिसाब कितने साल से नहीं हुआ है?

श्री जयनारायण व्यास—मैंने अभी बताया कि जून सन् १९५३ से ही खुला है, फिर कितने सालों का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

प्रश्न संख्या १४११

मार्च १९५४ से जून १९५४ तक राजस्थान में डाके

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

Page No.5

[श्री चांदमल मेहता]

(१) मार्च सन् ५४ से आखिरी जून सन् ५४ तक राजस्थान में कितने डाके पड़े ?

(२) उक्त डाकों में कितने रूपयों का माल लूटा गया ?

(३) उक्त डाकों में कितने डाकू पकड़े गये और कितने रूपयों का माल बरामद किया गया ?

श्री जयनारायण व्यास—(१) मार्च ५४ से आखिरी जून ५४ तक राजस्थान में १६ डाके पड़े।

(२) उक्त डाकों में १८१६३३ रू० ६ आने का माल लूटा गया।

(३) उक्त डाकों में ५० डाकू पकड़े गये और १०६७६ रू० ४ आ० का माल बरामद हुआ।

श्री चांदमल मेहता—ऐसे कितने डाके हैं जिनके सम्बन्ध में कोई डकैत नहीं पकड़ा गया।

श्री जयनारायण व्यास— अलग प्रश्न है, नया प्रश्न करने पर ही इसका जवाब दिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १४१२.

शासकीय मुद्रणालय में छपाई की मशीनें तथा विधान सभा के कार्य विवरणों के मुद्रण में विलम्ब

श्री चांदमल मेहता—क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) गवर्नमेंट प्रेस, जयपुर में कितनी छपाई की मशीनें हैं और उनसे प्रतिदिन कितना काम छापा जा सकता है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त मशीनें राज्य सरकार के छपाई के काम के लिए अपर्याप्त हैं ?

[श्री चांदमल मेहता]

(३) क्या यह सही है कि राजस्थान विधान सभा की फरवरी सन् १९५३ से अब तक की प्रोसीडिंग्ज़ छपने को उक्त प्रेस में रखी हुई हैं ?

(४) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में आगे के लिए क्या योजना रखती है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री) — (१) राज्ज मुद्रणालय जयपुर में ३३ छपाई की मशीनें हैं, इनमें से ८ बिल्कुल खराब हो जाने के कारण खारिज करदी गई हैं। २५ मशीनें जो बाकी हैं उनमें से कोई भी दस वर्ष से कम पुरानी नहीं हैं और अधिकतर २० वर्ष से भी अधिक पुरानी होने के कारण मरम्मत के लिये प्रायः अन्त हो जाती हैं। इन मशीनों से एक लाख दाब फार्म कार्य की एवं ५० पचास हजार दाब किताबी कार्य की प्रतिदिन निकल सकती हैं। सन् १९५३-५४ में २,६६,४२,००० दाब निकली जिसमें अधिकतर किताबी काम के लगभग १०,००० पृष्ठ छापे।

(२) यह मशीनें पुरानी होने की वजह से अपर्याप्त हैं और एक योजना इन मशीनों को धीरे धीरे बदल कर नई लगाने की सरकार के विचाराधीन हैं।

(३) दि० ६ फरवरी, सन् १९५३ से दि० २८ अप्रेल, सन् १९५३ तक की प्रोसीडिंग्ज छपाई के लिये हाथ में है उनमें से दि० २४.२.५३ तक जो एप्रूव हो चुकी हैं व छप भी चुकी हैं। दि० २५.२.५३. से दि० २०.३.५३ तक १०९२ कापियों के प्रूफ पढ़ने के लिये असेम्बली सेक्रेटेरियेट को भेजे जा चुके हैं जो पीछे आने पर जल्द छाप दिये जावेगें। राजस्थान राजपत्र और असेम्बली. के जरुरी काम जो दूसरे दिन नहीं उठा रखे जा सकते पूरा करने के पश्चात् जितना समय मिलता है उसमें यह काम बराबर किया जा रहा है।

(४) असेम्बली प्रोसीडिंग्ज़ अधिकतर हिन्दी में हैं और सबसे अधिक आपत्ति कम्पोजिंग में आती है। इस समस्या को हल करने के हेतु सरकार ने जनवरी, १९५४ में दो मोनोटाइप मशीनें खरीदने की आज्ञा प्रदान की है और मशीनें माह अगस्त में आ जाने की संभावना है। इन दोनों मशीनों के काम प्रारंभ करने के बाद जितना चढ़ा हुआ काम है वह यथा संभव शीध्र निकाल दिया जावेगा। एक दूसरी योजना के आधीन तीन मोनोटाइप और अन्य मशीनें खरीदने के बारे में सरकार विचार कर रही है।

श्री चांदमल मेहता—विधान सभा की कार्यवाहीं जब गवर्नमेंट प्रेस नहीं छाप सकता है तो फिर दूसरे प्रेसों में क्यों नहीं छपाने की आज्ञा दी जाती ?

Page No.7

श्री जयनारायण व्यास—यह प्रश्न अलग है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि विधान सभा के सेक्रेटेरियेट की तरफ से बार बार मांग करने पर भी न तो प्रोसिडिंग्ज़ छपीं, न उनको इन्एविलिटी सर्टीफिकेट ही दिया गया ?

श्री अध्यक्ष—यदि इस बारे में आप एक स्टेटमेंट दे दें तो हमारे सेक्रेटेरियेट की पोजिशन साफ हो जावे।

श्री जयनारायण व्यास—यह एक अलग प्रश्न हैं, इससे सम्बन्धित नहीं है। सारे प्रश्न इकट्ठे हो जावें तो मैं एक स्टेटमेंट दे सकता हूं।

श्री चांदमल मेहता—यह बिल्कुल इसी से सम्बन्धित है। सारा प्रिंटिंग का काम रुका हुआ है और इस बारे में जो जो कार्यवाहियें हुई हैं उसका जवाब माननीय चीफ मिनिस्टर को देना चाहिये।

श्री जयनारायण व्यास—यह असम्भव है कि प्रेस से जितनी कोरेसपोन्डेंस हुई है और जितने रिमाइन्डर भेजे गये उनकी जानकारी बगैर प्रश्न पूछे हासिल की जावे, जब तक इस प्रकार का प्रश्न नहीं आवे। क्योंकि मैं जो उत्तर दे रहा हूं वह प्रेस की फायलों को देख कर नहीं दे रहा हूं। अगर इस सम्बन्ध में कोई दूसरा प्रश्न आए तो उसका जवाब दिया जा सकता है।

श्री चांदमल मेहता—मेरा प्रश्न यह है कि न तो प्रेस असेम्बली सेक्रेटेरियेट को इनएविलिटी सर्टीफीकेट ही देते है और न प्रोसिडिंग्ज़ ही छापता है।

श्री जयनाराण व्यास—यह अलग प्रश्न है, इस संबन्ध में जानकारी हासिल कर उत्तर दिया जा सकता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार प्रोसिडिंग्ज को जल्दी २ छपाने की व्यवस्था करने के लिये तैयार है ?

श्री जयनाराण व्यास— इसका उत्तर दे दिया गया है, मोनोटाइप इसीलिये खरीदी गई है।

श्री चांदमल मेहता—जब तक नई मशीनें नहीं आवें तब तक दूसरे प्रेसों से छपाने का प्रबन्ध किया जा सकता है ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं इस बारे में कुछ जानकारी नहीं रखता। अलग प्रश्न पूछे जाने पर इसकी जानकारी हासिल कर उत्तर दिया जा सकता है।

श्री चांदमल मेहता—कुछ ऐसे काम हैं जो दूसरे प्रेसों से कराये जाते हैं, तो प्रोसीडिंग्ज भी दूसरे प्रेसों से छपाई जा सकती है।

श्री जयनारायण व्यास—मैं इस संबन्ध में जानकारी नहीं रखता इसलिये इस स्थिति में नहीं हूं कि इसका उत्तर दे सकूं।

श्री कंवरलाल जेलिया—जब काम प्रेस में अधिक है और दूसरे प्रेसों के पास काम नहीं है तो इस बारे में सरकार क्या सोच रही है?

श्री जयनारायण व्यास—दूसरे प्रेसों को काम मिलता है। लेकिन असेम्बली के बारे में क्या बात-चीत हुई है, इस बारे में जानकारी नहीं होने से मैंने कहा है कि इसका उत्तर अभी नहीं दे सकता।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—एक साल से विधान सभा की प्रोसीडिंग्ज छपी नहीं हैं, इससे कम से कम यह तो मानेंगे कि काम अनसेटिस्फेक्ट्री है।

श्री अध्यक्ष—सेटिस्फेक्ट्री और अनसेटिस्फेक्ट्री का कोई सवाल नहीं है।

श्री जयनारायण व्यास—This is a question of opinion. I am not expected to express opinions.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि इतने महत्वपूर्ण काम को जल्दी कराती?

श्री जयनारायण व्यास—सरकार अपने कर्तव्य को जानती है और इसीलिये मोनो टाइप की मशीनों के लिये पैसे खर्च करके मंगा रही है।

श्री अध्यक्ष—आप एक स्टेटमेंट दे दें तो अच्छा होगा।......

श्री जवानसिंह—अब तक ये प्रोसीडिंग्ज नहीं छपी हैं, यह भी सरकार का काम है।

श्री अध्यक्ष—(जारी) I will grant you that time.

श्री जयनारायण व्यास—Yes, next week.

श्री अध्यक्ष—We can expect a statement next week about this printing.

नेक्स्ट।

Page No.9

प्रश्न संख्या १४१३

सिलोरा तहसील किशनगढ़ के पत्थर के खानदारों से परमिट फीस की वसूली

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सिलोरा (तहसील किशनगढ़) के पत्थर के खानदारों से परमिट फीस वसूल करने का कोई आदेश जारी किया गया है ?

(२) यदि हां, तो कब और कितनी फीस वसूल करने का ?

(३) राजस्थान में इस प्रकार की फीस अन्यत्र कहां कहां ली जा रही है ?

(४) क्या यह सही है कि भूतपूर्व किशनगढ़ स्टेट ने इन खानदारों को खानों का पट्टा कर दिया था ?

(५) मंत्री महोदय के पास खानदारों की तरफ से परमिट फीस वसूल नहीं करने बाबत कितने प्रार्थनापत्र प्रेषित किये गये और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(१) हां।

(२) ता० १-४-५४ से आठ आने से एक रुपया प्रति फुट प्रति वर्ष।

(३) जयपुर डिविजन में इस तरह की फीस करीब २ सभी क्वेयरिंग क्षेत्रों में ली जाती है। यह सिस्टम जोधपुर व उदयपुर डिविजन में प्रचलित है।

(४) हो सकता है।

(५) इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री से प्रार्थना की गई थी और एक वकील साहब ने भी बात चीत करने की दरख्वास्त दी। इस पर डाइरेक्टर माइन्स को पूरा विवरण जानने के लिये किशनगढ़ व सिलोरा भेजा गया।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि परमिट फीस जमा नहीं कराने के कारण उनकी खानें उनसे छीनी जा रही हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—यह सही नहीं है बल्कि उनसे बात चीत की जा रही है। फीस को कम ज्यादा करने या दूसरी तरह उसमें कोई रद्दोबदल करने के सम्बन्ध में माइनिंग डाइरेक्टर ने खुद ने उनसे बात चीत की है।

श्री **चांदमल मेहता**—क्या यह सही है कि जो पट्टे किशनगढ़ स्टेट ने खानदारों को दिये और उनको जो हक दिये उनको सरकार ठीक नहीं समझती है ?

श्री **जयनारायण व्यास**—पुराने पट्टे हैं उन पर जरूर सरकार विचार कर रही है कि इन पट्टों का क्या असर हो सकता है क्योंकि कोई चीज जो एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेट करती है, जैसे एक खान से दूसरी खान व एक क्षेत्र से दूसरा क्षेत्र ; तो जो संविधान है उसके अनुसार उस हालत में डिस्क्रिमिनेशन ठीक नहीं समझती । इसलिये उन पर विचार हो रहा है ।

श्री **चांदमल मेहता**—क्या सरकार ने इस बात को बगैर तय किये ही कि आया उन पट्टों पर अमल किया जावेगा या नहीं; इससे पहले ही परमिट फीस लगा दी है ।

श्री **जयनारायण व्यास**—परमिट फीस राजस्थान का सालाना कायदा है उसके माफिक लेती है । पट्टे अमुक अमुक क्षेत्रों के लिहाज से दिये जाते है ।

श्री **चांदमल मेहता**—क्या सरकार किशनगढ़ स्टेट ने जो पट्टे दिये उन पर अमल करना चाहती है या नहीं ।

श्री **जयनारायण व्यास**—पट्टे कानूनी तौर से जायज हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं ।

श्री **चांदमल मेहता**—किशनगढ़ स्टेट ने पट्टे दिये उन्हें सरकार जायज़ मानती है या नहीं।

श्री **जयनारायण व्यास**—वैधानिक दृष्टि से जायज़ नहीं होते । एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र से डिस्क्रिमिनेशन करना संविधान के विरूद्ध है ।

श्री **अध्यक्ष**—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १४१४

राजस्थान निर्माण के पश्चात् उद्योग-धन्धे चालू करने के लिये शासकीय स्वीकृति

श्री **चांदमल मेहता**—क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान निर्माण के बाद कितने उद्योग-धन्धे चालू करने के लिये सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई ?

Page No.11

[श्री चांदमल मेहता]

(२) उक्त उद्योगों में से कितने इस वक्त चालू हैं ? कितने चालू नहीं हुए और कितने चालू होकर बन्द हो गये ?

(३) चालू कारखानों में १ लाख से ज्यादा पूंजी वाले कितने कारखाने हैं और उन कारखानों में क्या क्या माल तैयार किया जाता है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(१) मार्च सन् १९५४ तक २७९५ उद्योग-धन्धों को चालू करने की सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है।

(२) उक्त उद्योग-धन्धों में से ३०७ उद्योग-धन्धे चालू हुए हैं। इनमें से राम ग्लास वर्क्स बीकानेर नाम की फैक्ट्री ने एक साल तक कार्य करके अपनी फैक्टरी बंद कर दी। जो उद्योग चालू नहीं हुये उनका पूरा विवरण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि उद्योग धन्धे वाले समय पर सूचना प्रेषित नहीं करते हैं।

(३) चालू कारखानों में एक लाख से ज्यादा केपिटल वाले निम्न कारखाने हैं और उनमें जो माल तैयार होता है वह मैं बताता हूँ :

(१) सार्दूल टैक्सटाइल लि०, गंगापुर	कपड़ा
(२) नेशनल बैयरिंग कं० लि०, जयपुर	बॉलबेयरिंग
(३) राज ट्रेडर्स लि०, जयपुर	हड्डी
(४) बीकानेर बोन फैक्ट्री, पलाना	हड्डी
(५) के० गुनामल एण्ड कं०, जयपुर	बिस्कुट
(६) कॉटन प्रेस, गंगानगर	कपास की गांठे बांधना
(७) जयपुर उद्योग लि०, सवाई माधोपुर	सीमेंट
(८) मान इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लि०, जयपुर	इस्पात के दरवाजे बनाना
(९) अलाइट इन्जीनियरिंग, जोधपुर	साइकिल और साइकिल पार्ट्स
(१०) हीरा क्रुपिंग लि०, जोधपुर	हड्डी
(११) जयपुर होज़री मिल्स लि०, जयपुर	हौज़री का सामान
(१२) सरस्वती होज़री फैक्टरी, रामगंज मंडी	होजरी का सामान
(१३) कोटा बोन फेक्टरी	हड्डी
(१४) गांधी मेटल वर्क्स लि०, पाली	धातु का सामान

श्री चांदमल मेहता—बन्द कारखानों को चालू करने के सम्बन्ध में सरकार क्या सोच रही है ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं इसके बारे में कई बार उत्तर दे चुका हूँ । इसके लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज़ कमेटियें बनाई गई हैं । इसको कल ही मैंने एक उत्तर में बताया था ।

श्री चांदमल मेहता—उन कमेटियों ने क्या काम किया ?

श्री जयनारायण व्यास—उन कमेटियों को बने अभी तक एक महीना पूरा नहीं हुआ ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—प्रश्न के भाग (३) के उत्तर में आपने यह फरमाया कि फलां फलां चीजें तैयार की जाती हैं, हड्डी किस तरह से तैयार होती है ?

श्री जयनारायण व्यास—हड्डी क्रश की जाती है ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—सवाल यह था कि कौन कौन सा माल तैयार होता है ?

श्री जयनारायण व्यास—वहां से खाद आदि तैयार होता है और वह वहां से खरीदा जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १४१५

राजस्थान के जिलों की जन-संख्या व स्थानीय विकास-कार्य के हेतु उन जिलों को दी गई धनराशि

श्री सोहनलाल भटनागर—Will the Minister in charge of Development Department be pleased to state:-

(a) What is the population of various Districts in Rajasthan ?

(b) What amount has been allotted to each District under Local Development works for the year 1954-55 ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—राजस्थान के प्रत्येक जिले की आबादी और सन् १९५४-५५ में स्थानीय विकास कार्यों के लिये प्रत्येक जिले के लिये निर्धारित रकम की सूची ~~मेज पर रख दी गई~~ है ।
इस प्रकार

Page No.13

राजस्थान के प्रत्येक जिले की आबादी और सन् १९५४–५५ में प्रत्येक जिले में स्थानीय विकास कार्यों के लिए निर्धारित रकम की सूची।

क. संख्या	जिला	आबादी	रकम जो स्थानीय विकास कार्यों के अन्तर्गत हर जिले के लिये सन् १९५४-५५ के लिए निधारित की गई।
१.	जयपुर	१६५६०९०	३५००००
२.	झुन्झुनु	५८८६२१	१६२७५०
३.	सीकर	६७७७८२	१८७२५०
४.	अलवर	८६१९९३	७५०००
५.	भरतपुर	९०७३९९	२५०००
६.	सवाई माधोपुर	७६५१७२	२५०००
७-	टोंक	४००९४७	२५०००
८.	कोटा	७६६१९८	२५०००
९.	बूंदी	२८०५१८	२५०००
१०.	झालावाड़	३७३८१०	२५०००
११.	उदयपुर	११९१२३२	२५०००
१२.	डूंगरपुर	३०८२४३	२५०००
१३.	बांसवाड़ा	३५६५५९	७५०००
१४.	चितौड़	५८७७२४	२५०००
१५.	भीलवाड़ा	७२७३५६	२५०००
१६.	जौधपुर	६९१७८६	१,१००००
१७.	जैसलमेर	१०२७४३	४००००
१८.	नागौर	७६३८२९	१,५००००
१९.	पाली	६६०८५६	२५०००
२०.	जालौर	४५९४६७	१,५००००
२१.	सिरोही	२३७३६२	२५०००
२२.	बाढ़मेर	४४१३६८	१,५००००
२३.	बीकानेर	३३०३२९	७५०००
२४.	चूरू	५२३२७६	१,५००००
२५.	गंगानगर	६३०१३०	७५०००
			२०,५००००

(~~कृपया परिशिष्ट देखिये~~)

श्री सोहनलाल भटनागर—क्या आबादी के लिहाज से यह रकम निर्धारित की गई है।

Page No.14

श्री जयनारायण व्यास—यह स्थानीय विकास कार्यों के लिये रकम मंजूर की जाती है और वह आबादी के लिहाज से कतई मुकर्रर नहीं की जाती है । वह रकम उन क्षेत्रों को ज्यादा दी जाती है जिन क्षेत्रों में पंचवर्षीय योजना या कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के अन्तर्गत रकम नहीं मिली हो या कम मिली हो। उनको यह रकम उसी हिसाब से दी जाती है ।

श्री सोहनलाल भटनागर—उदयपुर जिले में कितनी प्रतिशत आबादी कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में आ जाती है ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं समझता हूँ कि जिन जिलों में कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स है या जो जिले कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स या पंचवर्षीय योजना के क्षेत्र में नहीं आते हैं या नहीं आये हैं उनको ध्यान में नहीं रखा गया है लेकिन उन जिलों में जहां कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स या पंचवर्षीय योजना से पैसा नहीं मिला है, यह रकम खर्च की जाने को है और उनको ध्यान में रखा गया है ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मैं भी माननीय मुख्य मन्त्रीजी से सवाल पूछना चाहूँगा कि जहां मुझे बीकानेर जिले की जानकारी है, पूरा पैसा नहीं मिला है। बीकानेर डिविजन में कम्युनिटी प्रोजेक्ट और फाइव ईयर प्लान के लिये जो रकम मंजूर हुई है उसमें से एक. रुपया भी अभी तक वहां नहीं लगा है और मैं इसका चेलेन्ज़ देता हूँ, तो जो रकम लोकल डेवलपमेन्ट के लिये रखी गई है क्या वह खर्च कर दी जायगी ?

श्री जयनारायण व्यास—मेरा ख्याल है कि बीकानेर जिले को भीलवाड़ा जिले से तिगुनी रकम मिली है क्योंकि वहां कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स और फाइव ईयर प्लान इन दोनों के अन्तर्गत कम रकम मिली है। लेकिन नहीं मिली है या खर्च नहीं हुई है इसके बारे में मैं जांच करके जवाब दे सकता हूँ और चेलेन्ज़ देना और लेना मैं ठीक नहीं समझता ।

(हंसी)

कुं० श्री जसवन्तसिंह—लोकल डेवलपमेन्ट फन्ड से या कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स या पंचवर्षीय योजना से जैसा कि मुख्य मन्त्रीजी ने अभी फरमाया कि रकम दी है और यह सही बात है कि कम्युनिटि प्रोजेक्ट्स और फाइव ईयर प्लॉन के अन्तर्गत जो रकम मंजूर हुई है वह खर्च नहीं हुई है तो क्या लोकल डेवेलेपमेंट फन्ड से जो रकम मंजूर हुई है उसको जरूर खर्च किया जायगा ?

श्री जयनारायण व्यास—७५ हजार रुपये लोकल डेवेलपमेन्ट वर्क्स के लिये रखे गये हैं। देने और लेने का तरीका यह है कि लोकल डेवेलपमेन्ट कमेटीज़ हैं और उनका चेयरमेन कलेक्टर होता है। एम. एल. एज. भी उनके सदस्य होते हैं। वे सिफारिश करते हैं कि अमुक वर्क्स लिये जांय। साथ ही साथ जो वर्क्स लिये जाने हैं उनके लिये कुछ रकम लोकेल्ली भी इकठी होनी चाहिए, चाहे वह श्रम से हो, चाहे केश में हो, चाहे सामान से हो और वह रकम उस सूरत में दी जाती है। इस शर्त को पूरा करते हुये बीकानेर डेवेलपमेन्ट कमेटी ने जितना स्वीकार किया है उसको ७५ हजार की हदबन्दी में रहते हुए जरूर मंजूर किया गया है ।

Page No.15

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—क्या आप कृपा करके बतायेंगे कि मंजूर शुदा रकम में से कितना रुपया बीकानेर के लिये मंजूर किया गया है ?

श्री जयनारायण व्यास—बीकानेर के बारे में यदि अलग प्रश्न किया जाय तो मैं जबाब दे सकता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—Questions are over.

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूँ कि श्री भोपालसिंह ने ११ अगस्त, १९५४ से २० अगस्त, १९५४ तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा-प्रदान करने के लिये प्रार्थना की है ।

क्या सदन की अनुमति है कि उनको आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

राजस्थान कृषि भू-धारण विधेयक, १९५३

अध्याय २

श्री अध्यक्ष—We come to Clause 7. Amendment to clause 7 relating to Khudkasht by Shri Nathuram Mirdha.

(अनुपस्थित)

(मेम्बर इन्चार्ज बिल के सदन में उपस्थित न होने से सदन में फुसफुसाहट तथा "९-०० बजे आवेंगे" ऐसी आवाज)

श्री अध्यक्ष—Legislators wait for nobody.

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—Now we take that the amendments will not be moved because the member concernd is absent ?

श्री अध्यक्ष—Unless the House wants otherwise.

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—It goes by fault automatically.

श्री भानसिंह—Mr. Speaker, before anybody moves his amendment, with your permission, may I give a verbal amendment ? It is of a very trivial nature.

श्री अध्यक्ष—Let written amendments be moved first.

श्री श्रीभानसिंह—I think my amendment will be accepted as the other Hon'ble Members are not moving their amendments.

श्री अध्यक्ष—The Honble Member will not move his amendment

श्री श्रीभानसिंह—The Hon'ble member will accept it.

श्री अध्यक्ष—who will accept it ? He is absent.

श्री श्रीभानसिंह—But if there is nobody to oppose my amendment, I can move it.

श्री अध्यक्ष—All right.

श्री श्रीभानसिंह—Mr. Speaker, Sir, this Chapter II should be deleted from this Bill because it confers no rights on the...

श्री अध्यक्ष—Then you shall have to give it in writing.

श्री श्रीभानसिंह—It is very insignificant.

श्री अध्यक्ष—It is very important, deletion of the whole Chapter. You cannot talk orally about such amendments for the total deletion of Chapter II.

श्री श्रीभानसिंह—I am just giving it in writing.

श्री अध्यक्ष—You give it in writing.

श्री जवानसिंह—मैं क्लॉज ७ पर अमेन्डमेन्ट मूव करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—(श्री श्रीभानसिंह से) You move it and give it in writing.

श्री श्रीभानसिंह—Mr Speaker, Sir, I beg to move an amendment for the deletion of Chapter II. To put succintly, the argument is that this Chapter is unnecessary. Moreover, it pretends to make provision for a certain privileged class, and since we are out to confer tenancy rights on everybody, then why not confer Khatedari rights on the jagirdars or land-holders holding Khudkasht today? We can just say that those people who possess Khudkasht at the Commencement of this Act will possess Khatedari rights.

This is all that I want to submit.

श्री जसवन्तसिंह—Sir, ...

श्री अध्यक्ष—You want to support it ?

श्री जसवन्तसिंह—Yes. मेरा भी ऐसा ही विचार है कि खुदकाश्त का जो चेप्टर है वह कोई यहां महत्व नहीं रखता है और मेरा ऐसा ख्याल है कि जागीरी सिस्टम एक प्रकार से यहां नोशिया पैदा करने वाला शब्द हो गया है। हम लोगों की तो इसमें कोई गलती नहीं थी, यह तो परम्परा से एक सिस्टम चला आ रहा है। लेन्ड रिफोर्म का जो कदम उठाया गया है उसके बाद इस चेप्टर को यदि रखा जायगा, जिसके अन्तर्गत कि कोई सुविधायें नहीं दी गई हैं, तो हमारे पर कृपा रखने वाले कुछ मित्र हमेशा, यह एक विशेष वर्ग है, यह कहते रहेंगे, तो हम चाहते हैं कि हम एक विशेष वर्ग न रह कर हम हमारे उस तरफ बैठने वाले मित्रों को वर्ग विशेष बनावें, इसलिए यह चेप्टर कतई हटा दिया जाय और जो खातेदारी राइट्स एक मामूली काश्तकार को दिये हुए हैं वे ही राइट्स हमें भी मिलने दिये जांय। यह चेप्टर हटा दिया जाय, इस सम्बन्धी जो अमेन्डमेन्ट माननीय सदस्य ने रखा है उसका मैं सपोर्ट करता हूँ और मैं भी इस विचार का हूँ कि यह चेप्टर आसानी से हटाया जा सकता है और विशेष वर्ग हम न रह कर हमारे सभी उधर बैठे हुए सदस्य विशेष वर्ग बन जांय।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, इस चेप्टर को हटा देने से कुछ कठिनाइयां जरूर आ जायंगी। इस वजह से आ जायंगी कि इन ए जनरल वे उन लोगों को जिनके पास खुदकाश्त की जमीन है उनको खातेदार माना गया है। लेकिन कुछ कुछ बातों में डिफ्रेन्सेज़ जो हैं वे डिफ्रेन्सेज़ हैं, जिनकी वजह से डिस्टिंक्शन कायम रहना चाहिये, यही ठीक बात है। जैसा कि अभी कहा गया कि वह डिफ्रेन्स और डिस्टिंक्शन न रहे तो अच्छा है। अगर आप क्लॉज़ ११ को देखेंगे, जिसमें यह प्रोविजन है, कि जो शर्तें हैं उन शर्तों के अलावा लीज़ पर रखा जाय जो

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

सब क्लॉज़ (२) के विपरीत ट्रान्सफर कर दिया जाता है तो उसका नतीजा इस सब क्लॉज़ में यह बताया गया है :

"(2) Where land is transferred in contravention of sub-section (2) of section 8 the transferee shall become a Khateder tenant thereof."

अगर जो स्टिपुलेशन हम करते हैं, खातेदारी से इक्वेट करते हैं खुदकाश्त को, तो फिर एक इम्पोसिबिलिटी हो जायगी। जिन कानूनों की बन्दिश के खिलाफ जमीन लीज पर दे दी गई उनमें खातेदार को लीज देने की वजह से ऑटोमेटिकली खातेदारी के राइट्स ट्रान्सफर हो जायेंगे, ऐसी पोसीबिलिटी नहीं। सेक्शन १० का एडवान्टेज़ ही दर असल टीनेन्ट व सब टिनेन्ट को मिल सकता है। ऐसी हालत में मेरा ख्याल है माननीय अध्यक्ष, कि इस चेप्टर को हटा देने से जो एडवान्टेज टिनेन्ट और सब टिनेन्ट को मिलने वाला है, वे इससे महरूम रहेंगे।

दूसरी डिफिकल्टी यह आयगी कि आज टिनेन्ट जो खुदकाश्त करते हैं उनकी सेपेरेट केटेगरी बनाई है। उसी केटेगरी के सिलसिले में कुछ प्रोविज़न्स हैं, मसलन .." Consequences of illegal subletting of KhudKasht "

११'ए' को देखें तो आपको पता चलेगा कि १२८ के मातहत जो कार्यवाही करनी है तो वह ओटोमेटिकली हो जायगी। इसके बाद जो कॉन्सिक्वेन्सेज फॉलो होंगी, उन दोनों में डिफ्रेन्स होगा। आखिर यह कोन्सिक्वेन्टेली कम्पेन्सेशन देकर खातेदारी राइट एक्वायर कर सकते हैं और यदि नहीं करते हैं तो ट्रैसपासर की तौर पर लाएबल होकर इजेक्ट किये जा सकते हैं।

दूसरी कोन्सिक्वेन्सेज़ यह होंगी कि गैर खातेदार को खातेदार समझा जायगा। यह एक इम्पोर्टेन्ट डिस्टिंक्शन है। अगर खुदकाश्त की जमीन को इक्वेट कर दिया जाय तो हकीकत में नतीजा यह होगा कि दो इम्पोर्टेन्ट पोइन्टस एक subletting against law और दूसरा लीज का against law इन दोनों इम्पोर्टेंट पोइन्ट्स में जो कोन्सीक्वेन्सेज़ फोलो होंगे In relation to the tenant or the sub-tenant to whom land has been leased or sud-let, इस सिलसिले में जो राइट्स आज उनके हैं उनमें कमी हो जायगी। इसलिये जो मेरे मित्र ने सुझाव रखा है उससे मेरा मतभेद है, इसे नहीं माना जाना चाहिये।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, मुझे ताज्जुब हुआ यह जान कर कि जो मित्र हर जगह अपनी टांग रखने वाले और अपने आपको प्रगतिशील बताने वाले हैं वे आज यह पोइन्ट रख रहे हैं कि यह क्लॉज़ डिलीट नहीं होना चाहिये। मेरे ख्याल में पता नहीं आज किस कारण से रिट्रोग्रेट स्टेप ले रहे हैं। वे ही सदस्य जो उधर बैठने वालों से अपने आपको दस कदम आगे

[श्री जवानसिंह]

मानते हैं, वे जागीरदारी प्रथा कुछ अरसे के लिये कायम रहे, यह चाहते हैं, यह वाकई में ताज्जुब की बात है, जो आंज यह दलील पेश करते हैं कि टिनेन्ट, खुद काश्त टिनेन्ट कायम रहे। उन्हें तो आगे आकर यह कहना चाहिये कि एक काश्तकार और खुदकाश्त टिनेन्ट में किसी प्रकार का अन्तर नहीं होना चाहिये यह दलील उनकी तरफ से आती तो बहुत वाजिब होता। लेकिन आज पता नहीं वे ऐसा क्यों चाह रहे है ? शायद कहने के बाद अब जरूर पश्चाताप कर रहे होंगे।

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि टिनेन्ट और खुदकाश्त होल्डर के लिये जो अलग अलग चेप्टर आये है उनमें एक बात जरूर है कि खुदकाश्त होल्डर के लिये विशेष अधिकार दिये जायेंगे। लेकिन आप इन धाराओं को देखेंगे तो मेरा ख्याल है कि कोई भी खातेदार टिनेन्ट खुदकाश्त होल्डर की तारीफ में नहीं आयेगा, यह शब्द केवल मात्र आडम्बर है। दूसरे खातेदार टिनेन्ट अलग रखे गये हैं, इस तरह से लोगों की नजरों में अलग वर्ग रखा गया है जो हमें नहीं रखना चाहिये। भविष्य के लिये जब कि हम इस स्थिति में पहुच रहे हैं, जागीरी का उन्मूलन हो चुका है, इस भावना को रखते हुए हमारे दिमाग में यह भेदभाव नहीं रहना चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो भरतपूर से आये हुए मित्र हैं, श्री मानसिंहजी ने जो संशोधन रखा है उसमें भी एक संशोधन पेश करना चाहता हूँ और वह यह है कि क्लॉज़ १२ जो रखा है चेप्टर दो का उसके लिये मेरा अमेंडमेंट स्वीकार किया जाय। क्लॉज़ १२ को यों का यों रखा जाय इससे कोई भी उलझन नहीं रहेगी।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज़ को डिलीट करने के सिलसिले में सुझाव आया है, उसको लेने से पहले जो क्लॉज़ वाइज़ अमेंडमेंट आये हैं उनको पहले ले लिया जाय तो बहुत अच्छा होगा।

श्री जवानसिंह (अपना भाषण जारी रखते हुये) क्लॉज़ वाइज़ का तो अभी तक सवाल ही नहीं आया, सवाल यह है कि जो संशोधन रखा गया है उसमें मैं संशोधन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—The Hon dle Member will on with his speech.

श्री जवानसिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुये) मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो संशोधन पेश हुआ है उसमें मैं संशोधन रख रहा हूं। मेरा ख्याल है कि श्रीमानसिंहजी मेरे इस संशोधन को अवश्य मन्जूर कर लेंगे ताकि कोई भी उलझन इस चेप्टर को डिलीट करने के बाद नहीं रह सकेगी। अगर उनका अमेंडडमेंट मन्जूर किया जाता है तो उस अमेंडमेंट के साथ। मेरा अमेंडमेंट भी मन्जूर किया जाय।

श्री अध्यक्ष—Suggestion rather than an amendment.

श्री जवान सिंह—उनके अमेंडमेंट के लेने के बाद मेरे अमेंडमेंट की स्थिति निश्चित हो जायगी। जहां पर इस कानून में खुदकाश्त होल्डर को रिज़म्पशन के बाद में एक खातेदार टिनेन्ट मान लिया जाना चाहिये जैसा कि आगे माना गया है तो फिर उसके बाद उसके खुदकाश्त के लिये खुद-काश्त होल्डर का सक्सेशन किस प्रकार होगा ? इसके लिये हमारे सामने कोई रास्ता नहीं रहता। सक्सेशन इस कानून की तहत में रखा गया है वह इस प्रकार गवर्न होगा। उसके बाद सब लेटिंग

[श्री जवानसिंह]

का सवाल है। वह सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद स्पष्ट हो गया है। खुदकाश्त होल्डर इस कानून की तहत जमीन को सब लेट कर सकता है। एक मामूली खातेदार काश्त को सब लेट करता है। यह अलग चेप्टर रखकर भी वही चीजें इसमें रखी गई हैं। मेरी समझ में इस प्रकार अलग अलग प्रोविज़न्स करना जरूरी नहीं। इसके लिये मैं एक साधरण सी मिसाल पेश करूंगा; जैसे एक मकान में दो व्यक्ति रहते हैं और उसमें तीन के रहने की गुन्जायश है। तीसरा आदमी उसमें न रहकर अलग से रहना चाहता है। तो प्रश्न यह होता है कि उसके लिए अलग मकान बनवाए और उस मकान में वे तमाम सुविधाएं उसके लिये रखें जो कि पहले मकान में है। वे ही साधन उसके लिए जुटाने पड़ेंगे जो साधन उन दो के लिए प्राप्त हैं। जब कि तीसरा व्यक्ति उसी मकान में आराम से रह सकता है तो उसके लिये दूसरा मकान बनवाने की क्या जरुरत? इसी तरह से जब यहां खातेदार टिनेन्ट्स के लिये प्रोविजन कर दिया गया है तो वही प्रोविजन खुदकास्त होल्डर के लिये अलग से कराना सरासर वाहियात चीज है। इससे किसी प्रकार के राइट्स खुदकाश्त होल्डर को मिलते होंगे, यह बात नहीं है। इससे किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार नहीं मिल रहे हैं। इसलिए इस चेप्टर को रखने की आवश्यकता नहीं। धारा १२ को कायम रखा जाय, ताकि स्थिति निश्चित हो जायगी। इसे खातेदार टिनेन्ट माना जायगा।

इसके अलावा अभी मुझ से पहले जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने निवेदन किया था कि इसकी वजह से सबलेटिंग के सब लीज के ऐसे बहुत से उलझन और प्रश्न पैदा हो जावेंगे जो इस तहत में हल किये गये हैं। इस पर मैं निवेदन करूंगा कि उन उलझनों के पैदा होने का यहां पर कोई कारण नहीं है; क्योंकि जिस कदर दूसरी दूसरी धाराएं आगे आती जावेंगी उसी प्रकार से ऐसे प्रोविज़न्स उन धाराओं के तहत में रख लिये जावेंगे। सबलैटिंग के अन्दर सब टिनेन्ट की जमीन और खुदकाश्त की सीलिंग के तय होने पर सब टिनेन्ट को सबलेटिंग का अधिकार मिल जाता है। इसके उपरान्त अगर सब टिनेन्ट के पास कोई जमीन है तो वह कायम रख सकेगा। इसकी कीमत कितनी होगी, यह आगे के चेप्टर में आप उल्लेख पावेंगे।

तो इस कदर किसी तरह की कोई उलझन खुदकाश्त होल्डर होने के नाते किसी को नहीं होगी। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस पूरे के पूरे चेप्टर २ को डिलीट कर दिया जावे, केवल क्लॉज़ १२ को रखा जावे?

श्री तन सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, संशोधन प्रस्ताव जो है उसका मैं समर्थन करता हूं। मेरे सिरोही से आने वाले मित्र ने बताया कि जोधपुर से आने वाले मित्र ने जो कुछ कहा उस पर उन्हें आश्चर्य हुआ। बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि उनको आश्चर्य इसमें कैसे हुआ। आश्चर्य की इसमें ऐसी कौनसी बात थी? यह तो बिलकुल साधारण बात है। मुझे आश्चर्य बिलकुल नहीं हुआ। क्योंकि प्रगति में दो प्रकार के सिद्धान्त हो सकते हैं। कुछ लोग आगे बढ़ने

[श्री तनसिंह]

के लिए ऐसा ही मार्ग ठीक समझते हैं जो उनके उद्देश्य के अनुकूल हो। पर कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों द्वारा ऐसा भी मार्ग अपनाया जाता है जो अप्रगतिशील भी होता है। कई बार तो ये प्रगतिशील मार्ग अनुकूल हो जाते हैं। लेकिन कई बार जब इसके विषय में कोई रास्ता नहीं मिलता तो हैपहेजर्ड वे में इधर उधर से आर्ग्युमेन्ट्स क्लेक्ट कर लिये जाते हैं और बोल देते हैं।

अब आगे उन्होंने बताया उसमें प्रिन्सिपल की कोई बात नहीं है। पर यह कहा कि केवल फलां फलां कानूनी अड़चन आ जावेगी। पर जब यह चेप्टर डिलीट हो जावेगा तो उन क्लाजेज़ में भी इसके अनुसार संशोधन कर दिया जावेगा और ऐसी स्थिति में यह कानूनी प्रश्न रहेगा नहीं।

अब रहा प्रश्न यह कि इसके रखने में झंझट क्या है? जैसा कि उन्होंने आगे चलकर एक आर्ग्यूमेण्ट दिया था कि ये डिफ्रेन्सेज़ तो रहने चाहिये। इन डिफ्रेन्सेज़ और डिस्टिंक्शन से कोई नुकसान नहीं होगा; यह उनकी दलील है। उन्होंने यह भी कहा कि इस चैप्टर के कम्पलीटली हटाने से कठिनाइयां होंगी और वे डिस्टिंक्शन और डिफ्रेन्सेज़ कायम रहें तो अच्छा है। मैं इसके उत्तर में यह कहता हूं कि इससे हानि नहीं तो लाभ किसको होगा? ये डिस्टिंक्शन और ये डिफ्रेन्सेज़ जो इसमें हैं इनसे न काश्तकारों को फायदा होगा, न गवर्नमेन्ट को होगा, न खुदकाश्तवालों को और न टिनेन्ट्स को, किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है, सिवाय कुछ स्वार्थी लोगों के। जिन काश्तकारों के, टिनेन्ट्स को लेन्ड रेवेन्यू देना है उनको लेन्ड रेवेन्यू उतना ही पे करना पड़ेगा। उनकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वे सारी की सारी उन पर हैं, जैसी खातेदारों पर हैं। थोड़ा बहुत परिवर्तन इसमें है, पर यह कोई प्रिन्सिपल की बात नहीं है। यदि उनके ऊपर लैण्ड रेवेन्यू रद्द हो सकती है, जब ट्रान्सफर इत्यादि के कनून लागू होते हैं तो साधारण जो कानून है उसमें एक विशेष प्रकार का डिस्टिंक्शन करने की विशेष आवश्यकता नहीं है और इससे गवर्नमेन्ट को भी कोई लाभ होता हो, ऐसी बात भी नहीं है। अगर खातेदार टिनेन्ट और दूसरे काश्तकार और गवर्नमेन्ट को कोई लाभ इससे नहीं होता। तो हानि भी नहीं होती। इसके डिलीट करने से अगर किसी को नुकसान होता है तो वह उनको जो डिस्टिंक्शन और डिफरेन्सेज से फायदा उठाना चाहते हैं। अगर यह चेप्टर नहीं रहेगा तो वे लोग इससे फायदा नहीं उठा सकेंगे और इसलिये सबसे बड़ा कारण इसके विरोध का यही हो सकता है।

अब रहा सवाल यह कि इस चेप्टर को हटाने से वाकई में कोई आपत्ति हो सकती है, ऐसा मेरे ध्यान में तो कुछ आया नहीं; सिवाय इसके कि इससे कुछ बातें उनको ही छोडनी होती हैं।

इतना निवेदन करके मैं कहूँगा कि यह संशोधन कुछ आवश्यक संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया जावे, तो यह समान न्याय के और समान कारण के लिये बहुत उचित होगा।

श्री शम्भूसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री जवानसिंहजी ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है, उसके समर्थन में मुझे कुछ कहना है।

माननीय उपाध्यक्षजी, भरतपुर से आने वाले मेरे माननीय मित्र ने जो अमेन्डमेन्ट रखा वह बिल्कुल वाजिब है जब कि खातेदार राइट्स के जरिये वे समस्त बातें हल हो जाती हैं जो कि इस खुदकाश्त के चेप्टर को हटाने से पैदा होती हैं। तो फिर मैं नहीं समझता कि इस खुदकाश्त के चेप्टर को क्यों हटा दिया जाय? खुदकाश्त के चेप्टर में खुदकाश्त के नाम से जो एक विशेष वर्ग को जागीरें देने का ढोंग किया गया है, हम नहीं चाहते कि इस प्रकार के ढोंग से किसी वर्ग विशेष को रियायत दी जावे और जोधपुर से आने वाले मेरे माननीय मित्र ने जो इस प्रस्ताव का विरोध किया है वह मेरी समझ में नहीं आया।

उन्होंने सिर्फ क्लॉज़ ११ और सब क्लॉज़ (२) की तरफ इशारा किया, उससे उनका मतलब था कि एसेन्शियल ऑफ खातेदारी राइट्स किस तरह होते हैं लेकिन जबकि यह पूरा का पूरा चेप्टर ही हटा दिया जावेगा तो फिर चेप्टर ११ के द्वारा उलझन पैदा होने का कोई प्रश्न बाकी नहीं रहता।

इसके अलावा मुझे तो सिर्फ यह एक बात दिखती है कि इस तरह इस क्लॉज़ को रख कर समाज में एक विषमता पैदा की जावे और हम आजकल जिस समानता के युग में रह रहे हैं उसमें असमानता नहीं रहनी चाहिये और इस प्रकार की बात हमारे विधान के भी अनुकूल नहीं है। अतएव मेरा निवेदन है कि माननीय भरतपुर से आने वाले सदस्य का जो संशोधन है वह स्वीकार हो जाना चाहिये।

श्री संतोषसिंह कछावाहा—माननीय उपाध्यक्षजी, अभी खुदकाश्त चेप्टर पर एक माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किया है, इसको हटाने के लिए और दूसरे सदस्य ने इस चेप्टर की धारा १२ को रखने के लिए जो संशोधन रक्खे हैं उसके मैं पक्ष में कहता हूँ।

पहली बात तो मैं यह कहूँगा कि यह चेप्टर हटा देने से यह जो टिनेन्सी बिल लम्बा चौड़ा बन गया है और किसान के लिए एक बरडन सा बन गया है उसकी कम से कम पांच चार धाराएं तो कम हो जावेंगी। यह तो फायदा ही होगा।

दूसरा यह है कि जब खुदकाश्त को अलग रखा और बापी होल्डर और खातेदारी राइट्स का अलग चेप्टर रखा है तो इस तरह से राजस्थान में एक ही जगह एक हो तरह के किसानों के लिए अलग २ तरह के कानून रखना, यह भी हिन्दुस्तान या भारत के विधान के खिलाफ है। किसी को कुछ हक दिया जाय और किसी को कुछ। जहां तक हो सके इस कानून के अन्दर सब को एक किस्म के हक मिलने चाहिये। इस तरह खुदकाश्त को खातेदारी राइट्स से अलग हक देना ठीक नहीं है। जो खुदकाश्त के हक हैं वे सब खातेदार के हकों के अन्दर आ जाते हैं, तो यह चेप्टर

[श्री संतोषसिंह कछवाहा]

रखना बिल्कुल ही गलत है। इसलिए मेरा इस संशोधन में यह समर्थन है कि इस चेप्टर २ को कतई हटा दिया जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने जो कहा उसके बारे में मेरे सब माननीय मित्रों को कन्फ्यूजन हो रहा है। मेरा यह कहना है कि खातेदारी राइट्स और खुदकाश्त में इस एक्ट में कुछ डिस्टिंक्शन नहीं रखा गया है।....

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, क्या यह फिर बोल सकते हैं?

श्री हरिकृष्ण व्यास—कल भी कई लोग बोले थे।

श्री जवान सिंह—यह प्रिसिडेन्ट नहीं होना चाहिये।

श्री भैरूसिंह (वि० सं० १६)—जो बोले थे उन्होंने कन्फ्यूजन पैदा नहीं किया था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—खुदकाश्त और खातेदारी राइट्स में डिस्टिंक्शन है।

श्री उपाध्यक्ष—You are giving explanation?

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—साहब यह नहीं मानते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Explanation, Sir. जो सेक्शन ११ (२) में आया है—

"If land is transferred in contravention of sub-section (2) of section 8, the transferee shall become a Khatedar tenant thereof." यानि ओटोमेटिक्ली वह खातेदार टिनेन्ट बनता है विदाउट पेमेन्ट, और जो प्रगतिशील और प्रतिक्रियावादी नाम पर मेरे माननीय मित्र चाहते हैं वह यह है कि खातेदार उनको गिन लिया जाय तो उनको पेमेन्ट मिल जाय। (घंटी) दिस इज दी होल डिफ्रेन्स; इसलिये यह तय करना जरूरी है।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपाध्यक्षजी, चेप्टर सेकन्ड को डिलीट करने के सिलसिले में जो कई मित्रों ने अभी फरमाया है वह शायद इस बात को भूल गये कि लेन्ड रिफोर्म्स एन्ड रिज़म्शन ऑफ जागीर्स एक्ट जो बना है इसके सिलसिले में बहुत सारे एग्रीमेंट्स थे और उन एग्रीमेंट्स को पूरा करना इस एक्ट में निहायत जरूरी था, क्योंकि उसका सीधा सम्पर्क इस टेनेन्सी बिल से है। और साथ ही यह उन ट्रान्सफर्स को डील नहीं करता है बल्कि सक्सेशन के सिलसिले में,

[श्री श्रीदास गोयल]

सेल और गिफ्ट के सिलसिले वगैरह वगैरह में ऐसी बातों का इस चेप्टर में जिक्र है । जहां तक राजस्थान में जागीरों का प्रश्न है अलग अलग प्रथाएं प्रचलित थीं उनमें सक्सेशन के मुतल्लिक कहीं Law of Primogeniture और कहीं हिन्दू लॉ गवर्न करता था, कहीं कुछ था । इस चेप्टर में जो सेक्शन २ है, वह सक्सेशन के सिलसिले में बहुत साफ जाहिर कर देता है ताकि आगे चलकर कोई मुगालता न रहे और किसी प्रकार भी गलतफहमियां न पैदा हों । साथ ही जहां तक सेल और गिफ्ट का प्रश्न है उसका एक चेप्टर जुदागाना खातेदार काश्तकारों के लिए है । लेकिन खुदकाश्त की उनसे परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है । खातेदार काश्तकारों को इसमें नहीं मिलना चाहिये । और इस प्रकार से है कि वह खातेदार काश्तकार होते हुए भी लेन्ड होल्डर है और लेन्ड होल्डर होने के नाते वह एस्टेट होल्डर है । वह खातेदारी राइट्स एन्ज्वॉय करता है । खातेदारी चेप्टर में उनसे भिन्न परिस्थिति होने के नाते जो क्लॉज़ ८ की सब क्लॉज़ (२)है उसमें सेल औरगिफ्ट के सिलसिले में कुछ पाबन्दियां लगाई गई हैं जो कि निहायत जरूरी हैं और वह इसलिए है कि खुदकाश्त के जो बहुत बड़े हकूक प्राप्त हुए हैं उन हकूक का उपयोग एक मात्र निज के लाभ के लिए अपने स्टेटस को मेन्टेन करने के लिये और फाइनेन्शियली अपने आपको भविष्य में स्वस्थ बनाने के लिए रखा गया है, न कि बिजनेस मार्केट बना दिया है । तो ऐसी परिस्थितियों में इसके साथ ही, जैसा श्री एच० के० व्यास ने अभी कहा सेक्शन ११ (२) में कि, अगर यह चेप्टर हटा दिया जाय तो बहुत गड़बड़ पैदा हो जाती है । बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जो खुदकाश्त जमीनों में ट्रान्सफर कर दी गई हैं बाई वे ऑफ लोन ऑर सेल ऑर अदर । इस तरह से वह इल्लीगल ट्रान्सफर्स हैं और उनको यहां लीगेलाइज़्ड करार नहीं दिया गया है जब कि वह अब तक हो चुके हैं, तो उन लोगों की क्या परिस्थिति होगी जो कि अब तक उस जमीन पर काबिज हैं । सेक्शन ११ए के आगे जो क्लॉजेज़ हैं उनके कॉन्सिक्वेन्सेज़ में जो इस चेप्टर की क्लॉजेज़ के कन्ट्रावेन्शन में कार्यवाही की जाय उसके मुतल्लिक है और ऐसी हालत में मैं निहायत जरूरी मानता हूँ कि जो कुछ दलीलें मेरे लायक मित्रों ने दी हैं कि वे "विशेष अधिकार प्राप्त" नहीं रहना चाहते हैं, यह प्रश्न पैदा नहीं होता है । यहां जो प्रश्न पैदा होता है, वह equitable relief and justice impart करने का है । ऐसी परिस्थितियों में यह चेप्टर जहां का तहां कायम रहना चाहिए ।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—सदा........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—क्या बहस बढ़ायेंगे ?

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ ।

इस चेप्टर को डिलीट करने की बाबत जो श्री श्रीभानसिंहजी ने अमेंडमेंट दिया है उसके विषय में समर्थन करते हुए मैं दो शब्द निवेदन करना चाहता हूँ कि इस चेप्टर में इसकी खुदकाश्त की परिभाषा में लिखा हुआ है कि :—

[श्री हिम्मतसिंह अटरू]

"'Khudkasht right' means the special rights, if any, conferred on holders of Khudkasht by this Act and by the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act, 1952. " तो क्या राइट्स हैं ? कहीं नजर नहीं आते कि खुदकाश्त राइट्स क्या चीज़ है । और खुदकाश्त राइट्स टेम्परेरी फेज़ है या परमानेन्ट फेज़ है ? यह सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि यह खुदकाश्त राइट्स बिल्कुल एक टेम्परेरी फेज़ है और मुद्दत तक चलने वाली बात नहीं है । जब तक जागीर रिज़म्प्शन नहीं हो तब तक के लिए एक बीच का इन्टेरिम सा प्रोविजन लगा दिया गया है । इसके अन्दर मैं यह समझता हूँ कि ऐसे चेप्टर को इस पवित्र बिल के अन्दर रखना जो परमानेन्ट चीज होने वाली है, जो कामन लॉ है, उसके अन्दर रखना एक तरह से विधान के ऊपर कलंक लगाना है । इसलिये कलंक से बचने के लिये जो अमेंडमेंट इस चेप्टर को डिलीट करने का रखा है, उसे मैं बिल्कुल वाजिब समझता हूँ । आपत्ति उठाई जोधपुर से आने वाले सदस्य ने कि extinction of Khudkast rights, तो खुदकाश्त राइट्स का सवाल कब पैदा होता है, यह भी विचारने की बात है । क्या खुदकाश्त राइट्स के लेने के ऊपर फिर भी खुदकाश्त राइट्स के रेस्ट्रिक्शन्स और extinction का सवाल रह जाता है, जो खातेदारी राइट्स होंगे वही राइट्स, लेन्ड होल्डर्स जिनको कहा जाता है, वह एक्सरसाइज़ करेंगे । मैं तो यहां तक कहूँगा कि एस्टेट होल्डर और लेन्ड होल्डर की परिभाषा जो है वह बिल्कुल फिजूल और गलत रखी गई है । उसको डिलीट कर देना चाहिये । जहां जहां यह वर्ड्स आये हैं 'एस्टेट होल्डर्स' यह मानी हुई बात है कि जमीन उसी के पास रखी जायगी जो काश्त करेगा चाहे व जागीरदार हो या मामूली काश्तकार हो । जो जमीन काश्त करेगा वही जमीन का हकदार होगा और वह भी इस कदर जितना कि इस बिल के अन्दर गुंजाइश दी हुई है । मेरा ऐसा खयाल है कि सिवा क्लॉज़ १२ के जो कि इस चेप्टर में आय है उसको छोड़ते हुए बाकी और सब को बिल्कुल डिलीट कर देने के एमेंडमेंट को एक्सेप्ट किया जाय ।

श्री भैंरूसिंह (वि० सं० १६)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अपना इस चेप्टर को डिलीट करने के बारे में संशोधन प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में पूर्णतया तो मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन उस चेप्टर की सारी अहमियत को देखते हुए इसके द्वारा जो कन्फ्यूजन इस प्रकार से जोधपुर से आने वाले माननीय मित्र ने पैदा किये तो उनके पैदा करने तक ही सीमित न रह कर आगे भी कन्फ्यूजन होंगे । इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस चेप्टर को इस स्थान से डिलीट कर दिया जाय और खुदकाश्त की बातें जो कि ऐसी हैं कि जिनका इस एक्ट में लाना आवश्यक महसूस हो तो वे चीजें आगे चलकर किसी दूसरे स्थान के ऊपर जब कि इस सम्बन्ध में और भी विचार करना हो उनको एडजस्ट करेंगे तो इस बिल का एक अच्छा स्वरूप बना सकेंगे ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक खुदकाश्त के राइट्स का सम्बन्ध है मैं तो समझता हूँ कि इस टेनेन्सी बिल में और अभी अभी जो हमने राजस्थान लेन्ड रिफॉर्म्स एन्ड जागीर्स

[श्री भैंरूसिंह]

रिजम्प्शन एमेन्डमेंट एक्ट जो ओरिजनल पास किया है उसमें जो खुदकाश्त राइट्स हमारे हैं वे यहां इसमें देखने को नहीं मिलते हैं।

यदि यह समझ लिया जाय कि खुदकाश्त के राइट्स खातेदारी राइट्स के बराबर हैं तो फिर खातेदारों को प्रिविलेजेज़ मिलती हैं उनके अलावा खुदकाश्तवालों पर किसी प्रकार की रेस्ट्रिक्शन डालना किसी प्रकार भी उचित नहीं होगा। यदि यह समझा जाय कि रेस्ट्रिक्शन के स्थान पर खुदकाश्तवालों को स्पेशल प्रिविलेजेज़ दी हुई हैं जिनको रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो यह सोचना पड़ेगा कि इस प्रकार के रेस्ट्रिक्शन का कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। आज यह कहा जा रहा है कि खुदकाश्त वालों को जो राइट्स दिये जा रहे हैं वे टिनेन्ट्स के मुकाबले में स्पेशल प्रिविलेजेज़ होंगीं। इसलिये उनको ये अधिकार नहीं मिलने चाहिये, लेकिन आज यह चीज नहीं है। उनके पास पहले जागीरें थीं जो रिज्यूम हो रही हैं। उनका यह एक विशेष अधिकार था जिसकी एवज में कंपेनसेशन दे रहे हैं। जागीर रिज़म्पशन के बाद में कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि जमाना इस प्रकार का है कि इनको कंपेन्सेशन नहीं देना चाहिये। लेकिन कांस्टीट्युशन में एक ऐसी धारा है जिसके अंतर्गत बिना कंपेन्सेशन दिये जागीर नहीं ले सकते। कहने वालों के लिये यह भी रास्ता खुला है कि जागीरदारों को कंपेन्सेशन मिल रहा है इसलिये काश्तकारों में और उनमें जिस तरह चाहें डिस्क्रिमिनेशन लगाकर दुनिया के सामने यह दिखावें कि हमने डिस्क्रिमिनेशन रखा है। लेकिन पहले सोचना यह पड़ेगा कि जो राइट्स दिये जा रहे हैं वे इतने ज्यादा नहीं हैं, इक्वेलिटी के नाते देखा जाय या तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाय कहीं ऊंचे नहीं जाते हैं। इसी तरह से देख लीजिये कि खुदकाश्त के नाम से कोई स्पेशल राइट्स नहीं हैं। जो खुदकाश्त वालों को राइट्स दिये गये है वे हर एक काश्तकार को भी है। खुदकाश्त लफ्ज का जो मीनिंग है उसको कानून की राय से निकाला जाय तो पर्सनल कल्टिवेशन आता है। जैसा कि कल झगड़ा चल रहा था और डेफिनिशन स्वीकार कर ली गई थी कि खुद खातेदार भी लैंड कल्टिवेट करेंगे तो टिनेन्ट्स बन सकते हैं। खुद काश्त में स्पेशल राइट्स कुछ नहीं हैं। अब यह कहा जाय कि खुदकाश्तवालों को जमीन दिलाई जायगी और यह काम स्पेशल राइट्स में आता है। मैं कहूँगा कि यह स्पेशल राइट नहीं है बल्कि उनके साथ न्याय करने के कारण से है। जागीर रिज़म्पशन के बाद वे कुचले जाते यदि उनको खुदकाश्त की जमीन नहीं दी जाती। खुद काश्त के नाम पर एक प्रकार का संक्रामक रोग हो रहा है। जागीरदारों को खुदकाश्त के नाम पर वास्तविक फायदे देकर उन लोगों को समान के स्तर पर लाना है। दूसरे लोग उनको समाज से नीचा नहीं समझें। लेकिन लोग यह कोशिश करते हैं कि इसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो जाय और रोड़े अटकाये जांय। लेकिन न्याय की दृष्टि से देखना है कि खातेदारी राइट्स क्या हैं और खुदकाश्त के राइट्स क्या हैं। यदि खातेदारी राइट्स खुदकाश्त से कम हैं तो जरूर देखें। लेकिन यहां स्पेशल रूप रखा नहीं है, जमीन का मिलना स्पेशल राइट नहीं है। जमीन तो खुदकाश्तवालों को भी मिलती है, टिनेन्ट्स एवं खातेदारों के पास भी जमीन होगी, गैर खातेदारों के पास भी जमीन होगी। यदि यह स्पेशल राइट माना जाता है तो

Page No.27

[श्री भैरोंसिंह]

यह बेकार है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस चेप्टर को बिल्कुल निकाल दिया जाय। लेकिन उसमें जो क्लॉज ८ है सक्सेशन और ट्रान्सफर के बारे में उस पर सोचना आवश्यक है। यदि खुदकाश्तवालों को स्पेशल राइट्स दिये हैं इस एक्ट के मातहत या जागीर रिजम्पशन एक्ट के मातहत जागीरदारों को टिनेन्ट्स के अलावा कुछ दिया गया है तो रेस्ट्रिक्शन होना चाहिये और मैं समझता हूँ यह उचित भी है। यदि उन पर रेस्ट्रिक्शन नहीं डाले गये तो इस अधिकार का उपयोग नहीं करेंगे। जो दरअसल में खुदकाश्त करते हैं और महज खुदकाश्त जिनके जीवन का साधन है उन पर रेस्ट्रिक्शन डाला जाय कि वे जमीन को सेल नहीं कर सकते तो यह न्यायसंगत कदम होगा और वे केपिटेलिस्टों के हाथों कुचले नहीं जावेंगे, जो जमीन को अपने हाथ में लेकर उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं। लेकिन आगे जो क्लॉज़ हैं १०,११, ११ (ए) और ६, उनमें यह है :

" Clause 9:-No Khudkasht shall be let except as provided in sections 36 and 37 "

जब हम खातेदार टिनेन्ट्स को राइट देते हैं कि वे जमीन को सब लेट कर सकते हैं और खुदकाश्तवालों को यह राइट नहीं देते हैं तो यह उनके साथ अन्याय होगा। राजस्थान क्षत्रिय महासभा के समझौते के आधार पर यदि हम देखें माननीय उपाध्यक्षजी, तो मैं निवेदन करूंगा कि उसमें हमने उनको अधिकार दिये हैं और यह समझौता स्वीकार किया है और उसके आधार पर खुदकाश्त का प्रश्न तय किया है। लेकिन यह कोई स्पेशल राइट नहीं है। जितने खुदकाश्त वाले हैं उनको खातेदारी राइट्स मिल जायेंगे। जब उनको खातेदारी राइट्स मिल जाते हैं तो उन पर स्पेशल रेस्ट्रिक्शन रखना ठीक नहीं है। जब तक जागीरें रिज्यूम नहीं की जाती हैं तब तक जागीर रिजम्पशन एक्ट से गवर्न होंगे और जब उनको खातेदारी राइट्स मिल जाते हैं तो उससे गवर्न होंगे जो टिनेन्सी एक्ट प्रोवाइड करता है। इसका मतलब यह है कि सारे के सारे खुदकाश्तवाले सब लेट नहीं कर सकते। इसमें एक जबर्दस्त अड़चन है। इसमें लिखा है कि : "On the resumption of a Jagir every Khudkasht holder shall b3 treated as a Khatedar tenant."

मेरा निवेदन यह है कि जिस प्रकार सुना गया है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के निर्णय से मालूम हुआ है कि ५ हजार से नीचे की जागीरें एडमिनिस्ट्रेटिव अड़चनों के कारण अभी खत्म करने नहीं जा रहे हैं, ५ हजार से ऊपर की जागीरें खत्म हो गई हैं या हो रही हैं व होने वाली हैं; अब जब कि ५ हजार से नीचे की जागीरें खत्म नहीं होती हैं तो ऐसी सूरत में क्या होगा ? ऐसी सूरत में यह होगा कि जो जागीरदार खातेदार टिनेन्ट्स बन सकते थे और उसके बाद सबलेट कर सकते थे वे तब तक ऐसा नहीं कर सकेंगे जब तक कि उनकी जागीर रिज्यूम नहीं हो जाती। जागीर रिज्यूम होने में ३ महीने, ६ महीने या साल भर भी लग सकता है। इस समय तक उनके क्या राइट्स हैं यह देखना है...

श्री हरिकृष्ण व्यास—राइट्स चाहिए तो जल्दी से जल्दी सुपुर्द कर दें।

श्री भैंरूसिंह—हम भी यही चाहते हैं। मैं कह रहा था कि इस पीरियड में उनके किस प्रकार के राइट्स होंगे। महज टिनेन्ट के नाते जिसमें यह कह सकते हैं कि खुदकाश्त की लैंड को सबलेट नहीं कर सकते, और जब सबलेट कर सकेंगे तो ओटोमेटिकली खातेदारी राइट मिल जायेंगे, खातेदारी राइट वाले सबलेट कर सकते हैं और खुदकाश्त वाले सबलेट नहीं कर सकते, यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं तो और क्या है। डिस्क्रिमिनेशन दरअसल में उस जगह आता है जहां खातेदार सबलेट कर सकते हैं और खुदकाश्त वाले स्पेशली सबलेट नहीं कर सकते हैं। हमको यह मानना पड़ेगा कि जो खातेदार की डेफिनिशन में आते हैं उनमें और जो जागीर रिज़म्पशन के बाद खातेदार बन जायेंगे इन दोनों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये और उनके अधिकारों पर रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिये कि खुदकाश्त वाले सबलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वे ही लोग जब २ महीने बाद खातेदार बन जाते हैं तब सबलेट कर सकते हैं। लेकिन जब तक खातेदार नहीं बनते तब तक उनका क्या होगा? जब कि हम जागीरें खत्म कर रहे हैं तो हमें ऐसे रास्ते को अपनाना चाहिये जिसमें गरीब जागीरदार तबके को रिहेबिलिटेट किया जा सके। इसका उपयोग उन गरीबों पर होगा जो दरअसल में जमीन को काश्त करके अपने आपको काश्तकार बनाने की कोशिश करेंगे।

इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार का डिस्टिंक्शन खुदकाश्त में नहीं रहना चाहिये। मेरा निवेदन है कि इस चेप्टर के नहीं रहने से जितना नुकसान हो सकता है उससे कहीं ज्यादा इस चेप्टर को रखने से होगा। आगे इस प्रकार के प्रोविज़न्स हैं, जिस जगह टीनेन्ट्स, खातेदार टीनेन्ट्स और सब टीनेन्ट्स के क्या अधिकार रहेंगे इस तरह की क्लॉजेज़ आयेंगी उस वक्त अगर रखना ही है तो वहां बता सकते हैं। इससे क्लियर पिक्चर हमारे सामने आ जायगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्लॉजेज़ ८ और ११ रहने चाहिये, ऐसी आपकी राय है?

श्री भैंरूसिंह—८ और १२।

श्री हरिकृष्ण व्यास—It my be adjusted somewhere in the Bill.

श्री घीसीसिंह--इस सदन में जो इस विषय पर बहस चल रही है इससे हम लोगों को बड़ी अड़चन मालूम पड़ रही है। एक तो अंग्रेजी भाषा और दूसरी कानूनी वकीलों की नजर। खुदकाश्त एक ऐसी चीज है परम्परा से चलती आ रही है। 'खुदकाश्त' शब्द का एक ही मतलब है कि जो स्वयं खेती करें, खुद खेत पर काम करे, पर आज इसके एक अंग के लिये अनेक अंगों को बनाया जा रहा है, यह हमारी समझ में नहीं आता। जो जागीरदार, किसान, माफीदार, बिस्वेदार, जमीदार सभी के लिये यह एक शब्द खुदकाश्त लागू हो जाता है; जो स्वयं काश्त करे वही खुदकाश्त। लेकिन आज जागीरदारों के लिए अलग, किसानों के लिये अलग, बिस्वेदारों के

[श्री घीसीसिंह]

लिए अलग और जमीदारों के लिए अलग; इस तरह अनेक रूप में क्यों बांटा जा रहा है, यह बात हमारी समझ में नहीं आ रही है।

मेरा माननीय मंत्री महोदय से यही निवेदन है कि खुदकाश्त वह है जो कि सार्वभौमिक है, सभी पर लागू है, यही टिनेन्सी एक्ट में रखा जाय। मेरा तो यही निवेदन है। इससे वह किसानों, कांश्तकारों और सारी दुनिया के लिये, जिनको नई भूमियां बांटी जाने वाली हैं, उनके लिये और जो पहले से भूमिदार हैं उनके लिये लाभदायक सिद्ध होगा। जय हिंद।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—मैं समझता हूँ कि इस चेप्टर पर शुरू में ही इतनी बहस की आवश्यकता नहीं थी। इस चेप्टर को इसलिये रखना आवश्यक समझा गया कि जिनके पास जब तक जागीरें रहती हैं उस वक्त तक उनकी जमीन को खातेदारी की जमीन मान लेना ठीक नहीं होगा। ज्यों ही जागीरें खत्म होती हैं खातेदारी के नियमों के अनुसार रेस्ट्रिक्शन्स हट कर जो भी खातेदारी की शर्तें हैं वे लागू हो जायंगी। लेकिन जब तक कि जागीरें हैं तब तक के लिये इस चेप्टर की आवश्यकता रहती है। इसको अगर नहीं रखते हैं तो यह ठीक नहीं है।

स्पेशल राइट्स इसमें कुछ नहीं हैं पर रेस्ट्रिक्शन्स अवश्य हैं, जिनका कि रहना जरूरी है। इससे कोई मुगालता नहीं होना चाहिये। खास तौर से जब तक जागीरें रहती हैं तब तक जागीरदारों को अपने इलाकों में स्पेशल राइट्स हैं। तो उनकी जो खुदकाश्त की जमीन है उस पर रेस्ट्रिक्शन्स रहने चाहिये। ज्यों ही जागीरें खत्म होती हैं वह टिनेन्ट की तारीफ में आ जाता है, खातेदार टिनेन्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि जैसा सीकर से आने वाले मेरे माननीय मित्र ने कहा कि सरकार अभी ५ हजार से नीचे की जागीरों को लेने की सोच नहीं रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार का निश्चित निर्णय हो गया है लेने का ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहने जा रहा हूँ। मैं तो उनको, जो गलत फहमी हुई है उसका निवारण करने जा रहा हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास— क्या वर्किंग कमेटी में ऐसा निर्णय किया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—वर्किंग कमेटी में इस प्रकार का निर्णय नहीं हुआ है और न यही निर्णय हुआ है कि नहीं ली जाय।

इसलिये इससे किसी बात का भ्रम नहीं होना चाहिये। जागीरें रहती हैं तब तक ऐसी रेस्ट्रिक्शन रहना आवश्यक है। सारी की सारी जागीरें एक साथ खत्म हो जायंगी; यह बात नहीं।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

इसमें कुछ समय लग सकता है । उस हालत में इस चेप्टर का रहना जरूरी है । इस चेप्टर की जो क्लॉजेज़ हैं उनके मेरिट्स के ऊपर विचार करके हम उन्हें ले सकते हैं और जो क्लॉजेज़ नहीं लेने लायक हों उन पर विचार करके छोड़ सकते हैं परन्तु इस सारे चेप्टर को छोड़ देना ठीक नहीं होगा । खुदकाश्त के क्या राइट्स होंगे, इस पर सिलेक्ट कमेटी ने भी काफी सोच विचार के बाद इसे रखा है ।

इसलिये मैं यही कहूँगा कि इस चेप्टर को डिलीट न करके इस पर विचार करें और जो वाजिब तौर से हटाने लायक हो उसे हटाया जा सकता है, उस पर विचार करने के बाद निर्णय किया जा सकता है ।

कुं श्री जसवन्तसिंह:—माननीय उपाध्यक्ष, मैंने एक दो शब्द निवेदन किये थे उस वक्त माननीय मंत्री महोदय सदन में नहीं थे । यह चेप्टर जहां कि एक परमानेन्ट लॉ बन रहा है; वहां उपयुक्त स्थान नहीं रखता । अगर आप इस चेप्टर को रखना ही चाहते हैं तो जागीर रिज़म्शन एक्ट में ये अमेंडमेंट के जरिये रख सकते हैं।थोड़े दिनों के लिये टेम्परेरी तौर से यह प्रोविजन रखा जा रहा है । कोई भी दुनियां के टिनेन्सी लॉज़ आप देखिये, कहीं भी इस तरह की टेम्परेरी चीज नहीं रखी गई है । इसके लिये हिन्दुस्तान के किसी टिनेन्सी लॉ में ऐसी टेम्परेरी चीज के लिये कोई प्रोवि-जन रखा गया हो तो बता दें ।

इसमें हम लोग जो एक वर्ग विशेष आज तक कहे जाते हैं, हम अपनी रजामन्दी से कहते हैं कि हम पर कोई कमिटमेंट, कोई ओब्लिगेशन, जैसा कि मेरे कम्युनिस्ट भाई कहते हैं कि हमें इससे फायदा होने वाला है, जो कि सही नहीं है पर हमने जो जागीर रिजम्शन को स्वीकार करके सुधार का कदम उठाया है उसी तरह टिनेन्सी में भी सुधार का काम है। हम नहीं चाहते कि किसी के लिये कोई खास बात रखी जाय । अगर इस चेप्टर को रखना है जैसा कि सिलेक्ट कमेटी ने विचार किया है कि यह बात रखी गई है, वह बात आवश्यक है और मुमकिन है इससे ज्यादा आवश्यक हो, चेप्टर रखना है तो इसके लिये उपयुक्त स्थान, ठीक स्थान जागीर रिजम्शन एक्ट में ही हो सकता है । फिर भी हमारा निवेदन है कि कोई जरूरी बात रखना चाहें वह रिलेवेन्ट क्लाजेज़ इस एक्ट में हैं वहां खुदकाश्त के बारे में सब क्लाज के रूप में प्रोविजन रख दिये जायं । हमेशा के लिये यह टीकाएं होती हैं कि ये ये विशेषताएं हमको दी जाती हैं जो हमें भी अखरती हैं और दूसरे लोगों को भी अखरती हैं ; जो हम नहीं चाहते ।

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जो रिलेवेन्ट क्लॉजेज़ हैं वहां वहां इन बातों को शामिल कर दिया जाय और इस चेप्टर को डिलीट कर दिया जाय ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—एक बात मैं साफ कर दूं कि इसमें किसी को कोई विशेषता नहीं नजर आयेगी कि किसी विशेष वर्ग को अधिकार देने के लिये यह चेप्टर रखा गया है बल्कि इसमें तो

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

रेस्ट्रिक्शन्स हैं। इसलिये मैं तो यही निवेदन करूंगा कि इस सारे चेप्टर को डिलीट करायेंगे, यह ठीक नहीं रहेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, यह जो सुझाव विरोधी दल के नेता ने दिया है कि यह अगर एक्विजिशन ऑफ खुदकाश्त राइट्स (acquisition of Khudkasht rights) से ही शुरू माना जावे तो मेरे खयाल से इसे मंजूर किया जा सकता है कि Khudkasht will be acquired,

(घंटी)

एक्वायर तो हो जावे। जागीर रिजम्शन पर, एन्जोयमेंट पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहे। इसलिये मेरा यह सुझाव है as on the commencement of this Act...

(घंटी)

श्री श्रीभानसिंह:—I beg leave to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री श्रीभानसिंह ने प्रस्तुत किया है कि अध्याय २ डिलीट किया जाय उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री श्रीभानसिंह—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

खण्ड ७

श्री उपाध्यक्ष—क्लाज ७ पर श्री नाथूराम मिर्धा अपना अमेन्डमेंट मूव करें।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय उपाध्यक्ष, क्लाज़ ७ पर मेरा अमेन्डमेंट लिस्ट नम्बर ११, सिरियल नम्बर १८२ पर है। मैंने यह जो संशोधन रखा है वह बहुत ही फोर्मल है। अभी जो क्लाज़ ७ इस कानून का है वह इस इस तरह रीड करता है :

"KHUDKASHT RIGHT—'Khudkasht right' means the sqecial rights, if any conferred on holders of Khudkasht by this Act and by the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act, 1952."

Page No.32

[श्री नाथूराम मिर्धा]

जो मैंने संशोधन मूव किया है वह यह है—

"In clause 7 and all other clauses after the words and figures 'Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act, 1952, "wherever they occur the words ('Rajasthan Act vi of 1952') be inserted."...

यह अमेन्डमेंट बहुत मामूली और सीधा है और हर कानून में जिस जगह पर उस कानून का नाम लिया जाता है उसका नम्बर भी लिखा जाना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि जहां कहीं भी 'Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act, 1952,' आया है उसके बाद में हर जगह ("Rajasthan Act VI of 1952)" जोड़ दिया जावे क्योंकि जब कभी कानून का हवाला दिया जाता है तो नम्बर का होना बहुत जरूरी है। मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री इसे स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया— I agree.

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री नाथूराम मिर्धा ने पेश किया और माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है वह स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री कुं० जसवन्तसिंह—क्लाज ७ में, माननीय उपाध्यक्ष, मैं एक छोटा सा अमेन्डमेंट मूव करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। पहले मैंने अमेन्डमेंट पेश नहीं किया है

श्री उपाध्यक्ष—Yes.

श्री कुं० जसवन्तसिंह—मौजूदा क्लाज़ में 'खुदकाश्त राइट्स' में इस प्रकार है:— "Khudkasht right means the special right, if any, conferred on holders of Khudkasht by this Act and by the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act, 1952.'

उसमें मेरा छोटा सा अमेंडमेंट यह है कि पहली पंक्ति में शब्द 'special' है वह डिलीट किया जावे।

"'Khudkasht' means the rights, if any." यह रखा जाय।

[कु'० श्री जसवन्तसिंह]

मैं तो इस बात को मानता हूं कि स्पेशल राइट्स कोई हैं नहीं और यह गलत फहमी पैदा करता है, इसलिये शब्द 'special' को डिलीट कर दिया जावे तो अच्छा होगा।

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, वैसे तो इस क्लॉज़ की शब्दावली को देखा जावे तो "special rights, if any"; इससे मैं यह कहूंगा कि सरकार को खुद को निश्चित नहीं कि वह क्या चाहती है। जो लोग कानून बनाने जा रहे हैं उनको भी कुछ निश्चित नहीं कि उसके तहत में स्पेशल राइट्स हैं या नहीं। मैं निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को मंजूर कर लिया जावे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मुझे कोई ओब्जेक्शन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जसवन्तसिंहजी ने प्रस्तुत किया और माननीय मंत्री महोदय ने अनुमोदित किया, स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि क्लॉज़ नम्बर ७, जैसा कि संशोधित है, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

खण्ड ८

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज़ ८, श्री जवानसिंह।

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मेरा संशोधन खण्ड ८ में इस प्रकार है :

"In sub clause 8 (i) the words "Or after the resumption......landed property" be deleted.

तो फिर यह सब क्लॉज़ इस प्रकार होगा : "Khudkasht right shall develop upon the person who succeeds to the estate of a Jagirdar."

[श्री जवानसिंह]

शब्द 'जागीरदार' के बाद तक यह खत्म हो जाना चाहिये । उसके बाद के शब्द " or after the resumption of his jagir under the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act, 1952, to his landed property" डिलीट कर देने चाहिये । मैं समझता हूं कि मेरा संशोधन जो मैंने पेश किया है वह बहुत साफ है और आपके समझ में आ जाना चाहिये ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कौनसे सीरियल नम्बर पर आपका संशोधन है ?

श्री उपाध्यक्ष—लिस्ट नम्बर १ में एमेन्डमेन्ट नम्बर ७ है ।

श्री जवानसिंह—मेरा ख्याल है, अब मेरा अमेन्डमेंट समझ में आ गया होगा । मैंने यह संशोधन इसलिये पेश किया है कि जब तक जागीर रिजम्पशन नहीं हो जाती तब तक जागीरदारों के कब्जे की भूमि उनकी खुदकाश्त के नाम से पुकारी जावेगी और जब जागीर रिजम्पशन हो जावेगा उसके पश्चात् उस जागीरदार को खुदकाश्त भूमि पर वही राइट्स और लाइबिलिटीज होंगी जो साधारण खातेदार को होंगीं और यही चीज साफ तौर से हमें खण्ड १२ में मालूम हो जाती हैं । धारा १२ में इस प्रकार लिखा है :

"On the resumption of a Jagir under the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act, 1952, the Jagirdar holding Khudkasht shall become a Khatedar tenant thereof, and he shall be entitled to all the rights conferred and be subject to all the liabilities imposed on a Khatedar tenant by or under this Act."

तो इस प्रकार से जब जागीरों का रिजम्पशन हो जाता है उसके बाद जागीरदार अपनी खुदकाश्त भूमि पर खातेदार बन जाता है और जो खातेदारी के हक होने चाहिये वे ही उसको प्राप्त होंगे ।

वह साधारण भूमि काश्त की है और जागीरदार उस भूमि पर केवल खातेदार टिनेन्ट है । किस कदर से खातेदार टिनेन्ट का सक्सेशन होगा वह आगे की धाराओं में, चेप्टर ४ में, दिखलाया है कि जैसा पर्सनल ला जिस काश्तकार का होगा उसी के माफिक सक्सेशन और इनहेरिटेन्स लागू होंगे । तो इस प्रकार से हर एक चीज़ साफ है और यहां पर ये शब्द रखना कि जागीरदार की मृत्यु के बाद में उसकी खुदकाश्त की भूमि पर क्या असर पड़ेगा मेरा ख्याल है कि कोई माने नहीं रखते हैं, इसलिये ये शब्द उड़ा देने चाहिये ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्षजी, यह जो बहुत ही इनओफेन्सिव अमेन्डमेंट मूव किया गया है, इसके जरिये मेरे मित्र उन चीजों को करवाना चाहते हैं जो कि अभी कुछ

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

देर पहले भरतपुर से आये हुये मित्र ने अपने बड़े से संशोधन में रखी थीं। इस प्रकार से येन केन प्रकारेण मेरे माननीय मित्र यह स्थिति ला देना चाहते हैं कि जो खुदकाश्त दर्ज हो गई है और उस पर जो थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शन्स हैं वे भी हटा दिये जांय। लेकिन वे साफ साफ नहीं कहते। कभी तो कहते हैं प्रतिक्रियावादी मुझे, कभी कहते हैं बात समझ में नहीं आई। बात तो सब समझ में आती है लेकिन टंटा इस बात का है माननीय उपाध्यक्षजी, मैं अर्ज करूं कि खुदकाश्त एक्वायर हो गई ऐसे ही ? काश्तकारों ने जो खातेदारी राइट्स एक्वायर किये लगातार काश्त करके और उनको एक्वायर हो गई ऐसे ही। तो उस पर गवर्नमेंट ने इस एक्ट के जरिये कुछ रेस्ट्रिक्शन्स डाले हैं जैसे गिफ्ट के सिलसिले में, सबलेटिंग के सिलसिले में। कहीं कहीं खातेदार के बराबर रखा है तो कहीं कहीं रेस्ट्रिक्शन्स डाले हैं पर्टीक्युलरली ट्रान्सफर्स के बारे में। यह ट्रांसफर का खास मुद्दा है और मेरे मित्र यह कहते हैं कि खुदकाश्त न मिले तब तक तो हमारे स्पेशल राइट्स रखें और खुदकाश्त रखने के बाद बराबर कर दें। तो अगर बराबर की मांग हो तो शुरू से ही हो और मैं उसका समर्थन करूंगा चाहे और कोई करे या न करे, इस बात का मेरा दावा नहीं। जैसे खातेदारी राइट्स एक्वायर करने के लिये इसमें सेक्शन १२ रखा है उसी तरह खुदकाश्त एक्वायर करने के लिये जो जो प्रोविज़न्स है they shall be deemed to be invalid and void और जैसे खातेदार को खातेदारी हकूक मिलते हैं उसी प्रकार भूस्वामी को खातेदारी हकूक मिलेंगे। उस बात पर आ जायें और फिर खुदकाश्त के हकूक प्राप्त करें। लेकिन स्पेशल राइट्स भी दें और रेस्ट्रिक्शन्स लगाते हैं तो फिर कहते हैं कि खातेदार कर दें। यह क्या बात है ? तो असल बात यह है कि खुदकाश्त राइट्स मिले हैं, यह नहीं है कि कोई राइट्स नहीं मिले हैं। मैं कहता हूं कि सब से बड़ा राइट तो यह मिला है कि बगैर काश्त किये ही जमीन खुदकाश्त दर्ज हो गई। इसको मेरे मित्र लीगल फिक्शन कहते हैं, इसको रीयल उलझन कहते हैं। उनके जो यह राइट्स बन गये हैं उसके बाद वे क्या कहते हैं ? जो रेस्ट्रिक्शन्स हैं, जहां जहां हैं उस जगह मेरे मित्र संशोधन लाते हैं कि इसको हटा दें। नहीं, वे रहने चाहिये। वे रेस्ट्रिक्शन्स ट्रांसफर वगैरह में आते हैं। अब परेशानी होती है। क्यों ? हकीकत में वह (परेशानी) जायज नहीं। जो मित्र संशोधन रखते हैं, उनसे उनका हित होता हो या नहीं किन्तु कुछ मित्रों का जरूर होता है और वह इसलिये होता है कि रेकर्ड्स वगैरह चेक हुए हैं, सेटलमेंट के रेकर्ड्स देखने के बाद उन्हें यह मालूम पड़ा है कि कहीं चार हजार बीघा और कहीं छ हजार बीघा जमीन खुदकाश्त के रूप में दर्ज पायी गयी है। जब परेशानी होती है कि इसका अब आगे क्या हो ; मैं यह नहीं कहता कि जो अमेन्डमेंट रखते हैं और जो समर्थन करते हैं उनको होती है।

श्री जयनारसिंह—इस वक्त तो आपको हो रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मुझे तो घबराहट हो रहा है कि कहीं घोटाला न हो जाय। परेशानी तो उनको हो रही है जिनके नाम जमीन खुदकाश्त के रूप में दर्ज है। आप सोच रहे हैं कि अब आगे क्या होगा ? थोड़े से रेस्ट्रिक्शन्स इसमें लगाये हैं कि सब लेटिंग करेंगे तो यह हो जायगा,

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

लीज करेंगे तो यह हो जायगा। खातेदार टिनेन्ट्स से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन्स लगाये हैं। अब कहते हैं कि खातेदार बना दें। ६ हजार, पांच हजार बीघा जमीन रख ली और कहते हैं कि खातेदार बना दें। यदि खातेदार टिनेन्ट बनाना ही है और अगर बराबरी का दर्जा लेना है और स्पेशल राइट्स न लेने की बात है तो यहां है वैसा ही इसे छोड़ करके एक्विजिशन से खातेदारी के राइट्स आ जायं। किन्तु यह चीज़ नहीं है और जबरदस्ती एक मुगालता दिया जा रहा है। तो मैं अर्ज करूंगा कि मेरे मित्र जो इस प्रकार से छोटे छोटे अमेन्डमेन्ट्स लाते हैं उनको स्वीकार न किया जाय। यदि इनको रखने की ही उनकी मुराद है तो एक्विज़िशन के बारे में जो स्पेशल राइट्स हैं उनको हटा दिया जाय।

श्री भैरोसिंह (केलवा)—माननीय उपाध्यक्षजी, जो श्री जवानसिंहजी ने संशोधन पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। यह जो अन्तर है खुदकाश्त का और खातेदारी टिनेन्ट का इसमें सिर्फ यही अन्तर है कि वह खुदकाश्तवाला खातेदार भी है और हासिल भी खुद ही लेता है और खातेदार टिनेन्ट खुद हासिल नहीं लेता; इसके अलावा अन्तर नहीं है। लेन्ड रेवेन्यू जागीरदार लेता है अपनी जागीर का, या जो खुदकाश्त लेन्ड का रेवेन्यू लेता है उसका अन्तर है, बाकी अन्तर नहीं है। खुदकाश्त में टिनेन्ट्स के राइट्स हैं और अपने आप रेवेन्यू लेने के भी राइट्स हैं। सिर्फ इतना ही फर्क है कि रेवेन्यू स्टेट में चला जायगा तो वह खातेदार टिनेन्ट हो जायगा। एक हमारे मित्र ने कहा कि काश्त के हक़ूक हैं। मैं कहता हूं कि बहुत से ऐसे हैं जो खुदकाश्त करवाते हैं और उसके अलावा भी उनकी खुदकाश्त जमीन है। खुदकाश्त भी करते हैं, वे टिनेन्ट भी हैं और जो रेवेन्यू भी लेते हैं। जागीर एबोलिशन के बाद में यह हो जायगा कि हर एक से लेन्ड रेवेन्यू ली जाय। हर एक टिनेन्ट है और कोई ऐसा नहीं है कि जो टिनेन्ट नहीं है। इस वक्त स्थिति यह है कि दो आने जो लिये जाते हैं वे रेवेन्यू में जमा किये जाते हैं और उस दृष्टिकोण से करीब २ सबकाश्तकार हो जाते हैं। ऐसा कोई जागीरदार इस स्थिति में नहीं है कि खुदकाश्त का लगान ट्रिब्यूट की तरह देता हो, ट्रिब्यूट कोई नहीं देता है। अन्तर केवल तब तक है जब तक कि जागीरें पूरी तरह से रिज़्यूम नहीं हो जातीं। जागीरें रिज़्यूम होने पर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जो खुदकाश्त करता है उस पर भी इसका असर नहीं पड़ने वाला है। खुदकाश्त ज्यादा है तो जागीर रिज़्यूम होते ही लेन्ड रेवेन्यू गवर्नमेंट में चला जायगा और वे ऑटोमेटिकली खातेदार टिनेन्ट बन जावेंगे और राजस्थान लेन्ड रिफॉर्म्स एक्ट के अनुसार 'लेन्डेड प्रोपर्टी' जो खुदकाश्त है उस पर असर नहीं पडने वाला है। सिर्फ असर उस पर इतना पड़ेगा कि उसकी लेन्ड रेवेन्यू सरकार में जमा करावेंगे। अतः यह शब्द इररिलेवेन्ट हैं एवं रिडन्डेन्ट हैं, इन्हें डिलीट कर दिया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—श्री खेतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, लिस्ट नं० ५ पेज नं० ५ क्रम संख्या ७८ पर मेरा अमेन्डमेंट क्लॉज़ ८ में इस प्रकार है :

I want the words 'with another khudkasht' being inserted between the words 'exchange' and the words 'or by'. And add at the end the following:—

'of a dependent and made in a bonafide way'.

मेरे अमेन्डमेंट के बाद यह क्लॉज़ इस प्रकार पढ़ा जायगा सब क्लॉज़ (२) :

"Khudkasht right is not transferable except by exchange with another Khudkasht or by partition of the estate or landed property of a jagirdar or by gift for the purpose of maintenance of a dependent and made in a bonafide way."

इसमें जो संशोधन मैंने रखा है उसका ताल्लुक दो चीजों से है। पहला तो एक्सचेंज से है। इस सब क्लॉज़ में एक्सचेन्ज के सिलसिले में यह प्रोविजन है कि एक्सचेंज किया जा सकता है, खुदकाश्त राइट ट्रांसफर हो सकते हैं। खुदकाश्त की स्पेशल केटेगरी को खातेदारी से इन्कॉरपोरेट किया गया है। खातेदार एक स्पेशल टर्म है और खुदकाश्त स्पेशल केटेगरी है। खातेदारी के सिलसिले में, इसको ट्रान्सफर करने के सिलसिले में रेस्ट्रिक्शन लगाया है कि सेम क्लास में ट्रांसफर हो सकता है। खुदकाश्त के सिलसिले में भी यह रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहिये, एक्सचेन्ज हो सकता है खुदकाश्त से पर the exchange must be between the same class of categories of tenants.

दूसरा मेरा संशोधन यह है कि इस सब क्लॉज़ के दूसरे पार्ट में आखिरी लाइन में by gift for the purpose of maintaineuce का जिक्र है। यह जो खुदकाश्त राइट्स हैं वे ट्रान्सफर हो सकते हैं; by a gift for the purpose of maintainance यह क्लॉज़ काफी Vague क्लॉज़ है। गिफ्ट फॉर मेन्टीनेन्स का आखिर मतलब क्या है? इस संशोधन द्वारा स्पेसिफाइ कर दिया गया है। गिफ्ट टू ए डिपेन्डेन्ट किया जा सकता है। और जो बोनाफाइड वे है उसी रूप में वह हो सकता है। इस एक्ट के प्रोविजन्स को क्लॉज़ बाई क्लॉज़ पास करने के लिये स्यूरियस एक्ट किया गया है; मेलाफाइड गिफ्ट किया जाय तो वह इसमें कवर नहीं होगा। हम मेन्टीनेन्स को इतना बड़ा अनक्वालिफाइड अन रेस्ट्रिक्टेड स्कोप नहीं दे सकते। इसलिये मेन्टीनेन्स को स्पेसिफाइ कर दिया जाय। इस तरह से "मेड इन ए बोनाफाइड वे, एड कर दिया जाय। इससे नीयत के बारे में भी शक नहीं रहेगा। इस तरह के दो मेरे संशोधन हैं। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री इन्हें स्वीकार करेंगे।

श्री श्रीदास गोयल—उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ८ के सिलसिले में दो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं उसी के सिलसिले में मैं दो शब्द अर्ज करना चाहता हूँ। अभी हमने कन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग के सिलसिले में एक एक्ट बनाया था उसके पीछे हमारी एक बहुत बड़ी इच्छा यह निहित थी कि जहां तक हो लोग आपस में जमीन एक दूसरे को ट्रान्सफर करके इस प्रकार की मिसाल रखें कि जमीन के टुकड़े न हों, खेती करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो, fragmentation न हों।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पहले सब अमेन्डमेन्ट मूव हो जांय उसके बाद बहस हो तो ठीक रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष—श्री नाथूराम मिर्धा अपने अमेंडमेंट को मूव करें।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय उपाध्यक्षजी, खन्ड ८ के तीन सब क्लॉजेज़ हैं और तीनों सब क्लॉजेज़ में मेरे तीन अमेन्डमेंट हैं और वे लिस्ट नं० ११, अमेन्डमेंट संख्या १८३ पर दर्ज हैं।

मौजूदा क्लॉज़ ८ का सब क्लॉज़ (ग) इस प्रकार है; ... "Khudkasht right shall devolve upon the person who..."

श्री जवानसिंह—ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं एक पॉइन्ट के सम्बन्ध में आपका रूलिंग चाहता हूँ। कोई सदस्य जो सिलेक्ट कमेटी का मेम्बर रह चुका हो और जिसने सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हों और जिनका किसी प्रकार का नोट ऑफ डिसेन्ट न हो तो क्या उन माननीय सदस्य को अधिकार है कि सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर जब कि उन्होंने सहमति जाहिर कर दी थी तो उसके खिलाफ किसी तरह के कोई संशोधन मूव कर सकते हैं जब कि क्लॉज़ बाई क्लॉज़ बिल कन्सीडरेशन में लिया जाता हो।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Objection under what rule?

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस बारे में रूल्स ऑफ प्रोसीजर में किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं है।

श्री जवानसिंह (अपना भाषण जारी रखते हुए)—हो सकता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर में कोई रेस्ट्रिक्शन न हो इसके लिए किन्तु यह कनवेन्शन और प्रेक्टिस का सवाल है, इस चीज को हमें मानना चाहिये। अभी तक किसी भी विधान सभा में ऐसा देखने में नहीं आया कि कोई सदस्य पहले किसी चीज के लिए एक दफा हां भरता है और बाद में उस चीज से इत्तिफाक नहीं करता। जो सदस्य सदन में इतना मान रखते हैं वे सदस्य एक दफा किसी बात को स्वीकार कर लेने पर बाद में उसके लिए ना नहीं कहते हैं। इस क़दर अगर एक बात के लिये जो सत्य है यदि

[श्री जवानसिंह]

उसको बाद में फेरफार कर दिया जाता है तो लोग बड़ी मुश्किल में पड़ जायेंगे उनकी बातों को समझने में। माननीय सदस्य कहने में कितनी सत्यता रखते हैं और कितने दिनों तक उस सत्य को सत्य मानें, यह बात विचारणीय हो जायगी और कितने अर्से के बाद वह सत्य बात सत्य नहीं रह जाती है इसका निर्णय करना मुश्किल होगा। इसी बात को लेकर मैं यह निवेदन करूंगा कि हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं फिर भी यह एक प्रकार से कन्वेन्शन है और स्वस्थ परम्परा है।

श्री नाथूराम मिर्धा—पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, पर रूलिंग हो जाने दीजिये।

श्री जवानसिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए)·यह मुझे इसलिये निवेदन करने की आवश्यकता प्रतीत हुई कि एक माननीय सदस्य ने रूल को कोट करने को कहा। रूल हों तभी माना जाय, यह बात नही है। हमारे लेजिस्लेचर के कुछ कन्वेन्शन्स और परम्परायें भी हुआ करती हैं उन्हीं की तहत में मैं निवेदन करूंगा कि यह एक मिसाल हो जायगी; इसलिये माननीय उपाध्यक्ष इसके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से अपना रूलिंग दें।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय मित्र ने जो एतराज उठाया है उसके लिये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में कोई स्थान नहीं है। इसके पीछे मूल कारण यह है कि हम कोई गणपति या बृहस्पति के अवतार तो हैं नहीं जो एक दफा कर दिया सो कर दिया; उसमें भविष्य में सुधार करने की किसी प्रकार गुंजाइश न हो। इस बिल में अब हम यह अनुभव कर रहे हैं कि कुछ बातें जो उस समय हमारे ध्यान में नहीं आयी थीं उनका समावेश किया जाय। स्वस्थ एक्ट बनाने के लिए उन बातों का होना आवश्यक है इसलिये इसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं आनी चाहिये। यदि हमें स्वस्थ एक्ट बनाना है तो इस प्रकार के सुधार इसमें होने जरूरी हैं। इसलिये जो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर माननीय मित्र ने उठाया है वह ठीक नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—According to the practice followed in the Summary Settlement Bill, by estoppel, they are debarred.

समेरी सेटलमेंट बिल में सिलेक्ट कमेटी के मेरे माननीय मित्र ने जो कि उसमें मेम्बर थे अपना नोट ऑफ डिसेंट नहीं दिया। पर फिर भी उन्होंने उसमें अमेंडमेंट मूव किया था और वह एडमिट हुआ है।

दूसरी बात, अगर यह रेस्ट्रिक्शन होगी तो मेम्बर इंचार्ज को अमेन्डमेंट एक्सेप्ट करने में भी एतराज होगा। सिलेक्ट कमेटी में बैठकर हमारी बात मान ली तो फिर दूसरे की बात क्यों न मान ली जानी चाहिये।

तो इसलिये मेरा यह निवेदन है कि ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिये। यह चीज न रूल्स में है और न कन्वेन्शन में ही है।

श्री भैंरूसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय श्री जवानसिंहजी ने जो एतराज उठाया उसके विरोध में जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने समेरी सैटलमेन्ट का जिक्र करके कुछ कहा।

जिन सदस्य को बोलने की इजाजत दी गई थी उनके बारे में यह सूचना थी कि वह सिलेक्ट कमेटी की मीटिंग में हाजिर नहीं हुए थे और उनकी अनुपस्थिति भी किसी विशेष कारण से हुई थी इसलिये मुझे जहां तक याद है जो माननीय सदस्य अनुपस्थित थे उनको आज्ञा दी थी कि वे सदन में अपना संशोधन रख सकते हैं और यह जो कहा जा रहा है कि रूल नहीं है तो उसके लिए मैं आपका ध्यान रूल १३३ की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जिसमें पार्ट ८ में लिखा है :

"Any Member of a Select Committee may record a minute of dissent on any matter or matters, connected with the Bill or dealt within the Report."

यदि इसका कोई चान्स नहीं होता तो इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इसका मतलब यह है कि जो महानुभाव अनुपस्थित हों नहीं और डिसेन्ट का नोट भी न दें, जो रिपोर्ट प्रकाशित की जावे उसमें किसी प्रकार का एतराज है तो नोट ऑफ डिसेन्ट के रूप में उनका एतराज चल सकता है और अगर यह नोट ऑफ डिसेन्ट नहीं होता है उस रिपोर्ट में तो ओटोमेटिकली यह समझा जाता है कि उस रिपोर्ट से पूर्णतया वे सहमत हैं। इसलिये उनके डिसेन्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता और अब यदि कोई एतराज आता है तो उसके लिए फिर कोई विशेष आधार दिया और विशेष कारण बताया जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में भी ऐसा प्रश्न उपस्थित कर सकते हैं।

इसलिए हाउस में एक कन्वेन्शन बनाने के लिए हमें इस पर गौर करना होगा। हमें आगे जाकर और भी कानून पास करने हैं, उनमें भी इस प्रकार का डिस्कस करने का मौका दिया गया तो आज इसी बिल में नहीं, आगे भी जितने बिल होंगे उनमें सिलेक्ट कमेटी के जो मेम्बर होंगे वे यह सोच लेंगे कि अगर सिलेक्ट कमेटी में ध्यान नहीं देंगे तो भी काम चल जावेगा, जब यह डिस्कशन के लिए सदन में आवेगा तब वहां अच्छी डिबेट करके अपने संशोधन मंजूर करा लेंगे। तो अगर हाउस के कन्वेन्शन को ठीक रखना है तो हमें इस प्रकार के नियम और इस प्रकार के कन्वेन्शन्स बना देने पड़ेंगे कि सिलेक्ट कमेटी का मेम्बर डिबेट में भाग नहीं ले सकेगा और इस प्रकार से अपने संशोधन पेश नहीं कर सकेगा।

श्री कानसिंह—यह जो सदन के सामने प्रश्न उपस्थित हुआ है इसमें अगर इस तरह से सिलेक्ट कमेटी के किसी सदस्य को सिलेक्ट कमेटी की मीटिंग के अलावा यहां पर भी बोलने की इजाजत दी जाती है तो फिर तो आइन्दा कोई बिल सिलेक्ट कमेटी में भेजने की जरूरत ही नहीं

Page No.41

[श्री कानसिंह]

रहती क्योंकि कोई भी बिल भेजा जाता है सिलेक्ट कमेटी में पूरे विचार करने के लिये और सदन का समय बचाने के लिए। अब यदि यहां फिर उस कमेटी के मेम्बरों को भी संशोधन रखने और बोलने का अवसर दिया जाता है तो न समय सदन का बचता है और न सिलेक्ट कमेटी में ही पूरी तरह से विचार किया प्रतीत होता है। आखिर फिर फिरा कर सदन को ही उस पर पूरा पूरा विचार करना पड़ता है। इसलिये यह सही परम्परा डाली जावे। यह कहते हुए मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि सिलेक्ट कमेटी के सदस्य को यहां बोलने की इजाजत न दी जावे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जहां तक कन्वेन्शन का सवाल है पार्लियामेन्ट तक में यह कन्वेन्शन है कि सिलेक्ट कमेटी का सदस्य वहां पर भी अमेंडमेंट मूव कर सकता है। इसके लिये कन्वेन्शन पार्लियामेंट का मौजूद है।

इसके अलावा मेरे माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंहजी ने जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर की बात कही और जो उसकी धारा को भी क्वोट किया उसमें तो नोट ऑफ डिसेंट का उल्लेख है। वहीं वह क्लॉज़ समाप्त हो जाता है। इसके आगे जाकर कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो इससे कोई मतलब नहीं निकलता।

फिर सिरोही से आने वाले मेरे मित्र श्री जवानसिंहजी एक तरफ तो स्वयं इस कन्वेन्शन की बात कहते हैं वहां दूसरी तरफ स्वयं इसके चेप्टर दो को डिलीट करने की बात कहते हैं जो कि इस टिनेन्सी बिल की सिलेक्ट कमेटी के एक मेम्बर हैं। दूसरों के लिए रेस्ट्रिक्शन लगाने की बात कहते हैं पर खुद पर रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहते।

श्री जवानसिंह—मैंने तो इस पर नोट ऑफ डिसेंन्ट भी लगाया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Not for the deletion of the whole chapter.

श्री उपाध्यक्ष—साधारण तौर पर यह बात है कि जो सिलेक्ट कमेटी में सदस्य रहा है वह संशोधन प्रस्तुत न करे क्योंकि उनको काफी बहस और सूचना के लिये समय मिलता है। लेकिन विशेष बात अगर कोई उनको कहनी हो या स्पष्ट करनी हो तो उसके लिये उनको अधिकार रहता है और अमेन्डमेन्ट मूव न करें ऐसी कोई रोक नहीं है; यानि अमेन्डमेन्ट भी मूव कर सकते हैं।

साधारण तौर पर यह बात है कि जो सदस्य काफी विचार कर चुके हैं वे कोई विशेष रूप से संशोधन न लावें और न विशेष बहस को लम्बी करें, दूसरे सदस्यों को वे मौका दें। पर जो खास बात कहने की होती है या कोई सुधार की बात है या और कोई सुझाव है

[श्री उपाध्यक्ष]

जिसको कि वे उचित मानते हैं तो वे उसको रख सकते हैं। इसके लिये कोई रोक नहीं है।

श्री जवानसिंह—मैं इस सिलसिले में और क्लैरिफिकेशन चाहूँगा कि सामान्य और विशेष और इसके अलावा आपने यह चीज़ कही कि बहुत जरूरी और गैर जरूरी, इनके तय होने का आधार, मेरा खयाल है चैयर ही है और इसलिये कोई भी सिलेक्ट कमेटी का सदस्य आपकी इस रूलिंग के माफिक अगर कोई विशेष चीज़ कहना चाहता है, सामान्य न होने के नाते, तो उसका यह फर्ज माना जावेगा, इस रूलिंग के नाते कि वह सामान्य है या विशेष है, इसका पहले निर्णय कराना पड़ेगा और इस चीज़ की अनुमति चैयर से प्राप्त करने के बाद ही वह सिलेक्ट कमेटी का सदस्य अमेन्डमेन्ट मूव कर सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष—इसका उल्लेख लिस्ट ऑफ बिजनैस में है इसलिये अनुमति तो हो ही चुकी है।

श्री हिम्मतसिंह—गलती से हो गई होगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय उपाध्यक्षजी साहब, यह जो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया गया इसके लिये इतना ही कहना चाहता हूँ कि सिलेक्ट कमेटी में जब हम बैठे थे तब इन सारी बातों पर काफी विचार हुआ था। ..

श्री हिम्मतसिंह—वापिस फिर हो रहा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा—इसमें भाषा को ठीक करने के लिए अमेन्डमेन्ट रक्खा है। बाकी बुनियादी तौर से वही बात है, इसके विपरीत ऐसी कोई बात इस अमेन्डमेन्ट में नहीं है।

श्री हिम्मतसिंह—मैं समझता हूँ कि इसी प्रिन्सिपल को आप रेस्ट्रिक्ट करेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा—जी हां।

मौजूदा क्लॉज़ इस प्रकार है ?

" Khudkasht right shall devolve upon the person who succeeds to the estate of a jagirdar or, after the resumption of his jagir under the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Aet, 1952, to his landed property. "

[श्री नाथूराम मिर्धा]

श्री जवानसिंह जी ने भी इस क्लॉज़ पर संशोधन रक्खा था और उन्होंने यह कहा था कि यह सब क्लॉज़ 'Khudkasht right shall devolve upon the person who sncceeds to the estate of a jagirdar' यहां पर आकर खतम हो जावे और इसके पीछे का हिस्सा डिलीट कर दिया जावे।

मेरा जो सुझाव है उसमें यह है कि 'to the estate of a jagirdar' के बजाय वर्ड 'खुदकाश्त' लिख दिया जाय और इसके आगे का हिस्सा सब क्लॉज़ का है वह काट दिया जावे। ऐसा कहने का मेरा मतलब यह है कि 'Sueceed to the estate of a jagirdar...'यह बहुत बड़ी टर्म है और इसमें जागीरदार की सीर, हवाला और एस्टेट और प्रोपर्टी का सवाल इन्वोल्व है और मोस्टली हम इसमें खुदकाश्त की धाराओं को डील कर रहे हैं और खुदकाश्त के लिए जब हमने यह रक्खा है, वह मेरे अमेन्डमेन्ट के बाद में इस प्रकार हो जावेगा: " Khudkasht right shall devolve upon the person who succeeds to the Khudkasht' इसका मतलब यह है कि एक जागीरदार की जिस तरह की दूसरी प्रोपर्टी होती है, एस्टेट ऑफ दी जागीरदार वह एकोर्डिंग टू दी ला ऑफ प्राइमोजेनिचर सिर्फ बड़े लड़के में डिवोल्व हो सकती है, परन्तु खुदकाश्त कर देने से उसका अर्थ यह होगा कि जागीरदार खुदकाश्त की जमीन को अपने छोटे लड़कों को बीच के या मीडियम लडकों को, दे सकता है और वह लेन्ड लड़कों की खुदकाश्त मानी जायगी। इससे सिर्फ क्लेरिफिकेशन हो जाता है और यह दफा हमारी बिल्कुल साफ हो जाती है।

इसके बाद में जो सब क्लॉज़ (२) पर मेरा अमेन्डमेन्ट है :

"(2) Khudkasht right is not transferable except by exchange or by partition of the estate or landed proptrty of a jagirdar or by gift for the purpose of maintenance"इसके लिए यह वर्ड्स"the estate or landed property of a jagirdar" शब्द हैं उनके बजाय में मैंने यह सुझाव रखा है कि एक वर्ड "the khudkasht" be substituted और इसके बाद में यह जो है वह उसी तरह से "or by gift for the purpose of maintenance" यह बरकरार कायम रखा जाय। यहां हम सिर्फ खुदकाश्त पर बात कर रहे हैं इस चेप्टर में।

इसके बाद में जो सबक्लॉज़ (३) है "On exchange each party shall have the same right to the land received in exchange as he had in the land given by him in

[श्री नाथूराम मिर्धा]

exchange." इसके बजाय मैंने थोड़ा भाषा का भी सुझाव रखा है। इसमें सिर्फ भाषा का ही सुझाव इसके लिए है। "as it had in the land given by it in exchange."

मतलब यह कि उस लेन्ड के साथ में जो राइट्स हैं उनको वर्ड "इट" लगाकर क्वालिफाई कर दिया है। यह एक शब्द हटाकर दूसरा नया शब्द जोड़ने का, मैं मानता हूं, वह एक बिल्कुल फॉरमल अमेंडमेंट है। इससे सबक्लॉज़ की भाषा को अच्छा बनाया है और सारा सेन्स इससे क्लेरिफाई होता है। इसी इरादे से यह संशोधन मैंने रखा है और मैं आशा करता हूं कि यह संशोधन कबूल होगा।

श्री जसवन्तसिंह–माननीय उपाध्यक्षजी, अभी जो माननीय सदस्य ने अमेंडमेंट मूव किया है उसके लिए मुझे थोड़े स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। उसे तो इस सबक्लॉज़ (१) में...

श्री श्रीदासगोयल—on a point of order, Sir, are there any amendments to Clause 8 ?

श्री उपाध्यक्ष—There are none.

श्री जसवन्तसिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुये) सबक्लॉज़ (१) में जो अमेंड-मेंट किया उसमें आपने फरमाया है कि "Khudkasht right shall devolve upon the person who succeeds to the Khudkasht" ; तो यह मेरी समझ में नहीं आया कि under the Land Reforms & Jagir Resumption Act खुदकाश्त कोई प्रोप्रर्टी नहीं है, सक्सेशन अगर होगा तो एस्टेट का होगा, किसी चीज का होगा। खुदकाश्त एक एब्सट्रेक्ट टर्म हैं जिसे यहां पर सब्स्टीट्यूट करना मेरी समझ में नहीं आया। खुदकाश्त एक राइट है और वह सक्सीड किसी ऑब्जेक्ट को करेगा। इसलिए "Khudkasht rights shall devolve upon the person who succeeds to the estate of a jagirdar" यह जो माननीय जवानसिंह ने अमेंडमेंट रखा उसका कुछ मतलब हो सकता है और समझ में भी आ सकता है कि सक्सीड अगर कोई आदमी करेगा तो एस्टेट को करेगा। कोई भी एब्स्ट्रेक्ट टर्म का किसी राइट का सक्सेशन नहीं हो सकता है। इनके दूसरे संशोधन को तो मैं समझ सकता हूं। लेन्ड रिफार्म्स एन्ड जागीर रिजम्प्शन में लेन्डेडप्रोपर्टी है वह तो डिलीट हो जाय तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन "एस्टेट ऑफ ए जागीरदार" के डिलीट होने से बड़ी विषम स्थिति पैदा हो जायगी।

इसके सिवाय माननीय सदस्य ने यह फरमाया कि सक्सेशन का प्राइमोजेनिचर लॉ हो, चाहे बराबर का वितरण हो जैसा दूसरे काश्तकारों का होता है तो हम लोगों ने यह चेप्टर में रखा है कि वे परसनल ला से गवर्न होंगे जैसा कि शेखावाटी में चूंटडी बंट होता है, जितने लडके होते हैं उनको

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

बराबर २ हिस्सा मिलता है। ज्यादातर राजस्थान में प्राइमोजेनिचर लॉ है। सक्सेशन करेगा तो वह परसनल लॉ के मुताबिक करेगा। तो अगर खुदकाश्त में सक्सेशन रखा गया तो मैं नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि इसकी हंसी हो जायगी। आज उस चीज को डिसाइड नहीं कर रहे हैं, खुदकाश्त को डिसाइड करने में बहुत अरसा लगेगा। एक abstract चीज है उसको सक्सीड करना बिल्कुल एक गलत बात होगी। सही बात यह होगी : "Khudkasht rights shall devolve upon the person who succeeds to the estate of a jagirdar." इसको हरेक आदमी समझ सकता है। परसनल लॉ से यह बात गवर्न होगी और किसी को दुविधा नहीं होगी। लेकिन खुदकाश्त में संशोधन करने से गलतफहमियां हो जायंगीं और इसके सिवाय एक एब्सर्ड सी बात होगी। मैं निवेदन करूंगा, माननीय सदस्य से कि सीधी सी बातों में कन्फ्यूजन में नहीं डालेंगे। बाकी के हिस्से तो ठीक हैं लेकिन इस हिस्से पर दुबारा गौर करेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय उपाध्यक्ष ...

श्री हिम्मतसिंह—यह खुदकाश्त का जो अमेंडमेंट रखा है तो बहुत सारे ऐसे इन्स्टान्सेज़ आयेंगे कि जहां किसी जागीरदार के पास खुदकाश्त में एक बिस्वा भी जमीन नहीं है तो उसके जो एयर्स हैं वह किसको सक्सीड करेंगें। वे एस्टेट को सक्सीड करेंगे। बाद में खुदकाश्त का प्रोविजन करेंगें। आपने जागीर रिज्यूम कर ली और उसके पास खुदकाश्त की जमीन नहीं है फिर क्या इसका मतलब यह है कि उसके एयर्स को खुदकाश्त नहीं मिलेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इससे उसका क्या ताल्लुक है ?

श्री हिम्मतसिंह—क्या सक्सीड करेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—पहले खुदकाश्त नहीं हैं, तो उसके बाद में उसके एयर्स (heirs) खुदकाश्त को सक्सीड नहीं करेंगे, नई खुदकाश्त के लिए एप्लाई करेंगे।

श्री हिम्मतसिंह—एप्लाई तो किया हुआ है, सक्सीड तो नहीं करेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास–He will not succeed to the Khudkasht. He will acquire it later where he he has no Khudkasht,

श्री हिम्मतसिंह— How can he acquire it when the time-limit is over ?

Page No.46

श्री हरिकृष्ण व्यास—Because succession can take place only after a particular time aud and after that he can apply for Khudkasht.

श्री जसवन्त सिंह—That is exactly what I have suggested; namely, succession to the estate.

श्री श्री मानसिंह—May I suggest one thing ! How does the opposition Leader says that it will not be a concrete thing ? Khudkasht is a right, but if it is added that Khudkasht land if succeeded, I think, he will succeed to a concrete thing. "Khudkasht right shall devolve upon the person is who succeeds to the Khudkasht land of the jagirdar." I think his purpose is served, and the latter part will be deleted.

श्री जसवन्तसिंह—My purpose is not served by that. succession will be to an estate always.

श्री श्रीमानसिंह—Here we are concerned with the Khudkasht problem, and not with the estate. That will be covered up by other law. If we want to put forth this argument that it is not a concrete thing because Khudkasht is a right and if he wants that succession should be to a concrate thing, I think, we can add : "succession to the Khudkasht land of the Jagirdar"- Then it will be a concrete thing. I do not think why he should object to it.

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय उपाध्यक्षजी, मैं ज़रा थोड़ा और स्पष्टीकरण इसका कर दूं। जो माननीय मित्र बीकानेर से आये हैं और जिनको पूरा स्पष्टीकरण इस बारे में चाहिए था। मैंने जो संशोधन रखा है उसका यह मतलब है कि :

"Khudkasht right shall devolve upon the person who succeeds to the estate of a jagirdar..."

यह शब्द रखने से आगे इसका खराब नतीजा निकल सकता है। वह यह कि एस्टेट का, एक जागीर का जो सक्सेशन होता है वह सिर्फ एक बड़े लड़के का होता है।...

श्री जसवन्तसिंह—Not necessary.

श्री नाथूराम मिर्धा—कई केसेज़ में। बहुत से लोगों में चारणिया बंट भी होता है। दूसरे बंट भी होंगे। खास तौर से प्राइमोजेनिचर होगा सक्सेशन में, तो बड़े लड़के को एस्टेट का करीब करीब मेजर हिस्सा मिलता है और बाकी लड़कों को मेंटीनेन्स का हिस्सा मिलता है। खुदकाश्त में हम सक्सेशन राइट को रिकग्नाइज करना चाहते हैं तो जितने भी और दूसरे लडके हैं, व छोटे हों या

[श्री नाथूराम मिर्धा]

बड़े, उनके खुदकाश्त में स्पेशल राइट्स जो कुछ भी रखे हैं उनको रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे; तो जो कुछ रेस्ट्रिक्शन्स हैं जो उन पर खुदकाश्त रिकोग्नाइज होने पर लागू होनी चाहिए, वह नहीं होंगीं। इस हिसाब से 'एस्टेट आफ दी जागीरदार' को हटा कर वहां शब्द 'खुदकाश्त' ही रखने से तमाम लोगों को, जिनको जागीरदार खुदकाश्त देना चाहता है वह रिकग्नाइज़ किया जायगा।

श्री हिम्मतसिंह—यह कौनसे कानून के मुताबिक होगा ? सबको कैसे मिलेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा—इसमें कानून का सवाल नहीं है। खुदकाश्त की जमीन आप सबको दे सकते हैं और उसका बंटवारा कर सकते हैं।

श्री हिम्मतसिंह—किसी को देने का तो वैसे ही हक है।

श्री नाथूराम मिर्धा—देने का हक तो है लेकिन खुदकाश्त की तरह हक खुदकाश्त लेने से ही होगा।

कु० श्री जसवन्तसिंह—मेरे ख्याल से आपको गलतफहमी है। जागीर जाने के बाद फर्स्ट सक्सेशन, इन्क्ल्युडिंग खुदकाश्त, बड़े लड़के को मिलेगा। उसके बाद में यदि कोई अपने भाइयों आदि को बंट देना चाहे तो वह दूसरी बात है। लेकिन फादर के मरने के बाद खुदकाश्त की जमीन भी एक ही आदमी को मिलेगी यानी first son को मिलेगी।

श्री नाथूराम मिर्धा—जागीर रिज़म्पशन के बाद का सवाल नहीं है। जागीर रिज्यूम न हो उससे पहले का सवाल है।

श्री हिम्मतसिंह—मैं आपका मतलब समझ गया, लेकिन क्या इसमें हिन्दू लॉ एप्लाई होगा ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप मतलब समझ गये तो फिर क्यों उलझन पैदा कर रहे हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—खुदकाश्त के सक्सेशन के बारे में जो एक्सप्लेनेशन दिया गया उसका एतराज किया गया है। मेरा निवेदन है कि इससे तो अधिकार प्राप्त होते हैं। छोटे लड़कों को भी डिवाइड कर सकते हैं, औरतों को भी डिवाइड कर सकते हैं। यदि बड़े लड़के का ही हक रखेंगे तो खुदकाश्त के राइट को भी डिवाइड नहीं कर सकेंगे। इस खयाल से यह अमेन्डमेन्ट पेश किया गया है। यदि आप चाहते हैं कि छोटे लडकों को भी खुदकाश्त की जमीन मिले तो इस पर फिर सोच विचार कर लें।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—इसका यह जवाब है कि यह समस्या हमारे लिए लागू होती है। इतने निर्दयी तो हम नहीं होंगे कि छोटे भाइयों को हक नहीं दिया जायगा। खुदकाश्त से जिनको एक्सक्ल्यूड किया जा रहा है, इसमें हमको और छुट भाइयों को डाइरेक्ट suceession से फायदा होगा।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जो कुछ माननीय मित्र कह रहे हैं उसको मानने में मुझे एतराज नहीं है। वे खुद इस पर सोचें। इस क्लॉज़ को बाद में ले लिया जाय। यह हमारे सोचने का प्रश्न नहीं है। एक्चुअली छोटों के लिये जो रूकावट पैदा हो सकती है उसको दूर करने के लिए इसे लाया गया है।

श्री भैंरूसिंह—" Khudkasht rights shall devolve upon the person who succeeds......" तो जिस तरह से माननीय श्री जसवन्तसिंहजी ने बताया कि लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर के आधार पर या चारनिया बंट के आधार पर राइट उसको डिवोल्व होते हैं जो सकसीड करता है। एक तरफ तो चारनिया बंट और दूसरी तरफ लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर है। लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर में हम जिस तरह बड़े लड़के को देते है उसी तरह जिस जगह चारनिया बंट है वहां पर बराबर हिस्सा होगा; तो जो नाथूरामजी ने अमेन्डमेन्ट रखा है उसमें छोटे-बड़े का डिस्क्रिमिनेशन न रख कर बराबर हिस्सा रखा है। बराबर हिस्से से भी परपज़ सर्व नहीं होता जिस वख्त तक कि लॉ ओफ प्राइमोजेनिचर छोटे और बड़े का बना रहेगा। यदि हमको लॉ में रद्दोबदल करना है तो परपज़ सर्व हो सकता है। यदि बराबर हिस्सा है तो सक्सेशन के प्रश्न को खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है।

सक्सेशन का हवाला डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर है। जिसको सक्सेशन के राइट्स डिवोल्व होंगे "shall devolve upon the person who succeeds and the succession shall be on the basis of equal distribution." इस प्रकार का कानून बना हुआ है, चल रहा है। जब तक इसको नहीं हटायेंगे तब तक उसकी मंशा में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। इसलिये इसको गंभीरता से सोचना चाहिये। सभी दृष्टिकोणों का समावेश होना उचित है। इस चीज़ का खयाल रहे कि सब का समावेश होता है या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज़ ८ को फिलहाल मुल्तवी रखा जाता है।

क्लॉज़ नं. ६.

श्री भैंरोंसिंह (वि. सं. १६)—क्लॉज़ नं. ६ में मेरा संशोधन लिस्ट नं १४ में सीरियल नं. २३३ पर है और वह यह है कि इस क्लॉज़ को डिलीट कर दिया जाय। इस क्लॉज़ में यह है कि :

" No Khudkasht shall be let except as provided in sections 36 and 37. "

[श्री भैंरूसिंह]

अब यह देखना पड़ेगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि क्लॉज़ ३६ और ३७ में क्या है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—बगैर देखे ही अमेन्डमेन्ट पेश कर दिया है क्या ?

श्री भैरोंसिंह—मैंने तो देख कर ही किया है लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है उनको बता दूं :

" 36. Rertrictions on subleettIng-(1) No Khateder tenant or his mortgagee shall sub-let the whole or any part of his holding for a term exceeding five years or within two years of the whole or any part of such holding being held by a sub-tenant."मतलब यह है कि कोई ५ साल से ज्यादा सब लेट नहीं कर सकता या जिस पर २ साल की अवधि निर्धारित है तो वह उस अवधि में सब लेट नही कर सकता है। क्लॉज़ ३७ में यह बात है कि क्लॉज़ ३६ में जो रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है वह माइनर, विडों, ल्युनेटिक, ईडियट आदि के बारे में लागू नहीं होगा। तो निवेदन यह है कि जो रेस्ट्रिक्शन खुद काश्त पर रखी हैं वह दो सूरत में मुस्तस्ना रखी है; एक तो यह कि वह खातेदार टिनेन्ट के नाते सब लेट कर सकता है, दूसरी यह कि फिजिकली व मेंन्टली नाकाबिल है। इन दो के अलावा जो खुदकाश्त होल्डर हैं उनको सब लेट करने की इजाजत नहीं देंगे। इसका मतलब यह है कि राजस्थान में जितने खुदकाश्त होल्डर हैं उनको सब लेटिंग की इजाजत नहीं है। खुद काश्त के बारे में काफी चर्चा चली है। यह स्पेशल प्रिविलेज नहीं है बल्कि उन पर कुछ रेस्ट्रिक्शन्स हैं। तो जो प्रिविलेज हैं उनके बारे में तो यह तय कर दिया कि यह ट्रान्सफरेबल नहीं हैं और खुद काश्त के राइट्स हैं उन पर रेस्ट्रिक्सन्स मान कर चलें तो वे खत्म होंगे। इसके बाद जो टिनेन्ट रहता है उसको खातेदार बनाना हमारा काम है। जागीर रिजम्प्शन के बाद तो वह खातेदार बन सकता है। लेकिन रिज्यूम नहीं हुई है उससे पहले खातेदार टिनेन्ट होगा और उसको खातेदार के राइट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन जहां तक सब लेटिंग का प्रश्न है उस पर किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिये। आज यदि सब लेटिंग को रेस्ट्रिक्ट करना है और इस दृष्टि से करना है जैसा कि जोधपुर के सदस्य ने कहा कि किसी के पास १ हजार बीघा खुदकाश्त की जमीन है तो वह सब-लेट करेगा लेकिन यह चीज रेस्ट्रिक्सन में आयगी और साथ ही साथ सीलिंग कमेटी भी यह बात तय करेगी कि एक आदमी के पास ज्यादा से ज्यादा कितनी जमीन रह सकती है।

तो ये इस प्रकार की कल्पना करना कि जिनके पास हजारों बीघा जमीन है वे लोग खुद काश्त के नाम से उस जमीन को रख लेंगे तो यह ठीक नही क्योंकि जिस वख्त रेस्ट्रिक्शन्स उठायेंगे उस वख्त खुद ही खत्म हो जायेंगीं। जागीरदारों की गिनती खुदकाश्त होल्डर में की है। इनमें,

[श्री भैंरूसिंह]

रिजम्पशन में देर लगती है, तो जब तक जागीरें रिज्यूम नहीं हो जाती तब तक जागीरदार को खातेदारी के अधिकार दें या नहीं यह बात है। यदि at the Commencement of this Act यह मंजूर कर लें कि जितने खुदकाश्त होल्डर हैं उनको खातेदारी के राइट्स है, at the Commencement of this Act खुदकाश्त टिनेन्ट, सब टिनेन्ट और ग्रोव होल्डर इन तीन चीजों को छोड़ कर जब और काश्तकार हैं वे खातेदार बन सकते है, तो आज के दिन जो खातेदार टिनेन्ट हैं वे खातेदार क्यों नहीं बन सकते। हमने यह नीति मानी हैं कि इस एक्ट के लागू होने के दिन जो जमीन काश्त करता है वह खातेदार है। सब टिनेन्ट, टिनेन्ट खातेदार, टिनेन्ट पट्टेदार हैं उनको खातेदार बना देगें और जो खुद काश्त करता है, खुद काश्त करने के नाते टिनेन्ट है उसको सबलेटिंग के पॉवर नहीं होगें तो यह जिस डिस्क्रिमिनेशन का बार बार जिक्र किया जाता है, उसका ज्वलंत उदाहरण होगा। इस बारे में मैं पंत एवार्ड का भी जिक्र करूंगा, जिसमें लिखा हैं कि :

"Particularly as the Govenmment of Rajasthan has also agreed to allowthe right ot sub letting to Khudkasht holders in their proposed Tenancy legislation"

इसके बाद कोई आवश्यकता नहीं रहती कि इस चीज के अधिकार को इस ढंग से लाया जाय कि वह आदमी या जागीरदार जिसके पास खुदकाश्त की जमीन है, जागीर रिजम्पशन नहीं हो उस वख्त तक उसको खातेदारी राइट्स नहीं दिये जांय। इस प्रकार के राइट्स से किसी प्रकार उसे वंचित रखना न्याय-संगत नहीं।

इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि जो मैंने यह संशोधन रखा है कि इस क्लॉज़ को डिलीट कर दिया जाय, उसे स्वीकार किया जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन, यह जो संशोधन रखा है उसका मैं विरोध करता हूँ। पहले तो इस वजह से कि जो चीज किसी के हक में भी पड़े और इस पर भी उसको समझ में नहीं आवे तो ऐसी नासमझी का संशोधन मंजूर नहीं किया जाना चाहिये।.

अभी अभी काफी देर तक मेरे मित्र कह रहे थे कि खुदकाश्त होल्डर को खातेदारी के अधिकार दे दें। सेक्शन ९ यही कहता है। सबलेटिंग के मामले में क्लॉज़ ३६ और ३७ क्या कहते हैं :

"36. (1) No Khatedar tenant or his mortgagee shall sub-let the whole or any part of his holding for a term exceeding five years," etc. etc.

यदि खातेदार टिनेन्ट जो इसको मोर्टगेज़ या सबलेट करेगा तो इन शर्तों के मातहत सबलेट कर सकता है। सबलेट का अधिकार या रेस्ट्रिक्शन समझें वे ३६ और ३७ में लिये हैं खातेदार

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

टिनेन्ट के लिये। अब क्लौज़ ६ क्या कहता है। वह यह कहता है कि सबलेटिंग के मामले में खातेदार टिनेन्ट और खुदकाश्त होल्डर बराबर होंगे। यह नहीं रहता तो शायद यह होता कि : "No Khatedar or the holder of khudkasht shall sub-let......" या यहां एक नया सब क्लॉज़ लगा देते कि : "No holder of Khud-kasht shall sub-let except......•••·........." वगैरह वगैरह। तो मुश्किल क्या है, मेरी समझ में नहीं आया। अगर मेरे मित्र की इच्छा हो कि खातेदार टीनेन्ट को सबलेटिंग के लिये जो अधिकार दिये गये हैं उनसे ज्यादा अधिकार खुदकाश्त होल्डर को मिलने चाहिये तब तो दूसरी बात है। मैं तो मानता हूँ कि यह बिल ज्यादा लिबरल है, खुदकाश्त होल्डर को और खातेदार को बराबर लाकर रख दिया है।

अगर उन्होंने इस मंशा से यह संशोधन रखा है कि खुदकाश्त होल्डर को भी खातेदार की तरह राइट्स होने चाहिये; इसलिये अगर रखा है तब तो वह इसमें है ही और अगर खातेदार से विशेष अधिकारों के लिये रखा है तो इसे मंजूर नहीं किया जाना चाहिये।

अगर उन्होंने बिना पूरा समझे हुए पेश कर दिया है तो उन्हें इसे वापिस ले लेना चाहिये।

श्री भीमसिंह—श्री भैरोंसिंहजी ने जो संशोधन रखा है उसका विरोध करते हुए उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो सुधार वे कराना चाहते हैं वह इस क्लाज को डिलीट करने से नहीं होगा। वे चाहते हैं कि खुदकाश्त होल्डर को सबलेट करने का अधिकार हो, यही बात सिलेक्ट कमेटी ने चाही है; पर उसमें इतना अन्तर रह गया है, क्लाज ६ पर जो सिलेक्ट कमेटी के कमेंट्स हैं उसमें लिखा है :

"The Committee think that sub-letting of land should be discouraged as much as possible and that there should consequently be no difference in the restrictions and exemptions in respect of the sub-letting of Khudkasht land that of other land.

The Committee have considered the restrictions and exemptions provided for the sub-letting of land by Khatedar tenants as prescribed under clauses 36 and 37 of this enactment, and are of the opinion that the same should apply in respect of Khudkasht also."

परन्तु इसमें एक बात रह गई है, ३६ को मुलाहिजा फरमायें तो उसमें लिखा है :

[श्री भीमसिंह]

"Restrictions on sub-letting. No Khatedar tenant or his mortgagee shall sub-let the whole or any part of his holding for a term exceeding five years or within two years of the whole or any part of such holding being held by a sub-tenant."

इसमें खुदकाश्त होल्डर का कहीं भी जिक्र नहीं किया था। ऐसी सूरत में ६ का क्लॉज़ रिटेन हो गया। उन्हें संशोधन, क्लॉज़ ३६ में Khudkasht holder रिटेन करने का करना चाहिये था..."No Khatedar tenant or Khudkasht holder or his mortgagee..."

श्री भैरोंसिंह—वह अमेन्डमेंट मैंने आगे कर दिया है।

श्री भीमसिंह—अगर आगे कर दिया है तो इस संशोधन को रखने का कोई मतलब नहीं। क्लॉज ६ में यह साफ लिखा है :

"No Khudkasht shall be let except as provided in sections 36 and 37."

इससे उनकी मंशा पूरी हो जाती है। ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि उनका यह अमेन्डमेंट रिडन्डेन्ट है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—माननीय उपाध्यक्ष, मैं समझता हूं कि इस पर जो इस धारा के अलावा बहस हुई उसमें न पड़ कर जहां तक इस धारा का सबलेटिंग से सम्बन्ध है इसके बारे में कहूंगा। इसमें तो यह कहा गया है कि ३६ और ३७ में रखा गया है उसके अलावा सबलेटिंग का अधिकार खातेदार टिनेन्ट को और खुदकाश्त होल्डर को, दोनों को समान रहेगा।

पंत रिपोर्ट के बारे में कहा गया, मैं इसके एग्जेक्ट वर्डिंग्स सुनाना चाहता हूं। जो इसमें कहा गया है वह यह है :

"It was agreed that the limit of five years proposed to be imposed on sub-letting of Khudkasht in Rajasthan Tenancy Bill should do."

Five years की लिमिट पहले थी उसको ज्यों का त्यों माना गया है। जो पंत रिपोर्ट का तो पालन किया गया है। इसको नहीं पालन करने का तो प्रश्न खड़ा नहीं होता। बल्कि पहले डिस्क्रिमिनेशन था और वह यह कि खातेदारी के लिये ३ वर्ष और खुद काश्त के लिये ५वर्ष। दोनों को ओन पार (on par) लाया गया है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि यह प्रोविजन काफी लिबरल है। इसके अलावा हम यह कल्पना करें कि खुदकाश्त के लिए कोई सब लेटिंग की लिमिट नहीं हो तो यह ठीक नहीं होगा। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि मूल रूप में जो धारा है वही रहनी चाहिये।

श्री भैरूसिंह (वि० सं० १६)—माननीय चेअरमेन, क्लॉज़ ३६ में—

"No Khatedar tanant or his mortagagee shall sub-let the whole or any part of his holding for a term exceeding five years or within two years......" और उधर है "No Khudkasht shall be let except as provided under Sections 36 and 37." मेरे संशोधन की मंशा बिल्कुल वही है जो श्री भीमसिंहजी ने बताई है। क्लाज ३६ में जब तक हम कोई स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं लाते हैं उस वक्त तक जो रेस्ट्रिक्शन्स क्लाज ३६ में है उसी से क्लॉज़ ६ गाइड होगा। जब तक क्लॉज़ ३६ में कोई जिक्र नहीं होगा तब तक वह रेस्ट्रिक्शन ५ साल तक का या २ साल है, कि यह विडोज़, माइनर, लुनेटिक पर इम्पोज़ किया है वह रह सकता है या नहीं और क्लाज ३६ उन पर एप्लीकेबल होंगा या नहीं। जब तक इसमें कोई संशोधन नहीं होता तब तक यह साफ नहीं होता तो मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री इस पर फिर से विचार करें और इस क्लॉज़ को जो Superfluous है, डिलीट कर दें।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—यहां हमने दो कलॉज़ों का रेफरेन्स दिया है। यदि इन क्लॉज़ों में दिये हुए शब्दों से पूर्ति नहीं होती होगी तो इन शब्दों का समावेश किया जावेगा।

श्री भैरूसिंह (१६)—माननीय मंत्री महोदय ने जो आश्वासन दिया है, उनके इस प्रकार के आश्वासन पर मैं अपना अमेन्डमेंट वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह)— क्या सदन की सम्मति है?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री भैरूसिंह (१६)—मैं अपना अमेन्डमेंट वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति (श्री हिम्मसिंह)—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लाज ६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

खंड १०

अब क्लॉज़ १० लिया जाता है। श्री खेतसिंह अपना अमेन्डमेंट मूव करें।

(अनुपस्थित)

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय चेयरमेन, क्लॉज़ १० जो मौजूदा एक्ट का है वह इस तरह रीड करता है।

"No tenant of land in which Khudkasht right subsists for the time being shall sub-let the whole or any part of his holding." इसके लिये मेरा यह संशोधन है कि इस क्लॉज़ को बिल्कुल ही हटा दिया जावे क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इस क्लॉज़ में लिखा है कि कोई भी किसान खुदकाश्त की जमीन पर काश्त करता है वह उस जमीन को सब लेट आगे नहीं कर सकेगा। सब लेटिंग पर जितने restrictions हैं उनका जिक्र क्लॉज़ ६ में किया गया है और उसमें खण्ड ३६ और ३७ का हवाला दिया गया है। इसलिये इस संबन्ध में जितने भी restrictions लाने होवें सब उन दो दफाओं में एक साथ लाकर तय किया जाना ठीक होगा। इसलिए इस विषय पर कि खुदकाश्त टिनेन्ट् आगे सब लेट कर सकते हैं या नहीं, उन पर क्या क्या रेस्ट्रिक्शन लगाई जावे, इन बातों पर आगे आने वाली धाराएं ३६ और ३७ लेंगे उस समय विचार करेंगे। इसलिये यह क्लॉज़ बिल्कुल सुपरफ्लुअस क्लॉज़ है और इसको हटा देना चाहिये।

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय चेयरमेन, मेरे ख्याल में यह जो माननीय सदस्यों ने फरमाया कि यह क्लॉज़ हटा दिया जावे यह बात नहीं बनती।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस पर माननीय चेयरमेन एक और अमेंडमेंट है।

श्री भैंरोसिंह (१६)—मैं इसको मूव करना नहीं चाहता।

श्री जसवन्तसिंह—यह जो टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त है उसका वही स्थान है जो एक सब टिनेन्ट का है क्योंकि खुदकाश्त का जो होल्डर होगा उसकी और उसका जो टिनेन्ट होगा उनकी वही पोजिशन होगी जो सब टिनेन्ट और टिनेन्ट की होती है। इसलिए खुदकाश्त होल्डर की पोजीशन टिनेन्ट की सी पोजीशन है। जब हमने सब टिनेन्ट को लेट करने की इजाजत नहीं दी है तो खुदकाश्त के टिनेन्ट को कैसे इजाजत दे सकते है। इसका मतलब यह होगा कि खुदकाश्त के टिनेन्ट को आप इजाजत देते हैं। ये दोनों बातें एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न (कॉन्ट्राडिक्टरी) हैं। इसलिए मेरे ख्याल से हम गलत सिद्धान्त कायम करेंगे यदि हम प्रकार का कानून पास करेंगे और वह सिद्धान्त टिनेन्सी लॉ के सिद्धान्तों के खिलाफ जावेगा।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष (चेयरमेन), इसमें थोड़ा सा फर्क यह पड़ रहा है जिससे कंट्राडिशन की बात पैदा हुई है। खण्ड ६ में जो 'लेट' शब्द है उसकी एवज में अगर सब लेट होता तो कोई दिक्कत नहीं होती।

"No khudkasht shall be let except as provided in sections 36 and 37." When Khudkasht holder is a tenant, his 'lettnig' means sub-letting.' तो वहां सेक्शन ६ में लेट है वहां लेट

Page No.55

[श्री गोपीलाल यादव]

ही रहने दिया जावे लेकिन it shall mean sub-letting. क्योंकि वह खातेदार टिनेन्ट होगा। जब यह सब सेक्शन ६ में आ गया है तो फिर यह सेक्शन १० बिल्कुल रिडन्डेन्ट है। इसमें भी यह लिखा है "Restrictions on subletting of Khudkasht" और जो सब लेट के लिये restrictions हैं वे क्लॉज़ ६ में आ ही है गये हैं। इसलिये इस क्लॉज़ १० को बिल्कुल निकाल देना चाहिये।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—सब टिनेन्ट को आपने लेट करने की इजाजत नहीं दी है।

श्री गोपीलाल यादव—सब टिनेन्ट खातेदार का सब टिनेन्ट है, उसको लेट करने की इजाजत नही है। ये सब बातें सेक्शन्स ३६, ३७ में आ जावेंगी। sub tenant cannot let, ये सब बातें ३६, ३७ सेक्शनों में आ जावेंगी।

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमेन, मेरे ख्याल में एक गलतफहमी रह गई है। यह सेक्शन होल्डर ऑफ खुदकाश्त के लिये है। मेरा खयाल है कि यह खुदकाश्त टिनेन्ट के लिये है, टिनेन्ट के लिये नहीं। जो एक टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त के लिये है जिसका स्टेटस है सब टिनेन्ट सा। अगर यह सेक्शन डिलीट कर दिया जावे तो इसका मतलब यह होगा कि आप सब टिनेन्ट को लेट करने की इजाजत दे रहे हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन, इस बिल को जहां तक मैंने देखा है, इससे मल्टिप्लिकेशन ओफ वर्क हो रहा है। इसलिये मैं आपका ध्यान सेक्शन ३५ की ओर आकर्षित करूंगा जिसके सब क्लॉज़ (२) में यह कहा गया है :

" (ii) no sub-tenant or tenant of Khudkasht shall sub-let the whole or any part of his holding." जब इसमें साफ लिखा है तो फिर इसको एड करने से क्या मतलब ? अगर इसी सिद्धान्त को मान कर चल रहे हैं तो यह काफी है। क्योंकि कोई भी अधिकारी होगा वह यह जांच लेगा। जहां यह राय हो सकती है कि खुदकाश्त टीनेन्ट है उसका स्टेटस गैर खातेदार की तरह से है, वहां तो कन्ट्राडिक्शन हो सकता है। इसलिये जब आगे चल कर इस पर बहस होगी तब अपने अपने संशोधनों पर विचार प्रकट कर दिये जावेंगे। लेकिन as it is जो क्लॉज़ १० है इसकी जरूरत नहीं और इसकी जरूरत को सेक्शन ३५ का सब क्लॉज़ (२) पूरा करता है। इसलिये मैं यह निवेदन करता हूँ कि इसको हटा दिया जावे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री जवानसिंह—माननीय सभापति महोदय, यह जो वाद-विवाद है वह बहुत ही वाजिब है। इसका कारण यह है कि अभी जो मेरे माननीय मित्र ने निवेदन किया कि क्लॉज़ ३५ के सब क्लॉज़ २ में जो सब टिनेन्ट और टिनेन्ट को खुदकाश्त के ऊपर सबलेटिंग के रेस्ट्रिक्शन्स हैं वे वाजिब हैं, इसलिये वे......

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैंने वाजिब नहीं कहा। उस पर वाद विवाद हो और जब तक निर्णय न हो जाय तब तक यह जरूरी नहीं है। जब क्लॉज़ आयगा तब उस पर विचार करेंगे।

श्री जवानसिंह—मैंने यह भी मान लिया कि ३५ क्लॉज़ का सब क्लॉज़(२)स्टेन्ड करता है उस हिसाब से भी रिपीटिशन मालूम होगा इसलिये यह रखना चाहिये। लेकिन माननीय चेयरमेन महोदय, मैं आपका ध्यान क्लॉज़ १० के शब्दों की तरफ आकर्षित करूंगा। उसमें ये शब्द हैं कि "No tenant of land in which Khatedari right subsists..." यहां पर वे शब्द नहीं है, व टीनेन्ट ऑफ खुदकाश्त नहीं है। यदि यहां 'No tenant of khudkast will have a right of sub-letting. ये ही शब्द रहते हैं तो दोनों के शब्द अलग अलग होने से अर्थ पृथक पृथक होंगे। यदि चार साल हो जाते हैं, यह सब की समझ में आ जाता है कि टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त सही शब्द है। यहां 'No tenant of Khadkasht will have rights of subthing ? ये शब्द इस्तेमाल नहीं किये गये हैं और दूसरे ही शब्द इस्तेमाल किये गए हैं। यह उलझन एक बहुत ही वाजिब है। शब्दों का आडम्बर यहां ऐसा बताया गया है कि जो कहीं भी और जगह इस बिल में देखने में नहीं आता। जो क्लॉज़ ३५ की उपखण्ड(२)में शब्द इस्तेमाल किये गये हैं वह पर्टीक्युलरली टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त के लिये हैं, लेकिन यहां पर माननीय चेयरमेन महोदय, यदि ध्यान से देखेंगे तो हमें मालूम होगा कि वे शब्द इस्तेमाल नहीं किये गये हैं। यहां पर तो ये शब्द लिखे गये हैं कि,"No tenant of land in which Khudkasht right sudsists for the time being shall sub-let the whole or any part of his holding." इसलिये यह जो उलझन है वह वाजिब है और इस उलझन के सम्बन्ध में संशोधन करते वक्त और इसको साफ करते वक्त यह इरादा नहीं रहना चाहिये कि यह उलझन कायम रहे। इस उलझन को कायम नहीं रखना है किन्तु इसको साफ करना है। अतः मैं निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज़ को इसमें रहने देना चाहिये।

दूसरा अभी थोड़ी देर पहले यह निवेदन किया गया था कि खुदकाश्त राइट्स के लिये चेप्टर २ को रहने देना चाहिये जब तक कि रिजम्पशन ऑफ जागीर नहीं हो जाती है। किन्तु अब यह दलील दी जा रही है कि ३५ में इसका प्रोविजन कर दिया गया है इसलिये इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये दोनों कारण मुख्तलिफ हो जाते हैं। हमने अलग अलग चेप्टर्स रखे हैं किन्हीं कारणों से। सबलेट करने के कारण क्या होंगे, क्या नहीं होंगे मैं इस वक्त इस वादविवाद में नहीं जाना चाहता। अगर किसी प्रकार के अधिकार देने हैं या नहीं देने हैं तो इस चेप्टर २ में खुदकाश्त के सिलसिले में कुछ अधिकार दिये जा सकते हैं। अगर लाएबिलिटी उसके सिर पर डाली जा सकती है तो उसके लिए एक विशेष चेप्टर रखा गया है। इस पूरे का यहां प्रोविजन होना चाहिये और इसको डिलीट नहीं करना चाहिये। इस क्लॉज़ और धारा ३५ दोनों के शब्द अलग अलग हैं इसलिये ये दोनों धारायें अलग अलग ही रहनी चाहिए।

श्री भीमसिंह—जो संशोधन श्री नाथूरामजी ने इस क्लॉज़ को डिलीट करने के लिए रखा है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आगे जाकर संभव हो सकता है कि धारा ३५ में जो प्रोविजन है उसको भी डिलीट करना पड़े और ऐसी कोई विचार धारा बन जाय। मैं निवेदन

[श्री भीमसिंह]

करूंगा कि खुदकाश्त की जमीन अलॉट नहीं हो जाती है तब तक एक बहुत बड़ी समस्या सामने रहती है। अभी फिलहाल एक टिनेन्ट है उसको हटाकर एक भोमिया को उसकी खुदकाश्त दे देते हैं तो भी एक आदमी को तो दूसरी जगह पर लगाने का प्रश्न रहता ही है। अगर वह काश्तकार अपने दस काश्तकारों को सम्मिलित कर देता है तो १० फेमिलीज़ को धन्धे पर लगाने की समस्या आ जायगी। अगर यह धारा रिटेन की जाती है तो सबलेट नहीं कर पाने की वजह से जो लोग उखड़ जाते हैं उनको वापिस धन्धे पर लगाने की जो प्रोब्लेम उपस्थित हो सकता है, उसकी भी संभावना नहीं रहती। इसलिए मेरा निवेदन है कि १० वें क्लॉज़ को रिटेन किया जाना चाहिए और इसको रखना वाजिब है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—दसवें क्लॉज़ को डिलीट करने के बारे में संशोधन आया है और उसके खिलाफ जो बातें कही गई है वे मुझे समझ में नहीं आयीं, यही कह सकता हूँ। शब्दों में भेद है, इसलिए रखा जाय, मूल के राइट्स में अन्तर पड़ेगा और यह भी कहा गया कि स्पेशल टिनेन्ट और खुदकाश्त की स्थिति में अन्तर पड़ जायगा। यह क्लॉज़ कैसा है, फायदा किसको मिलने वाला है यदि उसकी ओर कुछ संकेत किया जाता तो बात समझ में आने लायक हो सकती थी। सिर्फ यही कहा गया कि शब्द अलग अलग हैं। सबलेटिंग के बारे में रेस्ट्रिक्शन्स हों या नहीं, शब्द दूसरे हों तब भी यही मतलब निकलने वाला है जो कि क्लॉज़ १० में दिया हुआ है: "N0 tenant of land in which Khatedari right subsists......" तो व्यक्ति तो टिनेन्ट था, खुदकाश्त का भी वही है। दोनों का एक ही मतलब निकलता है। ३५ वें क्लॉज़ में भी वही बात आती हैं जो कि यहां कही गई है, तो इसको यहां डिस्कश करना उचित नहीं होगा और उसको यहां रखना भी उचित प्रतीत नहीं होता।

यह भी कहा गया कि चेप्टर को क्यों रखा गया। चेप्टर के रखने के बारे में कहा था तो मैंने कहा था कि यदि जागीरें रिज्यूम न हों तो इसको रखना आवश्यक हो जाता है। यह भी कहा गया कि सारी चीजों को यहां रख देना चाहते हैं। यदि रेस्ट्रिक्शन्स कुछ किसी बात के लिए हों तो उनको रखना आवश्यक हो सकता है। जिन क्लॉजेज़ को आगे लिया गया हैं वे चीजें वहां फिट इन हो सकती है, और यहां उनका देखना आवश्यक नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो कम से कम चीजें है उनको रखना जारी हो जाता है। ३५ वां क्लाज़ आयगा उसको भी डिस्कस किया जायगा इस क्लॉज़ के हटा देने से कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ने वाला है। अतः श्री नाथूरामजी ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि सदन भी स्वीकार करेगा।

श्री सभापति—क्लॉज़ १० पर श्री नाथूरामजी मिर्धा का अमेन्डमेन्ट है और जिसको मिनिस्टर महोदय ने स्वीकार कर लिया है क्या सदन को यह स्वीकार है?

(स्वीकृत)

[श्री सभापति]

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

क्लॉज़ १० को जो पास करने के पक्ष में हों...

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Chairman, Sir, if the amendment for the deletion of the clause hae been adopted, then there is no necessity, I think, for fnrther voting.

श्री सभापति—I am sorry. The clause is deleted.

खण्ड 11

श्री भैंरूसिंह (वि० सं० १६)—माननीय चेयरमेन महोदय, इस क्लॉज़ का सम्बन्ध क्लॉज़ ८ से है और चूंकि क्लॉज़ ८ अभी विचाराधीन है, जब तक उस पर निर्णय नहीं हो जाता तब तक इस पर भी विचार न किया जाय और इसको भी कंसीडरेशन में रखा जाय। जब क्लॉज़ ८ पर निर्णय हो जाय तब फिर इस पर विचार किया जाय।

श्री सभापति—Should we postpone it ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—Why ?

इसका तो जनरल ताल्लुक है। क्लॉज़ ८ से भी है, ६ से भी है।

श्री भैंरूसिंह—क्लॉज़ ८ के सब क्लॉज़ का ज्यादा जिक्र है। सब क्लॉज़ क्या है, इस पर जब तक विचार न कर लिया जाय तब तक मैं समझता हूँ कि उससे सम्बन्धित क्लॉज़ पर विचार करना उचित नहीं है। उसमें लिखा है कि "(i) upon failure of a successor to the holder thereof in accordance with sub-section (1) of section 8, or......

(ii) upon transfer thereof in contravention of sub-section (2) of section 8, or......"

इस तरह से क्लॉज़ ८ के सब क्लॉज़ (१) का जिक्र आता है। जब तक उसका निर्णय न हो जाय तब तक इस पर विचार करना, मैं समझता हूँ कि असंगत होगा। जब क्लॉज़ ८ लिया जाय तब तक इसको भी लिया जाय और दोनों ही बातें परस्पर सम्बन्धित है इसलिये फिर लेना ही उचित होगा।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय चेयरमेन, जिस प्रकार हमने ३६, ३५ और ३७ वां क्लॉज़ पास नहीं किया उनको पास न करते हुए भी सेक्शन ९ पास कर दिया उसी प्रकार यह भी क्लॉज़ लिया जा सकता है। आपको इस सेक्शन में अमेन्डमेन्ट रखना है तो रखिये और इस उम्मेद से रखिये कि वह पास हो जायगा और इस क्लॉज़ को पास कर दीजिये! अगर आपका अमेंडमेंट पास नहीं भी हुआ तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूँ कि इसको पोस्टपोन करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरूसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय चेयरमेन, मैं इस विषय में आपका निर्णय चाहता हूँ। इस पर आप स्पेसिफिक रूलिंग दें कि जिस क्लॉज़ में किसी ऐसे क्लॉज़ के अंग का उल्लेख हो जो पास न किया गया हो, जो अन्डर कन्सीड्रेशन हो, ऐसी सूरत में क्या वह क्लॉज़ पास किया जा सकता है?

श्री हरिकृष्ण व्यास—डेफिनिशन्स आदि कई चीजें हमने छोड़ दी हैं, यदि इस प्रकार हरेक के लिए रुकते रहे तो बिल का एक क्लॉज़ भी पास नहीं हो सकेगा।

श्री सभापति—चूंकि इस क्लॉज़ से क्लॉज़ ८ का डाइरेक्ट संबंध नहीं है इसलिये इस क्लॉज़ को डिस्कशन के लिये ले लिया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय चेयरमेन महोदय, आठवें क्लॉज़ के बारे में जो जवाब देने की बात कही गई उसका जवाब अभी दिया जा सकता है। आप लोगों ने ही यह पसन्द किया था:

"Khudkasht rights shall devolve upon the person who succeeds to the estate of a Jagirdar"

सब क्लॉज़ (३) में इस बात की गुंजाइश रहेगी। नाथूराम जी मिर्धा ने यह अमेंडमेंट मूव किया है कि इसको डिलीट कर दें......

श्री सभापति—क्या हाउस की यह मंशा है कि क्लॉज़ आठ को विचारार्थ ले लिया जाय।

(स्वीकृत)

स्वीकृति प्रदान की गई।

खण्ड ८ (पुनः)

Page No.60

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस सम्बन्ध में एक संशोधन जोधपुर से आने वाले मित्र ने दिया था, जो एक्सचेन्ज के सम्बन्ध में था। एक्सचेन्ज का अधिकार खुदकाश्त राइट के साथ में इनक्लूड है। खुदकाश्त का एक्सचेन्ज किसी दूसरे राइट्स के साथ होना ऑटोमेटिकली इल्लीगल होता है। इस चीज का सिमिलर राइट्स द्वारा ही एक्सचेन्ज हो सकता है। खातेदारी राइट जमीन के साथ लगते नहीं। मैंने जानकारी की कि आपका परपज इन शब्दों को जोड़े बिना भी पूरा हो जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—फिर तो कोई बड़ी बात नहीं। केवल इन्टरप्रिटेशन की बात रह जायगी। फिर खातेदारी के सिलसिले में स्पेसिफिक प्रोविजन क्यों है, जब कि खातेदारी राइट्स के ट्रान्सफर का प्रोविज़न दिया गया है; एक्सचेन्ज सिमिलर क्लास में होने का स्पेसिफिक प्रोविज़न है तो कोर्ट यह कहेगा कि: what was the intention of the legislators ?

जब खातेदारी के सिलसिले में specific प्रोविजन है, खुदकाश्त के सिलसिले में नहीं होता है तो इसको इन्टरप्रेट करने में कठिनाई जरूर होगी।

दूसरे अमेंडमेंट के बारे में भी आप राय फरमा दीजिये। मेन्टीनेन्स के बारे में जहां जिक्र है जनरल मेन्टीनेन्स राइट that must be made to a dependent and made in a bonafide way.

"Or by gift for the purpose of maintenance."

यह कहां तक उचित होगा? यह आप बता दीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—चेयरमेन महोदय, मेन्टीनेन्स के सिलसिले में जो अमेंडमेंट है उसको यहां लेना आवश्यक प्रतीत नहीं होता। जनरली खुदकाश्त के अन्दर से जमीन दी जायगी। अगर किसी के पास खुदकाश्त की जमीन ज्यादा है और वह दूसरों को देता है तो उसमें ओब्जेक्शन नहीं होना चाहिये क्योंकि यदि वह अपने पास की ज्यादा जमीन को देता है दूसरों के मेन्टीनेन्स के लिये तो इससे ज्यादा आदमियों को लाभ पहुंचेगा, ज्यादा आदमी काम पर लगेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Only in paper it shall be deemed to have been given. अगर इस तरह की कन्डीशन क्रिएट करेंगे तो That shall be actually without legal force.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वे दूसरों को देंगे क्यों?

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्लॉज़ ३९ को आप देख लें, जिसमें टिनेन्सी के बारे में दिक्कतें हों, उसके लिये स्पेसिफिक प्रोविजन यहां क्यों नहीं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—And even people will interpret our intention. It will have no application if we do not keep it here.

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैंने जो अमेंडमेंट नं० ७८, क्लॉज़ ८ के पार्ट 'A' में रखा है उसको विड्रा करने की इजाजत चाहता हूं।

श्री सभापति—क्लॉज़ ८ के 'ए' भाग में जो अमेन्डमेंट श्री हरिकृष्ण व्यास ने रखा है वे उसको विड्रा करना चाहते हैं। क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

विथड्रा करने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्लॉज़ ८ के फर्स्ट पार्ट पर जो मेरा अमेंडमेंट है उसको विथड्रा करता हूं।

श्री सभापति—सेकन्ड पार्ट के अमेन्डमेंट को प्रेस करना चाहते हैं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—हां, मैं प्रेस करना चाहता हूँ।

श्री सभापति—क्लॉज़ ८ के सेकन्ड पार्ट में श्री एच० के० व्यास का जो अमेन्डमेंट है; क्या उसे सदन स्वीकार करता है ?

(अस्वीकृत)

The second part of the amendment of shri H. K. Vyas is dropped.

(विराम)

क्लॉज़ नं० ८ ए० बी० सी० के बारे में वोट लिये जाते हैं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय चेयरमेन, क्लॉज़ ८ का दूसरा भाग इस प्रकार है :

"Khudkasht right is not transferable except by exchange or by partition of the estate or landed property of a jagirdar..." इसमें The estate of Jagirdar or landed property of Jagirdar." कट जायेंगे और 'लेन्डेड प्रोपर्टी' के कटने से नम्बर एक हूबहू वैसा का वैसा रह जायगा।

खुदकाश्त का पार्टीशन किस प्रकार होगा? What is the partition of the khudkasht.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया-मैं समझता हूँ, यहां 'खुदकाश्त' करना ज्यादा उपयुक्त होगा।

कु ० श्री जसवन्तसिंह—खुदकाश्त के पार्टीशन से क्या मतलब लें ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—एक आदमी चाहे जैसे अपनी खुदकाश्त को डिवाइड कर सकता है।

श्री नाथूराम मिर्धा-माननीय सभापति, मैं जो मेरा संशोधन क्लॉज़ ८ की सब क्लॉज़ (१) में है उसे वापिस लेने की आज्ञा के लिये प्रार्थना करता हूँ, और दो और तीन में जो मेरे संशोधन हैं, उनको मैं हाउस के सामने पेश करता हूँ।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह)—सब क्लॉज़ (१) क्लॉज़ ८ का स्टेन्डस एज़ इट इज़

(विराम)

Is it the leave of the House to allow Mr. Nathu Ram Mirdha to withdraw his amendment to sub-clause (1) ?

(स्वीकृत)

सब क्लॉज़ (१) ऑफ क्लॉज़ ८ को वापिस लेने की इजाजत दी जाती है ।

श्री नाथूराम मिर्धा—मैं मेरा संशोधन जो क्लाँज़ ८ के सब क्लॉज़ (१) पर है, उसे वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति—क्लॉज़ ८ सब क्लॉज़ (१) पर श्री जवानसिंहजी का अमेन्डमेंट है उसे मिनिस्टर इन्चार्ज ने एक्सेप्ट कर लिया है। क्या सदन को यह स्वीकार है ?

(स्वीकृत)

श्री जवानसिंह का संशोधन स्वीकृत हुआ ।

(विराम)

[श्री सभापति]

अब प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८ के सब क्लॉज़ (२) पर श्री नाथूराम मिर्धा का जो अमेन्डमेंट है, जिसे मंत्री महोदय ने मंजूर कर लिया है, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

श्री नाथूराम मिर्धा का संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८ सब क्लॉज़ २) (संशोधनानुसार)स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

सब क्लॉज़ (२) संशोधनानुसार स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८ के सब क्लॉज़ (३) में श्री नाथूराम मिर्धा का जो अमेंन्डमेंट है, जिसे मिनिस्टर इन्चार्ज ने मन्जूर कर लिया है, वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

श्री नाथूराम मिर्धा द्वारा प्रस्तुत संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

अब प्रश्न यह कि क्लॉज़ ८ का सब क्लॉज़ (३) संशोधनानुसार स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

सब क्लॉज़ (३), संशोधनानुसार, स्वीकृत हुआ।

(विराम)

Now we have to pass the clause, as amended.

(विराम)

[श्री सभापति]

अब प्रश्न यह है कि क्लॉज़ नं० ८, एज़ अमेन्डेड, विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकृत)

क्लॉज़ ८, संशोधनानुसार, विधेयक का अंग बना।

खण्ड (११)

We now come to clause 11. Shri Bhairon Singh,

श्री भैंरूसिंह (वि० सं० १६)—I do not want to move my amendment.

श्री सभापति—श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—Mr. Chairman, Sir, I beg to move the following amendment to clause 11:—"Delete sub-clause (2) of the clause."

श्री सभापति—1 and 2, both ?

श्री चांदमल मेहता—Sub-clause (2) only. गलती हुई है लिस्ट में। गलत छप गया है इस वास्ते यह भ्रम हुआ है। चेयरमेन महोदय, क्लॉज़ ११ का सब क्लॉज़ (२) इस प्रकार है: "Where land is transferred in contravention of sub-section (2) of section 8 the transferee shall become a khatedar tenant thereof." तो चेयरमेन महोदय, जहां खण्ड ८ में ट्रान्सफर के सम्बन्ध में यह रेस्ट्रिक्शन रखी गई है तो वह रेस्ट्रिक्शन एक तरह से खन्ड ११ के सब क्लॉज़ (२) में एक माने में समाप्त हो जाती है। यानि अगर खन्ड ८ के उप खन्ड (२) के खिलाफ अगर ट्रान्सफर होता है तो ट्रान्सफरी को खातेदार के राइट्स मिल जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह लीगल ट्रान्सफर हुआ और इसको एक माने में सही मान लिया गया है।

जहां तक खुदकाश्त के कानूनी दावे का सवाल है वहां तक यह कहा जा सकता है कि खुदकाश्त में जो जमीनें जागीरदार काश्त करते हैं उनके अलावा जो जमीनें जागीरदारों ने अपने नाम दर्ज कराली हैं सेटिलमेंट के रिकार्ड में, चाहे वे दूसरे के कब्जे में हों, वे भी आजाती हैं। इस प्रकार जागीरदारों को बहुत बड़ी तादाद में खुदकाश्त का हक मिल गया है और इस धारा के माफिक उन्हें बेचने का हक मिल जाता है।

इसके आगे एक खण्ड और है, ११ ए जो रेस्ट्रिक्ट करता है सब लेटिंग के बारे में और अगर इल्लीगली वह सब लेट करता है तो आगे कार्यवाही होती है। लेकिन जहां सबलैटिंग '११ ए'

[श्री चांदमल मेहता]

में है, इस तरह की रेस्ट्रिक्शान आती है वहां अगर दूसरा ट्रान्सफरी रह सकता है तो वह जमीन को बेचने का रह सकता है, जो खण्ड ११ के उपखण्ड (२) के माफिक रहता है। वह जमीन कि जिस पर जागीरदार काबिज़ था और वह जमीन कि जो कानूनन उसने अपने नाम दर्ज कराली है, खुदकाश्त में आ जाती है। वह जमीन जो अपने नाम दर्ज कराली है और वास्तव में पजेशन में नहीं है उसका भी फायदा इसके माफिक उठाया जायगा। वह उसे दूसरे को बेचेगा और दूसरे को बेचकर दो किसानों के बीच आपस में लड़ाई का मौका देगा। तो इस तरह से, एक प्रकार से वह ऐसी जमीन बेच लेगा और इसके बाद में दूसरे किसान को वह जब बेचेगा और उससे पैसा बनाएगा तो उस पहले किसान में जिसका असल में उस पर कब्जा था, और उस दूसरे काश्तकार जिसको कि वह बेची गई है, इन दोनों के बीच में झगड़ा खड़ा होगा। तो इसलिये चेयरमैन महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि प्रथम तो यह धारा ११ की उपधारा (२) जो है वह धारा ८ के प्रतिकूल है और दूसरी ओर वह उन खुदकाश्तवालों को प्रोत्साहन देने का अवसर देती है बेच देने के लिए, जब कि सब लेटिंग की रेस्ट्रिक्शन्स हैं। तो जब बेच देगा वह ऐसी जमीन को तो इस का परिणाम यह होगा कि जो काश्तकार उस पर काबिज़ था वह इजेक्ट होगा और फिर धारा १३८ के माफिक कार्यवाही चलेगी और धारा १२८ में जो खातेदारी राइट्स एक्वायर करने की व्यवस्था है उसके अनुसार उसे कई गुनी रकम उसको देनी पड़ेगी। यह देने के बाद ही वह उसे एक्वायर कर सकेगा। तो मैं निवेदन करूंगा कि जब सब लेटिंग पर इतनी रेस्ट्रिक्शन्स है तो यह धारा ११ की उपधारा (२)में जो है वह अधिकार नहीं दिये जाने चाहिये और मैं उम्मीद करूंगा कि इस पर पूरी तरह से विचार करके मेरे इस संशोधन को आप स्वीकार करेंगे।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय मन्त्री महोदय को मान लेना चाहिये इसे, वास्तव में सवाल यह है कि क्लॉज़ आठ के उपखण्ड (२) को वायोलेट करने के लिये एक लूपहोल वास्तव में यह पैदा हो जावेगा। इसमें यह है "Khudkashat right is not transferable except by exchange or by partition of the estate or landed property of a jagirdar or by gift for the purpose of maintenane." पार्टीशन के सिवाय और किसी तरह से दूसरे को नहीं दे सकता, पर इसमें होगा यह कि वह न एक्सचेन्ज करेगा तथा न कुछ और; वह वैसे ही दूसरे को दे देगा और उससे रुपया वसूल कर लेगा। तो इस तरह से मतलब यह है कि इससे जागीरदार को मौका दे दिया गया है खण्ड ८ के उपखण्ड (२) को वायलेट करने के लिए। यह मौका नहीं दिया जाना चाहिये।

श्री जसवन्तसिंह—यह तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि यह कन्फ्युज़न जरूर पैदा करता है। यहां तक कि इसमें बोनाफाइड और मेलाफाइड दोनों ट्रान्सफर हो सकते हैं। जहां पर बोनाफाइड ट्रान्सफर हुआ है वहां पर तो ज्यादा मुश्किल नहीं प्रतीत होती पर जिस प्रकार श्री यादवजी ने कहा कि अगर वह मेलाफाइडी इन्टेन्शन से उसको बेचना चाहे तो बेच सकता हैं और पैसा वसूल भी कर सकता है, रुपया ले लिया टीनेन्ट से और उसको रुपया मिल गया और टीनेन्ट

[श्री जसवन्तसिंह]

को यह फायदा होगा कि उसे घर बैठे खातेदारी राइट्स मिल गये और जो वास्तव में उस पर काम करता था वह रह गया।

तो जहां पर हमें १२८ सेक्शन में इजेक्ट करने का प्रोवीजन मिलता है, वहां दूसरी तरफ इसमें ऑटोमेटिकली एक टिनेन्ट को खातेदारी राइट्स मिल जाय और ट्रान्सफरी पैसा पैदा कर लें और उसको सजा न मिले, यह बात समझ में नहीं आई। अगर खुदकाश्त होल्डर मैलाफाइड इन्टेन्शन (malafide intention) से ट्रान्सफर करे तो वह तो करेगा इस सेक्शन के अन्दर में, पर इसमें पार्टीजन टिनेन्ट भी हैं जो कि इस तरह से खातेदारी राइट्स मुफ्त में हासिल कर लेते हैं तो इस पर माननीय सदस्य, श्री चांदमलजी ने जो कहा वह कुछ हद तक तो ठीक मालूम होता है। इसमें भी फिर अकेले को सजा क्यों दे दें? खुदकाश्त होल्डर को तो सजा मिलेगी, पर यह जो टीनेन्ट है जिसको ऑटोमेटिकली खातेदारी राइट्स मिल जाते हैं उसका भी बन्दोबस्त होना चाहिये। उसको ऑटोमेटिक्ली खातेदारी राइट्स नहीं मिलने चाहिये।

श्री सभापति—(श्री एच० के० व्यास के खड़े होने पर) पहले और एमेंडमेंट्स हो जांय फिर आप बोलें।

(विराम)

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय चेयरमेन महोदय, क्लॉज़ ११ के सब क्लाज (१) और सब क्लॉज (४) में मेरे मामूली से सजेशन हैं। सबक्लॉज़ (१) अभी जो मौजूद है वह इस तरह से है: "upon failure of a successor to the holder thereof in accordance with sub-section (1) of section 8, or" मैंने यह संशोधन रखा है कि "upon failure of a Successor to the holder thereof" यहां तक तो इसको रखा जाय और आगे जो शब्द हैं वे इस खण्ड से डिलीट कर दिये जायं। इस संशोधन से मेरा यह मतलब है कि यदि यह बात रह जाती है तो इससे कन्फ्यूजन पैदा होता है और क्लॉज़ ८ का सबक्लॉज़ (१), जो बढ़ा दिया है उसके हिसाब से यह सक्सेसर जब लिख दिया है तो उसके बाद में पूरा मतलब हल हो जाता है।

इसी तरह से जो सबक्लॉज़ (४) अभी मौजूद है वह यह है कि:—"When khatedari rights accrue therein under the provisions of this Acr or under any other law..." इसके बजाय "any other law for the time being in foroe." यह मैंने छोटा सा सुझाव रक्खा है। "Any other law" के बजाय यह लिख देने से भाषा भी साफ हो जाती है जो क्लियर होने से मामला साफ हो जाता है, इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है और मैं आशा करता हूँ कि यह स्वीकार किया जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सबक्लॉज़ (२) ऑफ क्लॉज ११ के सिलसिले में मेरे माननीय मित्र जो हैं They are throwing the baby with the bath water. यानी ट्रान्सफर करने वाले के ऊपर पाबन्दी लगादें और पाबन्दी को नहीं

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

मानकर पाबन्दी को तोड़ कर ट्रान्सफर कर दें तो उसे सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए ? यह है उनकी मन्शा, जहां तक मैं समझता हूँ, इधर बैठने वाले मेरे माननीय मित्रों की और उधर बैठने वाले है उनकी भी ..

श्री जसवन्तसिंह—नहीं। मिसइन्टरप्रेट (Misintepret) करते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—(जारी) एतराज तो यह है कि जिसे ट्रान्सफर कर दिया गया है उसका क्या हुआ ? तो उसे खातेदारी हक मिलेंगे, यहां यह लिखा गया है। वह काश्त करेगा। खुदकाश्त नाम की चीज जो हासिल कर लेता है और अब उसको निभाना मुश्किल हो रहा है तो ऑटोमेटीक्ली ऐसे ट्रान्सफर्स होंगे जो कि मन्जूर शुदा नहीं हैं। या जिनके लिये किसी एक्ट में प्रोविज़न नहीं है उनके ट्रान्सफर का नतीजा क्या होगा ? "That land will cease to be Khudkasht" वह यह होगा कि वह खातेदार बन जायगा। अब ऐसी क्या कठिनाइयां हो जायगी जैसा कि मेरे माननीय मित्र कह रहे थे।

अब कठिनाई यह है उसको भी और इनको भी कि यह माना गया है कि चोरी से ट्रान्सफर करेंगे उसे सजा भी न हो। उसके लिए सबक्लॉज़ (३) और जोड़ दिया जाय कि इस प्रकार से "In contravention of" जो ट्रान्सफर करेगा Section 8 (2) "he shall be puuished with imprisonment of six months or with fine which may extend to 500/- or with both" तो वह समस्या दूर होगी। मैं अगर सजा का सुझाव देता तो परेशानी पैदा हो जाती, लेकिन मेरे माननीय मित्र सुझाव दे रहे हैं तो यह सब क्लॉज और लगा दिया जाय।

एक दिक्कत जो किशनगढ, मुझे माफ कीजिये, परबतसर से आने वाले मेरे मित्र ने कही है कि जमीन किसी दूसरे के कब्जे में है और खुदकाश्त का हक लागू नहीं है और उन्होंने चुपके से ट्रान्सफर कर दिया है किसी दूसरे को और वह आकर कहेगा कि मेरे हक़ूक हैं, टिनेन्ट के रूप में आकर वह कहेगा कि मेरे हक़ूक हैं, ऐसे स्टन्ट होंगे तो क्या होगा, तो यह बात सही है कि ऐसे लोग भी है जिन्होंने मकानों का पट्टा देने के लिए लाखों रुपये ले रखे हैं उसकी रोकथाम लगनी चाहिए। भोले भाले लोगों को ठगने वाले लोगों के इलाज की बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई करेगा तो खमियाजा उससे लिया जायगा, लेकिन जमीन ली गई हैं और खातेदारी राइट्स मिलने में रेस्ट्रिक्शन है और वह नहीं मिलेगी तो उसे बाईस गुना लगान देना पड़ेगा। नाथूरामजी के एमेंडमेंट के मुताबिक उसको खातेदारी हक़ूक देदें। जिन्होंने गलती से ट्रान्सफर किया है, चोरी से किया है, जालसाजी से किया है उनको सजा दें। दूसरे आदमी को नुकसान नहीं हो, उसको कम्पेन्सेशन दिला दें, ऐसा तीसरा सेक्शन जोड़ दिया जाय तो यह कम्प्लीट हो जायगा। मैं अभी आपको उस एमेंडमेंट को लिखकर दूंगा। ट्रेस्पास होने पर उसको सज़ा देदें। दूसरे के पजेशन में है उसको कम्पेन्सेशन दिला दें ट्रान्सफरी के द्वारा, वह कम्प्लीट हो जायगा, वह डेफिनिट हो जायगा। दोनों संशोधनों को मैं अभी प्रस्तुत करता हूँ। सारी डिफिकल्टी दूर हो जायगी। मेरे माननीय मित्र नाथूरामजी भी मान जायेंगे और चांदमलजी की जो परेशानी है वह भी दूर हो जायगी।

Page No.68

श्री जसवन्तसिंह—मेरी परेशानी तो दूर नहीं हुई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपकी परेशानी भी दूर हो जायगी क्योंकि उसको सजा मिल जायगी।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, मैं एक संशोधन दूसरा मूव करना चाहता हूं और वह यह है कि सबक्लॉज़ ......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—ऑन ए प्वॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, मैं समझता हूं कि संशोधनों को इतना लिबरल नहीं बना दिया जाय कि खड़े होकर बोलने लगें।

श्री गोपीलाल यादव—You have a right to object to it and the chair has a right to overrule it. Let me first move it, मूव करने के बाद ऑब्जेक्ट करते तो ठीक था। मुमकिन है कि आपको पसन्द आ जाय और आप एक्सेप्ट कर लें। वह यह है कि क्लॉज़ ११ के सब क्लॉज़ (२) को सब क्लॉज़ (१) की पार्ट (५) कर दिया जाय, और "where land is transferred in contravention of sub-section (2) of section8." यहां फुलस्टाप लगा दिया जाय, और "the transferee shall become a khatedar tenant thereof" डिलीट कर दिया जाय। वह ट्रान्सफर करने वाला इल्लीगल ट्रान्सफर करने वाला है। उसको सजा मिलनी चाहिये। वह सजा क्या मिल जाती है वह इस एक्ट में "extinction of khatedasi rights." हैं तो वहां खातेदारी राइट ..

श्री हरिकृष्ण व्यास—सबक्लॉज़ (१) में आपका (ii) (1), (ii) "upon transfer thereof in contravention of sub-section (2) of section 8,"

श्री गोपीलाल यादव—तो उसको डिलीट ही करना चाहिये।

अब प्रश्न जो है कि अपने राइट्स के लिए लड़ाई करें तो कोई अधिकार होगा तो मिल जायगा। उसको इस स्टेज पर डिसाइड करें कि वह बोनाफाइड कहें या मेलाफाइड, वह डिसाइड करेगी कोर्ट ऑफ लॉ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—Why decide it today? Bonafide or malafide will be decided in a court of law. Its meaing-less..

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—It is not meaning-less. It has a meaning. ज्यादा बहस इस क्लॉज (२) पर चली है और इस सब क्लॉज के खिलाफ परबतसर से आये हुए मित्र ने जिस निगाह से अमेन्डमेन्ट मूव किया और कुछ बातें कहीं उनका समर्थन विरोधी पक्ष के नेता ने किया। उनको कहना यह था कि जो इल्लीगल ट्रान्सफर करे उसकी सजा क्या है और

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

आपने कहा जिसको ट्रान्सफर करे उसका क्या होगा। दोनों की बातों में भेद बहुत है। मैं समझता हूं कि इस सब क्लॉज़ के बारे में जो बातें कही गईं उनमें यह कहा गया कि इल्लीगल ट्रान्सफर करनेवाले को सज़ा दी जाय और ज़िसको ट्रान्सफर की गई है उसको खातेदारी राइट्स मिल जायं। इसका मतलब यह होगा कि ज़ो राइट्स उसको मिलते हैं उन राइट्स से उसको महरूम करेंगे बजाय सजा देने के।

श्री चांदमल मेहता—सब लेट जिसको करते हैं उसके लिये रियायत कर देंगे। इसमें यह लिखा है कि जो सब लेट करेंगे वे इजेक्ट होंगे

श्री मोहनलाल सुखाडिया—सब क्लॉज़ ११ ए पर आवें तब इसकी चर्चा की जाय। अभी तो इसमें जो रखा है यह मेरिट पर ठीक है या नहीं, यह देखना चाहिये। मेरिट पर यह उचित है कि कम से कम काश्तकार को जिसको इल्ली गल ट्रान्सफर किया जाय उसको खातेदारी राइट्स मिल जांय।

श्री गोपीलाल यादव—मैं निवेदन करूंगा कि इस पर फिर विचार करिये। यह गंभीर मामला है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं समझता हूँ कि इसको पोस्टपोन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में मैं बहुत स्पष्ट हूँ। जो जमींन दूसरे के पास इल्लीगल्ली ट्रान्सफर कर दी गई है उस काश्तकार को खातेदारी राइट्स नहीं देने की कोई वजह नहीं है।

श्री गोपीलाल यादव— It means yon recognise illegal trensfers.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इल्लीगल ट्रान्सफर करने वाले की बात है। जिसके पास जमीन ट्रान्सफर की गई है उसका कोई कुसूर नहीं है।

कुं० श्री जसवन्त सिंह—उनको जमीन फ्री मिल जायगी।

श्री चांदमल मेहता—उसको फ्री नहीं मिलेगी बल्कि उसका मुआवजा जागीरदार को यानी ट्रान्सफर करने वाले को मिलेगा। उससे मुआवजा लेते ही हैं, चाहे जागीरदार ले या गवर्नमेंट ले।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मैं निवेदन करता हूं कि ट्रान्सफरर को तो सजा मिल गई, लेकिन जो ट्रान्सफर रहे उसका क्या होगा ?

श्री हरिकृष्णव्यास—उससे पैसा आपने ले लिया।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—वह पैसा वापिस ले लिया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं कि यह एकेडेमिक बात है कि यदि किसी ने पैसा लिया है तो उससे वापिस लिया जाय। हम यह करना चाहते हैं कि दूसरे आदमी समझ कर चलें, इल्लीगल ट्रान्सफर न करें जिससे बिना पैसा दिये खातेदारी राइट मिल सकें। विदाउट पेइंग एनी-थिंग (without paying anything) यह बड़ा चेक है। वह इल्लीगल ट्रान्सफर को चेक करेगा और पैसा देने की बात में कमी होगी। मैं समझता हूं कि अमेंडमेंट का ज्यादा असर प्रस्तावक महोदय पर पड़ने वाला है और इससे काश्तकारों को कुछ अड़चनें पैदा होने वाली हैं।

श्री गोपीलाल यादव—इसमें 'काश्तकार' शब्द नहीं है, ट्रान्सफरी है। कोई अपने रिश्तेदारों को ट्रान्सफर करता है तो कोई केपिटेलिस्ट को करता है। जो ट्रान्सफरर्स हैं वे केपिटेलिस्ट को भी ट्रान्सफर कर सकते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—किस आदमी के पास कितनी होल्डिंग रहे, इस पर जब हम विचार करेंगे तब यह बात तय हो जायगी। इस समय सवाल यह है कि जिसको ट्रान्सफर की जाती है उसको खातेदारी राइट मिले। दूसरी बातों को देखते हुए आम तौर से काश्तकार को खातेदारी राइट्स मिलने चाहिए। सेल (sale) करने वाले बहुत से गलत तरीके पर सेल कर देंगे। इस वख्त भी जागीरदारों को राइट है कि वे अपनी जमीन दूसरों को दे सकते हैं। खुदकाश्त की जमीन जब तक रहेगी तब तक वह जागीरदार है, उसको राइट है कि अपने एरिया की जमीन दूसरे को दे सके। यह सोचकर चलना कि जमीन नहीं दे सकता, यह पोजीशन नहीं है। वह आज भी दे सकता है।

श्री चांदमल मेहता—फिर सेक्शन ८ किसलिये है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसलिये कि इल्लीगल कार्यवाही न हो।

श्री चांदमल मेहता—इल्लीगल किस हालत में है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जो खुदकाश्त कर रहा है और इसके बाद इल्लीगल ट्रान्सफर करता है तो जिसको ट्रान्सफर की जाती है उसके खातेदारी राइट हो जाते हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें किसानों के लिए कोई अहित की बात है। अब जो दूसरा नाथूरामजी ने जोड़ा है उसको मैं स्वीकार करता हूं और दूसरे अमेंडमेंट्स के बारे में जो बातें कहीं गई हैं उनको देखते हुए मैं आशा करता हूं कि अमेन्डमेंट रखने वाले महोदय उनको वापिस ले लेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरे संशोधन का क्या हुआ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मेरे पास आपका संशोधन नहीं पहुँचा ।

श्री सभापति—बगैर दस्तखत के मेरे पास आया है, इसलिए इसका कोई मूल्य नहीं है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—चेयरमेन महोदय, बिना दस्तखत के जो संशोधन आता है उस पर विचार नहीं हुआ करता ।

श्री चांदमल मेहता—जो अमेंडमेंट मैंने रखा है उसके संबंध में राजस्व मंत्रीजी ने जो दलील दी है वह मुझे कतई अपील नहीं करती । जहां तक किसानों को बहुत बड़ी राहत देने की बात है, मंत्रीजी सहमत हैं । मैं समझता हूं कि किसानों के बजाय उनको राहत मिलेगी जो ट्रान्सफर करना चाहते हैं और जिन्होंने बहुत बड़ी तादाद में खुदकाश्त के नाम पर ट्रान्सफर कर दी है । उसूल के तौर पर यह बात मान लेनी चाहिये कि यदि इल्लीगल ट्रान्सफर होती है तो उसको ट्रान्सफरी का हक मान लेना एक तरह से इल्लीगल ट्रान्सफर को लीगल मान लेना होगा, जो किसी हालत में नहीं होना चाहिये । वे इस विचार से नहीं सोचें कि सिलेक्ट कमेटी ने इसे स्वीकार कर लिया है बल्कि उसूल और सिद्धान्त पर फिर पूरा विचार करें और इस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार करें ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं पहले ही इस पर सोच चुका हूं । सिलेक्ट कमेटी ने इसे स्वीकार कर दिया है या मैंने जवाब दे दिया है, इस बात पर मैं नहीं चलता । यदि उचित है तो मैं उसे मानने में इन्कार नहीं करता । यदि किसी कारण से किसी काश्तकार को वह जमीन ट्रान्सफर करदी गई तो उसके बाद उसको हक नहीं मिले, जिस आदमी ने पैसा देकर जमीन ली है तो उसको हक क्यों नहीं मिले ?

श्री चांदमल मेहता—इससे आपस में झगड़ा होगा ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—एक किसान जिसने ली है वह घाटे में रहेगा, देने वाला घाटे में नहीं रहेगा । इसलिये आप समझ सकते है कि कौन सा अमेन्डमेन्ट ठीक है ।

श्री शम्भू सिंह—यदि ट्रान्सफरी के पास ३० बीघा से ज्यादा नहरी जमीन है तो क्या फिरभी खातेदारी राइट्स उसको मिल जायेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—वह अलग से डील करने का सवाल है ।

श्री सभापति—क्लॉज़ ११ सब क्लॉज़ (२) पर श्री चांदमल मेहता का जो अमेन्डमेन्ट है डिलीट करने का; क्या उस पर मत ले लिये जाय या वापिस लेंगे ?

Page No.72

[श्री सभापति]

(विपक्ष की ओर से आवाज 'ये सिद्धान्तवादी हैं प्रेस करेंगे')

श्री चांदमल मेहता—मैं अपने एमेंडमेंट को प्रेस करता हूं ।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १० पर श्री चांदमलजी का जो संशोधन है । वह स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

एमेंडमेंट ड्रोप हो गया ।

(विराम)

श्री नाथूराम मिर्धा के क्लॉज़ ११ पर दो एमेंडमेंट हैं जो मिनिस्टर महोदय ने मन्जूर कर लिये हैं, क्या ये सदन को स्वीकार हैं ?

(स्वीकृत)

एमेंडमेंट जो श्री नाथूराम मिर्धा ने प्रस्तुत किये वे स्वीकृत हुये ।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११, एज एमेंडेड विधेयक में अंग रूप से स्वीकार किया जायं ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ नम्बर ११, एज एमेंडेड विधेयक अंग में रूप से जोड़ा गया ।

खण्ड ११ ए

अब क्लॉज़ नम्बर ११ ए लिया जाता है, श्री खेतसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री नाथूराम मिर्धा ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय सदस्य अभी बाहर गये हैं। यह अमेंडमेंट बाद में ले लिया जावे, पहले दूसरे एमेंडमेंट ले लिये जावें।

श्री सभापति—श्री भैरूसिंह अपना एमेंडमेंट पेश करें।

श्री अवनिकुमार मुखर्जी—माननीय चेयरमेन, क्या हम यह समझें कि श्री नाथूराम मिर्धा का एमेंडमेंट मूव नहीं होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—बाद में ले लिया जावेगा।

(श्री नाथूराम मिर्धा के सदन में आ जाने पर)

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह)—(श्री मिर्धा से) आप अपना एमेंडमेंट मूव कीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय चेयरमेन, इस क्लॉज ११ (ए) पर मेरा सिर्फ यही संशोधन है कि यह खण्ड बिल्कुल हटा दिया जावे क्योंकि इस धारा का कोई मतलब नहीं रहता। यह "Consequences of illegal sub-letting of khudkasht" के बारे में है। सब लेट के बारे में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि सब मामलों को एक साथ, खण्ड ३६ और ३७ को जिस समय डील विथ करेंगे, उस समय ले लेंगे। इसलिये इस क्लॉज़ को यहां रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसको हटा दिया जावे।

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय चेयरमेन, यह जो चेप्टर है वह काश्तकारों के लिये रखा गया है। जब आप इस चेप्टर की क्लॉजेज़ को हटा रहे हैं तो फिर इस चेप्टर को रखने से क्या मतलब होगा, ७ और ८ धाराएं जो हैं वे कोई माने नहीं रखतीं। मैंने पहले निवेदन किया था कि इस चेप्टर को ही उड़ा दिया जावे। तो फिर उसको क्यों नहीं उडाया जाता? मैं तो यही कहूँगा कि इस चेप्टर को ही उड़ा दिया जावे।

श्री भैरूसिंह(१६)-माननीय चेयरमेन, मेरा भी यही संशोधन है जो श्री नाथूराम मिर्धा ने पेश किया है। मैं संशोधन मूव करना नहीं चाहता लेकिन श्री नाथूराम मिर्धा ने जो बातें कहीं हैं मैं उनका समर्थय करता हुआ उनके समर्थन में यह निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज ११ (ए) का सम्बंध क्लॉजेज़ ६ और १० से था। आपने क्लॉज १० को डिलीट कर दिया है। अब इसमें क्लॉज ६ रह गया है। क्लॉज़ ६ में खुदकाश्त के सब लेटिंग के सम्बन्ध में क्लॉज ३६ और ३७ का जिक्र किया गया है। उसके बाद की क्या हालत होगी? अगर कोई इल्लीगल सब लेटिंग कर देता है तो उसके लिये क्लॉज १२८ है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिये भी वही क्लॉज़ १२८ लागू किया जावे। जिस समय क्लॉज ६ पर बहस हुई उस समय, क्लाज़, ३६ और ३७ से इस क्लॉज़ का सम्बन्ध है, तो जब क्लॉज़ ३६ और ३७ पर विचार किया जावेगा उस समय सब बातें आ जावेंगी इसलिये इसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता और फिर भी हम इस प्रकार के क्लॉज़ को रखेंगे तो उसका कोई इन्टरप्रिटेशन हो सकता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसको डिलीट कर दिया जावे।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह)—श्री श्यामलाल गोयल अपना एमेंडमेंट मूव करें।

(अनुपस्थित)

श्री एच० के० व्यास अपना एमेंडमेंट मूव करें

श्री एच.के. व्यास—माननीय चेयरमेन, जहां तक श्री नाथूरामजी का एमेंडमेंट है उसका मेरे एमेंडमेंट के पहले भाग में समावेश हो जाता है। उनका यह कहना कि क्लॉज़ ११ को डिलीट कर दिया जावे; मेरा भी यही कहना है कि मौजूदा क्लॉज ११ (ए) को डिलीट कर दिया जावे। और उसके एवज में मैंने दूसरे शब्द रख दिये हैं जिनको जोड़ा जावे :

"Rights of tenants of Khudkasht. Every person who is a tenant of Khudkasht land at the time when such land ceases to be Khudkasht under section 11 or a tenant of Khndkasht allowed to remain in occupation of such land for a period longer than prescribed in section 9, shall become a Khatedar tenant." अब आप इस सारे बिल को ध्यान से देखेंगे तो क्लॉज़ ११ जो है वह एक्सटेन्शन ऑफ खुदकाश्त राइट्स से डील करता है। उसका कोई हकदार नहीं है तो the land shall cease to be Khudkasht और अगर ट्रान्सफर in contravention of sub-section (2) of section 8 है तो iand shall cease to be Khudkasht. If it is let out तो भी it will cease to be Khudkasht. अगर वह लेट आउट कर दी गई है इन कॉन्ट्राविन्शन ऑफ सेक्शन ६ तो भी land shall cease to be Khudkasht.

अगर वह जमीन सीज़ (Cease) हो जाती है, खुदकाश्त की हो जाती है, तो अलग अलग जिनको जमीने मिली हैं उनकी क्या पोजिशन होगी ? जिनको खातेदारी हक मिलता है उनका स्टेटस (Status) तो साफ दर्ज है। अगर सेक्शन ८ के मुताबिक किसी को ट्रान्सफर में मिली है तो वे भी हमने खातेदार बना दिये। लेकिन पार्ट (२) के बारे में क्या होगा, उनका फ्युचर क्या होगा ? अगर सक्सेसर नहीं होने से भी किसी जमीन पर जो काश्तकार काश्त कर रहा है उसका भविष्य क्या होगा ? जब सरकार दूसरे लोगों को खातेदारी हकूक देती है कि वह जमीन पर खेती करता है, मगर जब सक्सेसर नहीं होगा और वह किसान जो उस जमीन पर खेती करता है तो उसका क्या होगा ? यह एक गलत उसूल है कि उसका कुछ नहीं हो। उस वक्त से उस व्यक्ति का नाम दर्ज होना जरूरी है। तो मेरा संशोधन जो है वह यह कहता है कि जिस प्रकार क्लॉज़ १४ में हम यह कहते हैं कि—

"Subject to the provisions of section 15, every person who, at the commencement of this Act, is a tenant of land otherwise than as a sub-tenant or a tenant of Khudkasht or who is, after the commencement of this Act, admitted as a tenant ...." he shall become a Khatedar tenant. मैं यह कहता हूं कि इसमें से आपने टीनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को एक्सपन्ज कर दिया; ठीक है, लेकिन जिस दिन Such a land ceases to be

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

Khudkasht under section 11 उस दिन उसका क्या होगा, जो व्यक्ति उस पर काश्त कर रहा है। उस दिन उस व्यक्ति को वे के वे राइट्स मिलने चाहिये जो दूसरों को आप दे रहे हों और वे तभी मिल सकते हैं जब आप ऐसा इसके अन्दर रखें :

"Every person who is a tenant of Khudkasht land at the time when such land eases to be Khudkasht under section 11;"

सेक्शन ११ में हमने कहा है "Land shall cease to be Khudkasht" जिस दिन वह सीज़ करे as on that date he must get the right of Khatedari इसके अलावा जब कोई ट्रांसफर करे "in contravention of sub-section (2) of section 8 या ट्रांसफर न करे और लीज़ में दे दे in contravention of section 9 तो जिसको लीज दिया गया है उसका क्या होगा ? उसको क्या वही खातेदारी हक़ूक मिलने चाहिये। क्या उसको भी वही राइट्स मिलने चाहिये जो इल्लीगल तरीके से काबिज हुआ है ? Is he allowed to remain in possession for a period longer than the period stipulated ?

इस वजह से मैंने यह संशोधन रखा है कि if a tenant of Khudkasht is allowed to remain in occupation of such land for a period longer than prescribed in section 9 उनका वहां कब्जा रहने दिया जाता है तो इट विल बी प्रिज़ुम्ड (it will be presumed) कि लीज बेकार थी, दिखावे की चीज थी और असल में कुछ और नियत से यह बार लाने की नियत से था। वैसी हालत में खातेदारी हक़ूक मिलना चाहिए। अगर यह प्रोविजन नहीं करेंगे तो इसका मतलब यह होगा माननीय चेयरमेन, कि आज जो अधिकार दे रहे हैं मामूली काश्तकार को inspite of the land of an estate holder, उस एस्टेट होल्डर की जमीन में अधिकार दे रहे हैं। मामूली टिनेन्ट को उन अधिकारों से तो पहले ही वन्चित कर दिया जायगा, यह कह कर कि यह जमीन एस्टेट होल्डर की नहीं, खुदकाश्त की है।

तो मैं यह कह रहा था माननीय चेयरमेन, कि यह उसूल की बात है। आप वंचित कर रहे हैं यह कह कर कि खुदकाश्त की जमीन है, लेकिन जब वह जमीन सीज़ करे खुदकाश्त से तो उस दिन उसको क्या कह कर वन्चित करेंगे ? उस दिन वह जमीन उस स्टेटस पर पहुँच जाती है जो एस्टेट होल्डर के हाथ में है। जो सीज हो गई है उस पर जो काश्तकार कोई काश्त करता है उसको तो खातेदारी हक़ूक मिलने चाहिये और तब ही इस टिनेन्सी एक्ट का फायदा होने वाला है, वरना अच्छी से अच्छी जमीन, उपजाऊ बाग, जमीन आदि जो खुदकाश्त में दर्ज हो चुकी है, लगान वसूल हो चुका है, जो रेस्ट्रिक्शन्श लगाये हैं उनको तोडने की कोशिश होगी और रेस्टिक्शन्स को तोड कर अगर पकड में आ गये तो फिर तो खातेदारी हक़ूक काश्तकारों को मिल जावेंगे ? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आखिर यह जमीन छूटकर जायगी कहां। यह परिस्थिति आने

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

वाली है कल, १ साल नहीं तो २ साल बाद। किसी न किसी तरह तो इसको देना पड़ेगा और जो काश्त करता है उसको टिनेन्ट एडमिट करना पड़ेगा नहीं तो सिलिंग और युटिलाइजेशन ऑफ लेन्ड एक्ट टन्टा करेंगे। अगर यह ट्रान्सफर करदी जाती है तो जिसको यह दी जायगी उसको ऑटोमेटिकली खातेदारी हकूक मिल जावेंगे। इस प्रकार मे मेरे मित्र यदि खुदकाश्त और खातेदारी दोनों को दो केटेगरी में रखेंगे तो थोडे दिनों में यह परिस्थिति हो जायगी कि न खुदकाश्त रहेगी और न खातेदारी क्योंकि जितनी गैर वाजिब खुदकाश्त को गई है, वाजिब की गई है उसको तो कोई तोडेगा नहीं, किन्तु जिन्होंने सील मोहर लगवा कर या ठप्पे लगवा कर खुदकाश्त नाम की दर्ज कराली है वे धीरे धीरे खातेदारी की होती जावेंगी और आखिर में काई फर्क नहीं रहेगा।

तो इन सब चीजों को सामने रखने के बाद यह गवर्निंग खण्ड १४ के मुताबिक और खण्ड ११ का जो प्रोविजन है कि "Land shall cease to be Khudkasht..." इन दोनों के कॉन्सीक्वेन्सेज़ को हमें यहां रखना चाहिये और केवल क्लॉज ११ को हटाना ही नहीं, उसका जो मौजूदा फॉर्म है उसको हटाकर मैने जो तरमीम रखी हैं उसको सब्स्टीट्यूट किया जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि इस अमेन्डमेन्ट को मंजूर किया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—यह समझ में आ गई है और मैं इसको मंजूर करने जा रहा हूँ, आपको यह नहीं समझना चाहिए। मैं तो यह एग्जामिन करना चाहता हूँ कि किस तरह से और कहां पर इसको व्यवस्था कर सकते है ? हम इस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं या नहीं ? यह नहीं समझा जाय कि मैंने इसको मान लिया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप अभी नहीं मान जायेंगे तो फिर मान ही जावेंगे।

श्री सभापति—अब इसको पोस्टपोन किया जाय। डिलीशन वाला एग्री कर लिया है, तो क्लॉज़ ११ ए डिलीट कर लेते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—डिलीट करने के बाद सवाल फिर होता है कि सब्स्टीट्यूट कैसे किया जायगा ? जब तक सब्स्टीट्यूशन का सवाल तय नहीं होता है तब तक यह डिलीट नहीं किया जाना चाहिये।

श्री सभापति—Yes. डिलीट करने का सवाल फिर ही तय होगा जब कि श्री एच० के० व्यास के अमेन्डमेंट का फैसला होगा। अतः क्लॉज़ ११ ए का निर्णय पोस्टपोन करने की क्या सदन की स्वीकृति है ?

(स्वीकृत)

Page No.77

[श्री सभापति]

क्लॉज़ ११ ए पर विचार पोस्टपोन किया जाता है।

(विराम)

Now we take clause 11 B.

कुं श्री जसवन्तसिंह—कौनसा है यह ?

श्री सभापति—यह एक नया अमेन्डमेंट है और श्री श्यामलाल गोयल इसको मूव करना चाहते हैं।

श्री श्यामलाल गोयल।

(अनुपस्थित)

He is not here, therefore this amendmant is dropped.

खण्ड १२

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय सभापति महोदय, मैं अपने अमेंडमेंट को मूव नहीं करना चाहता। मैं इसको विदड्रा करने की आज्ञा चाहता हूँ।

श्री जवानसिंह—कारण तो बताइये कि क्यों डिलीट कराना चाहते हैं ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—पहले यह बतावें कि क्यों डिलीट कराना चाहते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—He does not want to move.

श्री सभापति—It is all right. It is deemed to have been withdrawn because he does not want to move.

रावत श्री शम्भूसिंह।

रावत श्री शम्भूसिंह— क्लॉज़ १२ में मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है : "Substitute the word 'Khadamdari' in place of word 'Khatedari' occurring at the commencement of the clause.

[रावत श्री शम्भूसिंह]

Line 4:—'Khadamdar' word may be sudstituted in place of word Khatedar'.

Line 6:—Substitute the word 'Khadamdar' instead of 'Khatedar'."

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान बिल को जो हमने देखा है तो यह प्रतीत हुआ है कि इसमें खातेदारी टिनेन्ट्स के कुछ राइट्स कर्टेल किये जाकर उसको पूरे हक़ूक नहीं दिये गये हैं जिसके लिए क्लॉज़ १३ और १४ में मैंने यह अमेंडमेंट रखा है कि जहां क्लासेज़ और केटेगरी टिनेन्ट्स की दी गई हैं वहां एक खडमदार टिनेन्ट भी आना चाहिये। खातेदार को जो राइट्स दिये गये हैं उनको पूरा अधिकार होगा और जो वर्तमान क्लॉज़ में खातेदार टिनेन्ट्स के हक़ूक कर्टेल कर दिये गये हैं वे कर्टेल नहीं होंगे। उस खड़मदार टिनेन्ट को और जो खुदकाश्त से खातेदार टिनेन्ट के राइट्स एक्वायर करेगा उसे खुदकाश्त होल्डर के समकक्ष करने के वास्ते, खडमदार की केटेगरी में लाने के वास्ते, मैंने यह संशोधन रखा है कि जो खुदकाश्त होल्डर भविष्य में टिनेन्ट होगा उसको पूरे खड़मदार के राइट्स हों।

मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय, जो मेवाड़ में रह चुके हैं और जिनको खड़मदारों के क्या राइट्स थे इससे भली भांति परिचित हैं, जिससे मैं आशा करता हूँ कि मेरे संशोधनों को स्वीकार करेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Chairman, sir., I beg to move the following amendment to clause 12:—

"In line 4 between the words 'he shall' and 'be entitled to' insert the following:—

'except when a specific provision has been made to the contr' "

यह जो क्लॉज़ स्टेन्ड करता है डिफेक्टिव है, ऐसा मेरा ख्याल है। इसमें यह कहा है कि राजस्थान लेन्ड रिफॉर्म्स एन्ड रिज़म्प्शन ऑफ जागीर्स एक्ट, १९५२ के मातहत जागीरें रिज़्यूम हो जायगी तो जागीरदार खुद "the Jagirdar holding Khudkasht shall become a Khatedar tenant thereof, and he shall be entitled to all the rights conferred and be subject to all the liabilities imposed on a Khatedar tenant by or under this Act." इस बिल को अब तक जितना गौर किया है, विशेष कर पिछले पांच सात क्लाजेज़ को; उसमें जरूर कुछ डिस्टिंक्शन मालूम देता है। खातेदार टिनेन्ट and Khudkasht holder ओन दी होल तो ठीक है किन्तु in a जनरल वे में जो प्रिंसिपल ले डाउन करें उसमें स्टेटस (status) बराबर गिना

Page No.79

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जायगा किन्तु प्रोटेक्शन 'in the law' में कर देने चाहिये। Unless there is a contrary provision, that provision shall have the force of law. इन वजूहात से यह सेक्शन रखने की कोशिश की जा रही है Section 12 will come into conflict with many other sections. :The amended clause shall read as under:—

"Clause 12:--On the resumption of a jagir under the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act, 1952, the Jagirdar holding Khudkasht shall become a Khatedar tenant thereof, and he shall, except when a specific provision has been made to the contrary, be entitled to all the rights conferred and be subject to all the liabilities imposed on a Khatedar tenant by or under this Act." यानी in a general way it will be all right but if it is contrary, then that provision will have the force of law. लॉ के ख्याल से इस प्रकार होना बहुत आवश्यक है। आशा है मेरे इस अमेन्डमेंट को मंजूर किया जायगा।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय चेयरमेन महोदय, यह जो माननीय सदस्य ने, जो जोधपुर से आये हैं, अमेन्डमेंट मूव किया है उससे तो यह एक प्रकार की रेस्ट्रिक्शन अनूनेसेसिरली खुदकाश्त होल्डर को खातेदार के राइट्स मिलने की बन जाती है। इस एक्ट को अगर अच्छी तरह से देखा जाय तो पता चलेगा कि जब खुदकाश्त होल्डर हर हालत में खातेदार टिनेन्ट बन जाता है तो ऐसी कौनसी बात रह जाती है जिनसे महरूम करें और उसको खातेदारी राइट्स नहीं मिलें। ऐसा करने से इसमें बहुत गड़बड़ी होने की आशा है।

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमेन महोदय, यह जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है मैं इसके विरोध में एक-दो शब्द अर्ज करना चाहता हूँ। वह यह कि अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान लेन्ड रिफॉर्म्स एन्ड जागीरदारी अबोलिशन अमेन्डमेंट एक्ट यहां से पास किया और मेरा खयाल है कि श्री एच० के व्यास जैसे माननीय सदस्य भी उस चीज से वाकिफ न हों, ऐसी बात मैं नहीं मानता। उसकी धारा १० बहुत साफ है। उसमें जो अधिकार खुदकाश्त होल्डर को राजस्थान जागीर रिजम्प्शन में दिये हैं उसके जागीर रिज्यूम होने के बाद में वह खातेदार टिनेन्ट बन जाता है और वही अधिकार इस धारा में भी दिये गए हैं। इस वक्त यहां पर इस प्रकार आपत्ति पैदा की जायगी तो कई प्रकार की बाधायें पैदा हो जायंगीं और इससे यह होगा कि जागीरी रिजम्प्शन के बाद में खातेदारी राइट्स प्राप्त नहीं हो सकेंगे, खुदकाश्त होल्डर को प्राप्त नहीं हो सकेंगे। ऐसा न तो जागीरी रिज़म्प्शन एक्ट में एक्सप्रेशन रखा गया है और न इस कानून की तहत में कोई एक्सप्रेशन रखा गया है। इसके अलावा किसी दूसरे कानून में इस प्रकार का प्रोविजन है जहां पर खुदकाश्त होल्डर को जागीरी रिजम्प्शन के बाद में खातेदारी के हक न दिये गये हों। यह जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है इससे तो खुदकाश्त होल्डर को जागीरी रिज़म्प्शन के बाद भी खातेदारी के हक मिलने में बाधा हो सकती

[श्री जवान सिंह]

है। यह तो एक प्रकार का ख्याली पुलाव ही है जो कि माननीय सदस्य ने बताया। ऐसा एक्सप्रेशन न होते हुए संशोधन मन्जूर करना बेकार की चीज होगी। जैसी कि जागीरी रिजम्प्शन एक्ट में यह धारा सीधी है उसी प्रकार की धारा टिनेन्सी लॉ में भी होनी आवश्यक है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि यह संशोधन मन्जूर नहीं होना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—माननीय चेयरमेन, मैं समझता हूँ कि जैसी कि धारा यहां है उसे उसी प्रकार स्वीकृत करना उपयुक्त होगा। जोधपुर से आने वाले माननीय मित्र ने जो संशोधन रखा उसमें जो शब्द जोड़ने की बात कही उन्होंने कहा कि हम ये शब्द और जोड़ें.... "except when a specific provision has been made to the contrary" "He shall" के बाद "except when a specific provision has been mede to the contrary-" इस चीज को अगर स्वीकार किया जायगा तो हमें एक प्रकार से परमानेन्टली खातेदार टिनेन्ट की केटेगरी अलग बनानी पड़ेगी, उनके राइट्स अलग होंगे। हमें इस चीज के अन्दर फाइनेलिटी करनी है। जागीरी रिज्यूम होने के बाद में काश्तकार के तौर पर जो है इस चीज को बराबर कन्टिन्यु करना उचित प्रतीत नहीं होता। इल्लीगली अगर जमीन ली गई है तो उसके लिये अलग प्रोवीजन है। केवल उसी चीज को लेकर जो चीज लीगली की हुई है उसको सस्पेन्स में डाल कर इस चीज़ को जोड़ना अच्छा प्रतीत नहीं होता। हम स्पष्ट तौर पर इस बात को रखें कि जागीरी रिज्यूम हो जाने के बाद में हरेक जागीरदार को खातेदारी राइट होंगे। इसके लिये यह स्पष्ट चीज रहना जरूरी होगा।

दूसरा एक अमेन्डमेन्ट इस प्रकार का भी आया कि हम "खडमदार" शब्द भी जोड़ दें। मैंने इसके लिये पहले भी निवेदन किया। हर जगह पहले अलग अलग नाम थे, कहीं पट्टेदार, कहीं खुड़मदार, कहीं खातेदार, हमने यहां सिम्पलीफाई कर दिया है। खड़मदार भी खातेदार सब टिनेन्ट की तरह है। इन सारी चीजों को यहां टिनेन्सी लॉ में लाया गया है। खड़मदार को कोई विशेष राइट्स नहीं हैं जिसका कि समावेश खातेदारी राइट्स में न होता हो। इसलिये खड़मदार ही शब्द का यहां प्रयोग होना चाहिये, यह कोई आवश्यक नहीं है। हमारे से जितना सिम्पलीफाई यह बन सका बनाने की कोशीश की है। इसलिये जिस प्रकार कि यह मूल रूप में है उसी प्रकार रखना और उसी प्रकार स्वीकार करना उचित है। आशा है मेरे इतने निवेदन के बाद माननीय मित्र जिन्होंने अमेन्डमेंटस मूव किये हैं, वापिस ले लेंगे।

रावत श्री शम्भुसिंह—माननीय चेयरमेन महोदय, माननीय मंत्रीजी ने फरमाया कि खातेदार को उतने ही हक दिये गये हैं जितने कि खडमादार को हासिल थे। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। खडमदार को ट्रान्सफर के खुद के राइट्स थे जब कि खातेदारी को वे हक लिमिट कर दिये गये हैं। सब लेटिंग में किसी प्रकार का सेटिसफेक्शन नहीं है। अतएव मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं

[रावत श्री सम्भूसिंह]

कि जो राइट्स खडमदार उपभोग करते आ रहे थे वे ही खातेदारी में उपभोग करते रहेंगे। अतएव मैं अपने अमेन्डमेंट को प्रेस करता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरी भी यह राय है माननीय चेयरमेन मोहदय, कि इस प्रकार की क्वालिफिकेशन नहीं रक्खेंगे तो बहुत कठिनाई आवेगी।

सक्सेशन, ट्रान्सफर आदि कई २ चीजों में हमने सेपरेट प्रोविजन किये हैं। ऐसी हालत में दोनों में से किसको कन्सीडर किया जावे ? अगर कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया है तो जो संशोधन मैंने किया है उसको जोड़ने से नुकसान नहीं होने वाला है और अगर डिस्टिंक्शन किया है, जो कि मेरा ख्याल है कि डिस्टिंक्शन किया गया है, तो इसलिये क्वालिफाइंग डिस्टिंक्शन रहना चाहिये।

श्री सभापति—अब संशोधन मतदान के लिये रखता हूँ। प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२ पर श्री शम्भूसिंहजी का जो अमेंडमेंट है वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

अमेंडमेंट ड्रॉप हो गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि श्री एचं के व्यास का इस क्लॉज़ पर जो अमेंडमेंट है वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

अमेंडमेंट ड्रॉप हो गया।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२ को विधेयक में अंग रूप से स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लाज़ १२ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

[श्री सभापति]

अब चूंकि समय हो गया है इसलिये हाउस एडजोर्न किया जाता है और १७ तारीख को ४ बजे शाम को फिर सदन की बैठक होगी ।

डिसपर्स होने से पहले एक और सूचना मैं सदन को देना चाहता हूं कि १७ तारीख के कार्यक्रम की सूची सदस्यगण बाहर नोटिस ऑफिस से लेते जावें।

(सदन की बैठक १२ बजकर २ मिनट मध्यान्ह में दिनांक १७ अगस्त, १९५४ के अपरान्ह ४ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक-१३ अगस्त, १९५४

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।